पंचम माला, खंड 34, अंक 34, सोमवार, 10 दिसम्बर, 1973/19 अग्रहायण, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXIV, No. 34, Monday, December 10, 1973/Agrahayana 19, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Parliament Library
24-8-90
30-7-85

सत्यमेव जयते

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21, सोमवार, 10 दिसम्बर 1973/19 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 21 Monday, December 10, 1973/Agrahayana 19, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
	मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 25वीं वर्षगांठ	Twentyfifth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights	1
406	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सुझाया गया मछली उत्पादन कार्यक्रम	Programme for fish production suggested by ICAR	2
408	नई दिल्ली में नर्सिग होम भवन को किराये पर लेना	Renting of a Nursing Home Building in New Delhi	5
409	कृषि में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन	Incentive for research in Agriculture .	5
412	चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मुगललाइंस में खपाना	Absorption of employees of Chowgule Steamships Limited by Moghul Lines	7
413	भूतपूर्व मंत्रियों और संसद सदस्यों के पास सरकारी आवास	Ex-Ministers and M.Ps. in occupation of Government accommodation . .	9
417	सरकारी निर्माण कार्य में मितव्ययता अभियान लागू करना	Economy drive in Government works	13
419	केरल में ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिए योजना आयोग द्वारा सुझाया गया परिव्यय	Outlay suggested by Planning Commission for Rural Roads Programme in Kerala	14

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या	SUBJECT	पृष्ठ
S. Q. No.	WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS	PAGES
प्रश्नों के लिखित उत्तर विषय		
404 दादरा और नगर हवेली में भूमि सुधार विनियमन अधिनियम, 1971 की क्रियान्विति	Implementation of land Reform Regulation Act, 1971 in Dadra and Nagar Haveli.	16
405 चेचक उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता	W.H.O.'s help for eradication of Small Pox	16
407 दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकरण में गिरावट	Deterioration in the working of C.P.W.D. in Delhi	18
410 रबी की फसल के लिए राज्यों की रासायनिक उर्वरकों की मांग	Request for chemical fertiliser for Rabi Crop from States . . .	19
411 जहाजों की सप्लाई के लिए पोलैंड के साथ समझौता	Agreement with Poland for supply of Ships	19
414 उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilizers . .	20
415 दिल्ली में गेहूं की चोरबाजारी	Sale of Wheat in Blackmarket in Delhi	20
416 दिल्ली के अध्यापक स्वतन्त्रता सेनानियों को पुनः रोजगार देना	Re-employment of freedom fighter Teachers of Delhi . . .	21
418 दिल्ली दुग्ध योजना के दूध को प्राप्त करने में जनता की कठिनाइयां	Difficulties of people in getting DMS Milk	21
420 जबलपुर में प्रागैतिहासिक संग्रहालय और उद्यान की स्थापना	Setting up of Pre-Historic Museum and Garden at Jabalpur . . .	22
421 सी० एम० डी० ए० का कार्यकरण	Functioning of C.M.D.A. .	22
422 सूरतगढ़ फार्म, राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Suratgarh Farm, Rajasthan	22
अता० प्र० संख्या	U. S. Q. No.	
3940 कनिष्ठ ड्राइंग अध्यापकों के खाली पदों का पेनल से न भरा जाना	Non Filling of vacancies of Junior Drawing Teachers from Panel . .	23
3941 जूनियर ड्राइंग टीचर्स की नियुक्ति के लिये नियमों का उदार बनाया जाना	Relaxation of Rules for Appointment of Junior Drawing Teachers . .	23
3942 जूनियर ड्राइंग टीचरों की ओर से उप राज्यपाल को ज्ञापन	Memorandum to Lt. Governor from Junior Drawing Teachers. . .	24
3943 पंजाब गार्डन, दिल्ली-26 में पेय जल और सीवर की सुविधायें	Provision of Drinking Water and Sewerage Facilities in Punjab Garden Delhi-26	24

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3944	विभिन्न राज्यों में साक्षरता की प्रतिशतता	Percentage of Literates in various states	25
3945	सांस्कृतिक संबंधों का प्रसार	Expansion of Cultural Relations	25
3946	चालू वर्ष के दौरान मूंगफली उत्पादों (ग्राउन्डनट एक्सट्रेक्शन्स) के निर्यात से भारतीय खाद्य निगम द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned by FCI during current year through Export of Groundnut extractions . .	26
3947	ड्राई लेट्रीनज को वाटर-बार्न लेट्रीनज में बदलने के लिये आंध्र प्रदेश में स्वाधीनता जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत नगरों का चुनाव	Selection of towns in Andhra Pradesh for Conversion of Dry Latrines into water borne latrines . . .	26
3948	अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की सिफारिशें	Recommendations of All India Council of Sports	27
3949	आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में जयंती गांव	Jayanthi Villages in Kurnool, Andhra Pradesh	28
3950	केरल राज्य को परिवार नियोजन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance to State of Kerala for Family Planning Schemes . .	28
3951	केरल के लिये 1973-74 के दौरान लघु पत्तनों के विकास हेतु धन राशि	Amount for Kerala for Development of minor ports during 1973-74 . .	29
3952	दादरा और नगर हवेली में बेघरबार व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये निःशुल्क प्लाट देना	Free Plots and construction of Houses for Homeless persons in Dadra and Nagar Haveli	29
3953	दादरा और नगर हवेली में टेरम प्लाटों का हस्तांतरण करने का अधिकार	Power of Transfer of Terum Plots in Dadra and Nagar Haveli . .	30
3954	न्यू मोतीनगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई में सुधार करने के लिये ऊंची टंकी की व्यवस्था	Provision of Upper Tank for Improvement of Water Supply in New Moti Nagar, New Delhi . . .	30
3955	चुकन्दर की काश्त	Sugar beet Cultivation	31
3956	आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियां	Co-operatives in Adivasi areas.	31
3957	ज्वार से प्रोटीन	Protein from Sorghum .	32

अता०प्र०संख्या U.S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3958	पंचवर्षीय योजना में कच्ची खाद का उत्पादन	Manufacture of Compost in Fifth Plan	32
3959	मध्य प्रदेश में वन सम्पदा का समुचित उपयोग	Proper use of Forest Wealth in Madhya Pradesh	33
3960	मध्य प्रदेश में भूजल	Under ground Water in Madhya Pradesh	33
3961	ट्रैक्टरों और उर्वरकों की खरीद के लिये मध्य प्रदेश किसानों को दिये गये ऋण	Loans advanced to Farmers of Madhya Pradesh for purchase of Tractors and Fertilizers	33
3962	मध्य प्रदेश में तम्बाकू की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में कमी	Shrinkage of Area under Tobacco in Madhya Pradesh	33
3963	वनस्पति के मूल्य में कटौती का बने रहना	Cut in Vanaspati price to stay	34
3964	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात की राशि को छोड़ देना	Waiving of Funds on Account of Import of Foodgrains Under PL-480	34
3965	दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की जांच करना	Testing of DMS Milk by Delhi Municipal Corporation	34
3966	राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum by Government Secondary Art Teachers Association, Delhi	35
3967	सायंकाल में दिल्ली कालेज, दिल्ली से दिल्ली परिवहन निगम की बसों को चलाने के लिये इस कालेज के छात्र प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन	Representation from student representatives of Delhi College, Delhi for starting DTC Buses from that College	35
3968	शरीर-रचना विज्ञानियों के राष्ट्रीय एसोशिएशन की भारतीय चिकित्सा परिषद् में प्रतिनिधित्व देने संबंधी मांग	National Association of Anato mists Demanded Representation in the Medical Council of India . .	36
3969	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति द्वारा सरकार को भेजे गये अनियमितताओं के मामले	Case of Irregularity Referred to Government by ICAR Enquiry Committee	36
3970	हैदराबाद में कृषि बैंकिंग सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Agricultural Banking at Hyderabad	37

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3971	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति द्वारा अनियमितताओं के मामलों की जांच में असमर्थता प्रकट करना	ICAR inquiry Committee's Inability to Examine cases of Irregularities	37
3972	समुद्र में हुई दुर्घटना से जापान से खरीदी गई उर्वरक की क्षति	Loss of Fertiliser bought from Japan in Accident on the Sea . . .	38
3973	इंडियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद में पोलैंड के नाम पर एक पीठ स्थापित करना	Polish chair at Indian School of Mines, Dhanbad	40
3974	वित्तीय संगठनों के माध्यम से छोटे तथा सीमान्तक किसानों को वित्तीय सहायता देने की योजना	Scheme for providing Financial Assistance to Small and Marginal Farmers through Financial Organisations .	40
3975	दक्षिण दिल्ली के विभिन्न कालेजों के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों की सप्लाई	Supply of Text Books to Students in various Colleges in South Delhi .	41
3976	इन्दौर में चाकलेट में लोहे का टुकड़ा	Chocolate Containing Iron Piece at Indore	41
3977	उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिये चीनी लाने हेतु मंदसौर और रतलाम जिलों के चीनी व्यापारियों को परमिट देना	Sugar Dealers of Mandsaur and Ratlam districts given permits to bring Sugar from Uttar Pradesh and Maharashtra	42
3978	तिप्तू (कर्नाटक) में एक बच्चे का बेचा जाना	Sale of a Child at Tiptu (Karnataka)	42
3979	खमीर (यष्टि) की आवश्यकता	Requirement of Yeast . .	42
3980	पश्चिम बंगाल में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of fertilizers in West Bengal	43
3981	भू-जल संसाधनों का मानचित्र तैयार करने के लिये सोवियत संघ की पेशकश	Soviet offer to Map Ground Water Resources	42
3982	उर्वरकों की मांग के संबंध में मतभेद	Differences over Demand for fertiliser	44
3983	बिहार द्वारा सिंचाई पम्पों की खरीद हेतु ऋण का उपयोग	Utilisation of loan by Bihar for purchase of Irrigation pumps . .	44
3984	गुजरात के राजकोट जिले में नलकूप लगाने के लिये धनराशि	Funds for Sinking Tube wells in Rajkot District, Gujarat	44

अता०प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3985 आंध्र प्रदेश में भूमिगत जल सिंचाई संसाधन	Ground water Irrigation Resources in Andhra Pradesh	45
3986 यूरिया के उत्पादों द्वारा इसके मूल्य में वृद्धि के लिये अनुरोध	Request from Manufacturers of Urea for Increase in its price . . .	45
3987 पंजाब के जिलों में नलकूप लगाना	Installation of Tube Wells in Districts of Punjab	46
3989 आंध्र प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियां	RSS Activities in Educational Institutions in Andhra Pradesh . . .	46
3990 सैंट्रल स्टेट फार्म रायचूर-मैसूर द्वारा संकर किस्म की कपास का रिकार्ड उत्पादन	Record production of Hybrid cotton at Central State Farm (Raichur-Mysore)	46
3991 दिल्ली की गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्यक्रम के लिये राशि में कटौती	Slashing in slum clearance Programme of Delhi	47
3993 रतलाम (मध्य प्रदेश) में वनस्पति के कारखाने की स्थापना	Setting up of Vanaspati Factory in Ratlam (M.P.)	47
3994 कापीराइट के लिये अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण	International Protection of copy right	47
3995 उड़ीसा में क्योंझर के स्थान पर सोऊरा विकास योजना	Soura Development Scheme at Keonjhar, Orissa	48
3996 कालेंजों और विश्वविद्यालयों में "प्लानिंग फोरम्ज" (आयोजन मंच)	Planning forums in Colleges and Universities	49
3997 बम्बई में चोरी छिपे ले जाये गये गोमांस का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Beef at Bombay	50
3998 गंगानगर, राजस्थान के एक किसान द्वारा गेहूं की किस्म के बीज का बिकास	Development of a New Wheat Seed by a Farmer of Ganganagar, Rajasthan	50
3999 कर्नाटक में मूंगफली का अनुमानित उत्पादन	Estimate of Groundnut in Karnataka .	51
4000 सितम्बर, 1973 के दौरान दिल्ली में हुआ मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Chief Ministers held in Delhi during September, 1973 .	52
4001 सब्जियों में विषैली किटाणुनाशक औषधियों का मिलाना	Mixing of Poisonous Pesticides in Vegetables	53
4002 राज्य कृषि विशेषज्ञों का सम्मेलन	Conference of State Agricultural Experts	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4003	दादरा और नगर हवेली में पशुओं के लिए चरागाह को अपने अधिकार में लेकर भूमिहीन आदिवासियों में बांटना	Take over of Cattle Grazing Land in Dadra and Nagar Haveli and its Distribution to landless Adivasis .	53
4004	पशु विकास योजना के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धांत	Guidelines for Cattle Development Scheme	54
4005	बम्बई से अमरीका जाने वाले जहाजों में चढ़ाये गये माल पर भाड़ा अधिप्रभार में वृद्धि	Increase in Freight Surcharge on Cargoes loaded from Bombay for USA .	56
4006	सहकारी संघों द्वारा उर्वरकों की सप्लाई के लिए अनुरोध	Request from Cooperative Federation for supply of Fertilizer . . .	57
4007	भारतीय खाद्य निगम, उत्तर क्षेत्र के कमचारियों द्वारा प्रदशन	Domostration by Employees of FCI North Zone	57
4008	बुवाई के लिए गेहूं तथा चने के बीज की कमी	Shortage of Seed Wheat and Seed Grams for Sowing	57
4009	जंगलों को काट कर उस क्षेत्र को कृषि के लिए वितरित करना	Cleaning of Forest Area and its Distribution for cultivation . . .	58
4010	उर्वरकों में मिश्रित पदार्थों की जांच	Testing of Admixures in Fertilisers	58
4011	सघन कृषि फार्म	Intensive Agricultural Farms . .	59
4012	दिल्ली प्रशासन द्वारा मेडिकल कालेजों और अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेने की योजना	Scheme to take over Medical Colleges and Hospitals by Delhi Administration	59
4013	गेहूं की नई बौनी किस्म से उत्पादन	Performance of New Dwarf variety of Wheat	59
4014	खाद्यान्न सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन की योजना	FAO Plan to ensure Food Supplies	60
4015	मुगल लाइंस द्वारा मालबन, धाबोल और अछरा बंदरगाहों को स्टीमर सेवा से जोड़ना	Covering of Steamer Service to Malvan, Dhabol and Achra Ports by Moghul Lines	60
4016	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुस्लिम थ्यौलाजी विभाग	Muslim Theology Department of Aligarh Muslim University . . .	61
4017	पटना का विकास	Development of Patna	62
4018	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी	FCI Employees	62

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4019	रांची बिहार में उर्वरको का गड़बड़ घोटाला	Bungling of Fertilisers in Ranchi, Bihar	62
4020	राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने की योजना	Scheme for Broadening of National Highways	63
4021	राशन की दुकानों से मिलने वाले गेहूं की मात्रा की कमी	Reduction in wheat supplied by ration shops in Delhi	63
4022	दिल्ली परिवहन निगम में कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees in DTC	63
4023	केरल से शिशु आहार तथा दुग्ध चूर्ण के लिए अनुरोध	Request from Kerala for Baby Food and Milk Powder	64
4024	चीनी की मासिक निकासी का सिद्धांत और विभिन्न चीनी मिलों के लिए निर्धारित कोटा	Principle for monthly release of sugar and quota fixed for various sugar Mills	64
4025	कृषि उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिये व्यवस्था को दृढ़ बनाना	Strengthening machinery to cope with Adulteration of Agriculture Production	64
4026	प्राथमिक कृषि समितियों से लम्बे समय से पड़ी बकाया राशि की वसूली	Recovery of overdues from Primary Agricultural Societies	65
4027	भारतीय जहाजों से बंगला देश को माल की ढुलाई	Carry of Goods to Bangladesh by Indian Ships	67
4028	गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों की विकास की योजना	Scheme to develop National Highways in Gujarat	67
4029	भोरे तथा मुदलियार समितियों की सिफारिशें	Recommendation of the Bhore and Mudaliar Committes	67
4030	अखिल भारतीय गैर-मुस्लिम उर्दू लेखक सम्मेलन	All India Non Muslim Urdu Writers Conference	68
4031	गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी को एशिया फौंडेशन से धन	Asia Foundation Funds to Gandhian Institute of studies at Varanasi	69
4032	दिल के दौरे की जांच का नया तरीका	New methods of examination of Heart Attacks	69
4033	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से चुराये गये सिक्के	Coins stolen from National Museum, New Delhi	69
4035	किसानों का खाद और बीज सस्ते दामों पर देने की योजना	Scheme for supply of Fertilizers and Seeds to Farmers at Cheap rates	70

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4036	देश में अप्रशिक्षित फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण	Training to untrained Pharmacists in the Country	70
4037	ट्रैक्टरों की आयात	Import of Tractors	71
4038	ऊन उद्योग	Wool Industry . .	71
4039	दिल्ली प्रशासन द्वारा सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली का अधिग्रहण	Taking over the Safdarjung Hospital, New Delhi by Delhi Administration	72
4041	परिवार नियोजन तथा नवीनतम तरीकों के संबंध में अनुसंधान	Research in latest methods in Family Planning	72
4043	दिल्ली में कैंसर रिसर्च सेंटर	Cancer Research Centre in Delhi	73
4044	बसों और ट्रकों के लिये कोल-गैस संयंत्रों की स्थापना	Setting up of coal gas plants for Buses and Trucks	73
4045	लारेंस रोड क्षेत्र, दिल्ली में डाकघर के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थान की व्यवस्था	Provision of DDA accommodation for Post Office in Lawrence Road Area, Delhi	74
4046	उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से अतिरिक्त गेहूं के लिये अनुरोध	Request from U.P. and other States for additional Wheat . . .	74
4047	भारतीय नौवहन की देश के व्यापार की आवश्यकतायें पूरी करने में विफलता	Failure of Indian Shipping to cater to Home Trade	74
4048	राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किया अध्ययन	Study carried out by National Institute of Nutrition	75
4049	चेम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली के लिये आवंटित भूमि	Land allotted for Chelmsford Club, New Delhi	75
4050	गत छह महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाजों की वसूली	Procurement of Cereals by FCI during last six months	75
4051	दिल्ली प्रशासन के अधीन आरक्षित पदों पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों को स्थायी बनाना	Confirmation of SC and ST Teachers working against reserved posts under Delhi Administration . .	77
4052	गुजरात द्वारा सोलवेंट एक्सट्रेक्शन प्लाट और खली के व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Solvent Extraction Plant and Oil Cake Trade by Gujarat	78

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4053	निर्बाध बिक्री की चीनी का मूल्य	Price of Free Sale Sugar . . .	78
4954	भारतीय नौवहन कम्पनियों के मालिकों द्वारा 'कन्टेनरों का प्रयोग'	Use of Containers by Indian Shippers	79
4055	राज्यों को सप्लाई किये जाने वाले गेहूं के निकासी-मूल्य में वद्धि	Rise in issue price of wheat supplied to States	79
4056	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को हुई हानि	Loss suffered by Central Road Transport Corporation	79
4057	दिल्ली में अगस्त से अक्तूबर 1973 तक पकड़े गये जाली राशन कार्ड	Ghost Ration Cards detected in Delhi from August to October, 1973 .	80
4058	सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश	Admission to Central Schools	81
4059	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के प्लास्टिक शल्य चिकित्सा एकक के लिये डाक्टर	Doctor for Plastic Surgery Unit of Maulana Azad Medical College, Delhi	81
4060	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली का प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा एकक	Plastic Surgery Unit of Maulana Azad Medical College, Delhi . . .	82
4061	मरणासन्न महिला की सहायता करने के लिए डाक्टरों द्वारा "इन्कार किया जाना"	Doctors 'Refuse' to help Dying Woman	82
4062	बिहार में सेंट्रल स्कूल	Central Schools in Bihar . .	83
4063	डाक तथा तार विभाग और रेलवे के ढंग पर फ्लैटों और क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Flats and quarters on the Pattern of P & T and Railways	84
4064	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड तक निर्मित निम्न आय वर्ग के लिये फ्लैट	Low Income Group Flats at Lawrence Road by DDA	85
4065	दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरह पटना विकास प्राधिकरण की स्थापना	Creation of Patna Development Authority on the Lines of DDA . .	85
4066	मच्छरों से बिहार में स्वास्थ्य को खतरा	Health Hazard in Bihar by Mosquitoes	86
4067	राष्ट्रीय बीज निगम के बेकार बीजों की पुनः बिक्री पर रोक	Check on Resale of Unfit Seeds of National Seeds Corporation .	86
4068	दिल्ली विश्वविद्यालय के रिसर्च प्रोजेक्टस में भ्रष्टाचार	Corruption in Delhi University Research Projects	86

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4069	पी० एच० डी० पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नियतन	Allocation by UGC for Scholarship to Students pursuing Ph. D. Courses .	87
4070	सेंट्रल स्कूलों में 12वर्षीय पाठ्यक्रम	12-Year Course in Central Schools	88
4071	दिल्ली विश्वविद्यालय में पी० एच० डी० डिग्री के लिये पंजीकृत छात्र	Students Enrolled for Ph. D. Degree in Delhi University . . .	89
4073	कलकत्ता गंदी बस्ती सफाई योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण	Construction of Tenements under the Calcutta Slum Clearance Scheme	91
4074	गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Private Shipping Companies	91
4076	महाराष्ट्र के लिये नवम्बर, 1973 की वसूली तथा खुले बाजार की चीनी के लिये रिलीज आर्डर में विलंब	Delay in release order for levy and free sale sugar for Maharashtra for November, 1973	92
4077	उर्वरकों के वितरण में गैर-सरकारी व्यवस्था का योगदान	Role of private channel in distribution of fertilizer	93
4078	सतारा नगर से बाहर पूना-बंगलौर राष्ट्रीय राजपथ पर सहायक सड़क (बाई पास) पर कार्य	Work on bypass outside Satara City on Poona–Bangalore National Highway	93
4079	पूना-बंगलौर राष्ट्रीय राजपथ की साहय्यक सड़क तथा पुल पर कार्य	Work on bridge and by pass on Poona-Bangalore National Highway . .	94
4080	1973-74 के लिये धन की कमी के कारण महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजपथ विंग का बंद होना	Closure of National Highway Wing in Maharashtra due to reduction of funds for 1973-74 . . .	94
4081	गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के मामले	Cases of Medical termination of Pregnancy	95
4082	केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के रख-रखाव के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि	Amount granted by Central Government on the maintenance of Central Government Hospitals and CGHS Dispenpansaries.	97
4083	वनस्पति तेल का मूल्य	Price of Vanaspati Oil .	98

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4084	जनजाति विकास के लिए पायलट परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Pilot Projects for Tribal Development.	98
4085	दीवाली के त्यौहार पर दिल्ली में वनस्पति घी की कमी और बाद में उसका प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना	Scarcity of Ghee on Diwali eve and its abundance afterwards in Delhi .	99
4086	देश में पटरियों पर सोने वाले व्यक्ति	Pavement dwellers in the country	100
4087	राज्यों में वनस्पति संरक्षण परियोजना	Plant protection project in States	100
4088	पांचवीं योजना में सहकारी समितियों के कार्य में सुधार	Improvement in role of cooperative societies during Fifth Plan . .	101
4089	अंतर्देशीय जल परिवहन योजनाओं का विकास	Development of inland water transport schemes	101
4090	एक दिन के नर चूजों के बारें में नीति	Policy Regarding one day old Male Chicks	102
4091	आवास पर सरकार का व्यय और इसके लिए ऋण	Government Expenditure on housing and loans therefor . . .	102
4092	वसूली मूल्य को उत्पादन लागत के साथ जोड़ना	Linking of procurement price with cost of production	103
4094	तूतीकोरिन पत्तन पर निर्माण कार्य	Construction work at Tuticorin Harbour	104
4095	आई० आई० टी० हौजखास, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum submitted by Employees of IIT, Hauz Khas, New Delhi	104
4096	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी	Number of Temporary Employees in the Ministry of Health and Family Planning	104
4097	निर्माण और आवास मंत्रालय में काम कर रहे कर्मचारी	Number of employees working in the Ministry of Works and Housing .	104
4098	राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण और विकास के लिए मध्य प्रदेश को धनराशि	Amount to M.P. for construction and Development of National Highways	105
4099	दिल्ली दुग्ध योजना से दुग्ध वितरण केन्द्रों से होटलों को दूध की सप्लाई	Sale of Milk to Hotels from DMS Booths	105
4100	वनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Vanaspati Industry	105
4101	छोटानागपुर, बिहार के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank Aid for Development of Chotanagpur, Bihar . . .	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4102	छोटानागपुर और सरगूजा के आदिवासी क्षत्रों में अस्पतालों की स्थापना	Opening of Hospitals in the Tribal Belt of Chotanagpur and Sarguja	106
4103	भारतीय खाद्य निगम, भावनगर द्वारा गोदाम वापस करना	Surrendering of Godowns by FCI Bhavnagar	106
4104	गुजरात में बंदरगाहों का विकास	Development of Ports in Gujarat	107
4105	उर्वरकों की कमी और इनका आयात	Shortage and Import of Fertilizer	108
4106	विदेशों में भेजे गए सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural Delegations sent Abroad	109
4107	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भवन खाली करना	Vacation of Building in BHU by RSS	110
4108	गहन भेड़-पालन कार्य के लिए भूमि का आरक्षण	Reservation of Land for Intensive Sheep Breeding	110
4109	धामारा उड़ीसा में मत्स्य पत्तन के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण	Revision of Estimates of Fishing Port at Dhamara, Orissa . . .	110
4110	कोचीन पत्तन पर कार्य	Work at Cochin Port . . .	111
4111	दिल्ली में मिशिनरी स्कूलों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकें	Text Books prescribed in Missionary Schools in Delhi . . .	112
4112	केरल में प्रकाश स्तम्भ (लाइट हाउस)	Light Houses in Kerala .	112
4113	दिल्ली में बनस्पति की बिक्री पर से नियंत्रण हटाना	Lifting control on sale of Vanaspati in Delhi	113
4114	उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और नैनीताल जिले में विश्वविद्यालय स्थापित करना	Universities in Garhwal and Nainital in U.P.	113
4115	विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता की मरम्मत के लिये केन्द्रीय आवंटन	Central Allocation for repair of the Victoria Memorial, Calcutta . .	114
4116	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधीन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश	Admission in Educational Institutions under Central Universities . .	114
4117	वर्ष 1972–73 के दौरान छोटी सिंचाई योजनाओं से सिंचित अतिरिक्त भूमि	Additional area irrigated through Irrigation works during 1972-73 .	114

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4118	मंदिरमार्ग, नई दिल्ली के निकट बहुमंजिले टाइप चार के क्वार्टर	Multistoreyed Type IV Quarters project near Mandir Marg, New Delhi	116
4119	भुवनेश्वर तथा मैसूर में सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों का कार्य	Functioning of Government Printing Presses at Bubaneshwar and Mysore	117
4120	'टास्क फोर्स' द्वारा प्रेसों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन	Review of the Presses by the Task Force	117
4121	कुल फसल वाले क्षेत्र की तुलना में भू-जल द्वारा सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता	Percentage of Area Irrigated by Ground Water to Cropped Area	118
4122	अधिक उपज कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में कीटनाशी औषधियों के लिये राजसहायता	Subsidy on Pesticides in High Yielding programme Areas	119
4123	भारत सरकार के सभी क्षेत्रों में पर्यवेक्षक पद	Supervisory Posts in all Presses of Government of India . . .	119
4124	सीमांत कृषक खेतिहर मजदूर का कार्यकरण	Performance of Marginal Farmers Agricultural Labour . . .	120
4125	उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिये पृथक ब्यूरो	Separate Bureau for Promotion of Urdu	120
4126	ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग की जोतों का राज्यवार ब्यौरा	State-wise break up of holding of Economically Weaker Sections of Rural Community . . .	121
4127	दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर अश्रु गैस छोड़ा जाना	DDA Employees Teargassed	122
4128	पशुओं के बध के लिये नई पद्धति	New Techinque for Slaughter of Animals	122
4129	बिहार की उर्वरक सप्लाई में वृद्धि करने के लिए अनुरोध	Request for increase in Fertilizer supply to Bihar	123
4130	कलकत्ता-आस्ट्रेलिया नौवहन सम्मेलन द्वारा भाड़े में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase Freight by Calcutta-Australia Shipping Conference	123
4131	दिल्ली के स्कूलों में आपत्तिजनक पाठों वाली पाठ्य पुस्तकें	Text Books in Delhi Schools containing Objectionable Chapters . . .	124
4132	'स्टेट्स आफ आवर यूनियन' माला के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित शीर्षक	Titles published by National Book Trust under 'States of our Union' series .	124

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4133	इंडिया आफिस लाइब्रेरी को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेना	Acquisition of India Office Library	125
4134	दिल्ली स्कूल शिक्षक सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड के अधिकारियों को मूल कागजात उपलब्ध कराना	Availability of Basic Documents of the Delhi School Teachers Cooperative House Building Society Limited .	125
4135	पंजाब को गेहूं का आबंटन	Allotment of Wheat to Punjab	126
4136	पंजाब को चीनी का कोटा	Sugar Quota to Punjab .	127
4137	केवल घटिया धान के मूल्य वृद्धि के कारण	Reasons for increases in price of Coarse variety of Paddy only . . .	127
4138	गेहूं के निर्गम मूल्य (इश्यू प्राइस) को कम करने का प्रस्ताव	Proposal for reduction in issue price of wheat	127
4139	विपणन तथा निरीक्षण विभाग द्वारा नई प्रयोगशालाओं की स्थापना	Setting up of new laboratories by Marketing and inspection Department	128
4140	मणिपुर में वर्षा के कारण फसल की क्षति	Loss of Crop due to rain in Manipur	129
4141	मणिपुर मेडिकल कालेज, इम्फाल के लिये भवन का निर्माण	Construction of Building for Manipur Medical College, Imphal . .	129
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना—		Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance— . .	
झरिया कोयला क्षेत्र से कोयले की सप्लाई बंद हो जाने के कारण भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों में उत्पादन के वस्तुतः रुक जाने का समाचार		Reported Virtual Halt in the Production of Steel Plants at Bhilai and Durgapur owing to breakdown in the coal supply from Jharia coalfield . .	130
श्री वसन्त साठे		Shri Vasant Sathe	135
श्री सुबोध हंसदा		Shri Subodh Hansda	135
विशेषाधिकार का प्रश्न—		Question of Privilege—	
लोक सभा के उपाध्यक्ष श्री जी० जी० स्वैल के विरुद्ध मेघालय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया विशेषाधिकार प्रस्ताव		Reference of a Privilege Motion against Shri G. G. Swell, Deputy Speaker Lok Sabha, to Privileges Committee to Committee of Mehalaya Legislative Assembly	139
सभा पटल पर रखे गये पत्र—		Papers Laid on the Table— .	147
दोनों कोरिया देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बारे में वक्तव्य		Statement Re. Establishment of Diplomatic Relations with the two Koreas	149

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	
अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना	Disturbed Areas (Special Courts) Bill—Extension of Time for presentation of Report of Joint Committee .	150
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377— .	
महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा-विवाद	Border dispute between Maharashtra and Karnataka States . . .	150
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश, 1973 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Disapproval of Central Excises and Salt (Amendment) Ordinance, 1973 and Central	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण (दूसरा संशोधन) विधेयक	Excises and Salt (Second Amendment) Bill	151
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . .	152
डा० यशवंतराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan	153
श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Shri Lakashmi Narayan Pandeya	154
श्री सोम नाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	154
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	155
श्री ईरा सेझियान	Shri Sezhiyan .	155
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	157
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	157
श्री नवलकिशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma .	159
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	160
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1971–72— प्रस्तुत की गईं	Demands for Excess Grants (General) 1971-72—presented . . .	151
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour discussion— . .	
खाद्यान्नों की वसूली एवं वितरण के लिये अपनी एजेंसियां रखने वाले राज्य	States having own Agencies for procurement and Distribution of Foodgrains	162
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	162
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	162

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 10 दिसम्बर, 1973/19 अग्रहायण, 1895 (शक)

Monday, December 10, 1973/Agrahayana 19, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह वजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 25वीं वर्षगांठ

TWENTYFIFTH ANNIVERSARY OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में अपनायी गयी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की आज 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अतः यह उचित होगा कि हम आज की कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व इस ऐतिहासिक घोषणा का स्मरण करें। आपको याद होगा कि 10 दिसम्बर, 1958 को इसकी 10वीं वर्षगांठ पर और 10 दिसम्बर, 1968 को उक्त घोषणा की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस सभा में उक्त घोषणा का उल्लेख किया गया था। घोषणा में मानव जाति के अभीष्ट आदर्शों का उल्लेख है और इसमें ऐसे मूलभूत सिद्धान्तों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है जो विश्व के प्रत्येक मानव को जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा अन्य मत, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य कारणों मे भेदभाव अथवा किसी प्रतिबन्ध के बिना प्रगति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। राष्ट्र संघ के सदस्य देश एक पक्षीय, द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय आधारों पर घोषणा में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

यह बड़े खेद और चिन्ता का मामला है कि फिर भी दो-तिहाई से अधिक जनसंख्या अभी भी निर्धनता और दयनीय दशा में है। घोषणा के उच्च आदर्शों और राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की तब तक कोई महत्ता नहीं जब तक कि इन लाखों लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा न किया जाये।

यह भी उतनी ही चिन्ता की बात है कि विश्व के कई भागों में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी हाल ही में हम विश्व के इस भाग में मानव, की मूल-भूत स्वतंत्रता के दमन चक्र को अपनी आंखों से देख चुके हैं। इस दमन चक्र में मानव को जो विप-दाएं सहनी पड़ीं, वह हाल ही के इतिहास की महान घटनाएं हैं। (जनवादी बंगला देश की प्रभुसम्पन्नता और स्वतंत्रता के जन्म का उल्लेख किया गया है)। कुछ देशों में किसी न किसी प्रकार का भेदभाव चल ही रहा है। रंगभेद की नीति वास्तव में मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। रंगभेद की नीती तथा अन्य प्रकार के भेदभावों को तत्काल दूर करने की बड़ी आवश्यकता है और समूचे विश्व समुदाय को उपनिवेशवाद के सभी अवशेषों को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिएं।

भारत, निरन्तर और दृढ़तापूर्वक उक्त घोषणा का समर्थक रहा है और उसने सामूहिक प्रयास में यथासम्भव सहायता की है । घोषणा में उल्लिखित मूल सिद्धान्तों की हमारे संविधान में व्यवस्था है।

जब मैं यह कहता हूं कि यह सभा उन सिद्धान्तों पर चलने और मानवता के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण रूप से अनुभव करती है, तो मुझे विश्वास है मैं सभा के सब सदस्यों की भावना को व्यक्त कर रहा हूं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सुझाया गया मछली उत्पादन कार्यक्रम

*406. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने मछली उत्पादन बढ़ाने के किसी कार्यक्रम की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशस्थ मीन उद्योग अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अनुसंधानों के परिणामों के आधार पर बड़ी भारतीय कार्प मछलियों तथा कुछ विदेशी कार्प के प्रयोग से मिश्रित मीन-पालन तकनीक का विकास किया गया है। मीन फार्म के जल के ऊपरी भाग, जल के बीच के भाग तथा तल में पाली जाने वाली मछलियां उपयुक्त मेल के लिये चुनी जाती हैं, यह इनको एक साथ पालने के लिये जल की उपलब्धि पर निर्भर करता है, ताकि फार्म में मीन-आहार का अधिकतम उपयोग हो सके।

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों (जहां अन्तर्देशस्थ मीन-पालन परम्परागत ढंग से किया गया है) की प्रतिक्रिया पूर्ण प्रोत्साहनात्मक रही है।

श्री सी० जनार्दनन : मुख्य सिफारिशें देश में मछली पालन के सम्बन्ध में हैं । क्या गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण का विकास करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे दुःख है। मैं यह समझा था कि प्रश्न का आशय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा देश में मछली उत्पादन के विकास के सम्बन्ध में आरम्भ की गई परियोजनाओं से है। जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का सम्बन्ध है, मछलियों का पता लगाना इस बारे में मुख्य पहलू है, यद्यपि इसमें अनुसंधान के कुछ पहलू भी शामिल हैं। जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का सम्बन्ध है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पास इस बारे में कोई विशेष परियोजनाएं नहीं हैं।

श्री सी० जनार्दनन : उत्तर के अन्तिम भाग में मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि राज्य सरकारों की इस बारे में प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। राज्य सरकारों ने मछली उद्योग के विकास के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हाल ही में हमने पांच राज्यों—आसाम, पश्चिम बंगाल, मैसूर, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन विकास सम्बन्धी एजेंसियां स्थापित की हैं। अगामी वर्ष जब पांचवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ होगी तो हमारा विचार इन सब राज्यों में जिनमें केरल राज्य भी शामिल है, उक्त योजनाएं आरम्भ करने का है। उक्त एजेंसी मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये राज सहायता प्राप्त देशों को बड़ी मात्रा में मछली बीज उपलब्ध करायेगी। यह किसानों और प्रसार कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देगी। इस विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने देश में मछली पालन सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये हैदराबाद में एक संस्था स्थापित की है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : जहां तक देश में मछली पालन के बारे में अनुसंधान का सम्बन्ध है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कोई विशेष प्रगति नहीं की है। क्या मछली उत्पादन में विकास के सम्बन्ध में कार्यवाही करते समय सरकार साथ साथ मछली परिरक्षण के सम्बन्ध में भी कुछ कार्यवाही कर रही है जिससे लोगों को मछली उत्पादन के सम्बन्ध में प्रोत्साहन मिले ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे दुःख है मेरे पहले उत्तर का माननीय सदस्य ने गलत अर्थ निकाला है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि जहां तक देश में मछली पालन का सम्बन्ध है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कोई अनुसंधान कार्य नहीं कर रही है। जहां तक देश में मछली पालन का सम्बन्ध है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने विशेष परियोजनाएं आरम्भ की हैं और उनके कुछ परिणाम भी निकले हैं। हम सब अनुसंधान परियोजनाओं का समन्वय कर रहे हैं। उक्त कार्यक्रम को पांच राज्यों में आरम्भ किया गया है और हमारा विचार पांचवीं योजना के दौरान इसका अनेक राज्यों में विस्तार करने का है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अनुसंधान के सब पहलुओं जिनमें मछली परिरक्षण भी शामिल है, को बहुत महत्व देती है।

Shri Nar Singh Narain Pandey : I want to know whether the hon. Minister is aware that after the land reforms, the Gram Samaj or other people have registered in their names all the ponds and pokhers, where inland fisheries could be developed, as a result of which there is no land available for constructing ponds ? I also want to know whether the Government intends to write to the State Government so that the aims and objects included in the Five Year Plan may be fulfilled ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमें इस समस्या की जानकारी है। वास्तव में देश में मछली पकड़ने के बारे में एक समस्या भूमि को पट्टे पर देने की पद्धति है जिसके परिणामस्वरुप पट्टेधारी तालाबों आदि के विकास के बारे में रुचि नहीं रखते। हमने इस पहलू के बारे में राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में हम भूमि को पट्टे पर देने पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन हमने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि यदि भूमि को पट्टे पर ही दिया जाना है तो ऐसा केवल पांच वर्ष के लिये किया जा सकेगा। राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही हैं कि मछुओं को इन तालाबों में मछलियों का पता लगाने के स्थायी अधिकार दे दिये जायें।

श्री शक्ति कुमार सरकार : उनके उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि "कम्पोजिट कल्चर" परियोजना क्या है? क्या उक्त योजना किसी राज्य में आरम्भ की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह प्रश्न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई सिफारिशों के बारे में है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य का विचार ठीक है। हम इसे 'कम्पोजिट कल्चर' परियोजना कहते हैं, क्योंकि जल में तीन स्तर होते हैं। कुछ भोजन तल पर उपलब्ध होता है और कुछ तल और ऊपरी भाग के बीच में।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा कर्त्तव्य तो इस बात को देखना है कि क्या प्रश्न संगत है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम इसे 'कम्पोजिट कल्चर' कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि कभी कभी सदस्य और मंत्री एक दूसरे के लिये इतने सहायक होते हैं कि अध्यक्ष का कोई महत्व नहीं रह जाता। मूल प्रश्न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सिफारिशों से सम्बन्धित है। यदि उनका प्रश्न इसके अन्तर्गत आता है तो आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये प्रयोग को 'कम्पोजिट कल्चर' कहते हैं।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसी कोई योजना आरम्भ की गई है अथवा यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का सूझाव मात्र है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त परियोजना आरम्भ की जा रही है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि कुछ समुद्री तट वर्ती क्षेत्रों में कीटनाशी दवाई के फसलों पर छिड़कने से बड़ी मात्रा में मछलियां नष्ट हो गईं और यदि हां, तो क्या इस बात की उचित सावधानी बरती जायेगी कि मछलियां न मरें? उदाहरण के तौर पर, गोआ और अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में मछलियों को इस प्रकार मारा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री दण्डवते आप अभी आये हैं। मूल प्रश्न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सिफारिशों के बारे में है।

प्रो० मधु दंडवते : मछलियों के उत्पादन का सम्बन्ध उनके नष्ट होने से भी है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह मछलियों के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाला बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं केवल यह कह सकता हूं कि उक्त पहलू की ओर सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन जहां तक गोआ का सम्बन्ध है यह एक भिन्न समस्या है क्योंकि ऐसा समाचार मिला है कि जल विदूषण से मछलियों पर प्रभाव पड़ा है। इसका पता लगाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है। जहां तक सामन्य समस्या का सम्बन्ध है, हमें कीटनाशी दवाइयां छिड़कते समय इस बात की सावधानी बरतनी चाहिये कि इसका अन्य समुद्री जानवरों, जिनमें मछलियां भी शामिल हैं, पर कोई प्रभाव न पड़े। इस ओर सरकार ध्यान दे रही है।

Renting of a Nursing Home Building in New Delhi

***408. Dr. Laxmi Narain Pandey** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a Nursing Home building in New Delhi ha s been taken on an annual rent of Rs. 18 lakhs by Government ;

(b) if so, the main purposes for which it will be utilised ;

(c) whether Government will spend some money on additions and alterations therein also ;

(d) if so, the amount thereof ; and

(e) the cost of this building ?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b), (c), (d) & (e) Do not arise.

Dr. Laxmi Narain Pandey: Although The Hon. Minister has said 'No' in reply to my question, yet so far as my information goes, a building like that has been taken by the Health Ministry on a rent of 18 lakh rupees per annum. I want to know whether an investigation will be made to see whether such a building have been taken if not for the Nursing Home, then for some other purposes ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न तक ही सीमित रहें। आपने नर्सिंग होम के बारे में प्रश्न पूछा था और उन्होंने इसका उत्तर 'नहीं' में दिया था। आप इस बारे में स्वयं जांच कर सकते हैं।

Dr. Laxmi Narian Pandey : Although he has stated in his reply that no such building has been taken for Nursing Home. It is possible that the building might have been taken for some other purposes.

Dr. Karan Singh : So far as I understand, the hon. Member's question relates to Dr. Sen's Nursing Home....

Dr. Laxmi Narain Pandey : I want to know whether any building has been taken on rent for any Nursing Home.

Dr. Karan Singh : It might have been taken for Nursing Association but the hon. Member has asked whether any building has been taken for Nursing Home. The hon. Member should ask a separate question for it.

Dr. Laxmi Narain Pandey : The hon. Minister has replied that the building has not been taken for Nursing Home.

Mr. Speaker : If some mistake has been committed by the Hon. Minister, the hon. Member should ignore it.

Dr. Laxmi Narain Pandey : In case the building was taken for Nursing Association, I want to know whether the hon. Minister would give the details thereof.

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता।

Incentives for Research in Agriculture

***409. Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government provide some kind of encouragement to those who have done agricultural research ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the number of persons who have been given any incentive or awards so far ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गय/देखिए संख्या एल०टी० 5953/73]

Shri Lalji Bhai : May I know whether any particular scheme to check the increasing acreage of desert is under consideration of the Government and what are the particulars of the research works undertaken to convert the desertareas into cultivable land ? May I also know the results of the experiments made in the field of dry farming and the desert areas, if any, in which research works have been undertaken.

Mr. Speaker : You have asked as to whether Government have provided some kind of encouragement to those who have done agricultural research. Your supplementary is not related to this.

Shri Lalji Bhai : I have asked about the research work as to whether there is any scheme under consideration of the Government to check the increasing acreage of desert in the country.

Mr. Speaker : This does not arise out of that. I can not allow this.

Shri Lalji Bhai : I am asking about agricultural research. I want to know whether the Government have worked out any scheme to check the increasing desert ?

Mr. Speaker : This supplementary does not arise at all out of the main Question. Have you seen the question which you have given a notice of. If the hon. Minister wants to reply, I have no objection.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह मूल प्रश्न के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता है। मूल प्रश्न यह है कि वैज्ञानिकों को क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

Shri Lalji Bhai : I have asked about the results achieved from the experiments made in the field of dryfarming and the areas in which research works are being undertaken,

Mr. Speaker : This is not related to your original question you kindly go through the main Question I will give you a chance,i

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने जो विवरण दिया है उसके उपलब्ध छात्रवृत्तियों का ब्यौरा दिया गया है और उन छात्रों की संख्या बतायी गई है जिन्हें अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिये छात्रवृतियां दी गयीं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शोध छात्रों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा उनके शोध ग्रन्थों को प्रकाशित कराके प्रोत्साहन दे रही है और क्या शोध छात्रों को ऐसे निष्कर्षों और निर्णयों पर पहुंचने के लिये पूरी स्वतंत्रता दी जाती है जो स्वीकृत मानकों तक संस्थानों और वरिष्ठ तथा श्रेष्ठ वैज्ञानिकों और छात्रों द्वारा निकाले गये निष्कर्षों के विपरीत हों?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित कराने के लिये प्रत्येक प्रोत्साहन दिया जाता है। एक प्रावधान यह है कि यदि किसी विशेष वैज्ञानिक का किसी विशेष बात में कोई मतभेद है तो इस विषय में चर्चा के लिये एक फोरम की व्यवस्था है। सरकार ऐसे प्रकाशनों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक आवश्यक कदम उठाती है।

श्री वाई०एस० महाजन : जवाहर लाल नेहरू के नाम में पांच पांच हजार रुपये के मूल्य के पांच पारितोषिक हैं। परन्तु अब तक केवल चार पारितोषिक बांटे गये हैं। क्या इसका यह तात्पर्य है कि हमारे यहां पर्याप्त शोधछात्र उपलब्ध नहीं होते जिन्हें उनके अध्ययन के दौरान प्रोत्साहन दिया जा सके? इस सम्बन्ध में क्या कठिनाई है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कार्य निरन्तर चलता रहता है। हम संस्थानों के निदेशकों तथा कृषि निदेशक आदि से सुझाव मांगते हैं और जैसे-जैसे मामले हमें प्राप्त होते हैं हम उनपर कार्यवाही करते हैं। ऐसी कोई विशेष छात्रवृति योजना नहीं है जिससे प्रोत्साहन नहीं दिया गया हो जिसका कि माननीय सदस्य ने संदर्भ दिया है । ये पांच पारितोषिक एक विशेष अवधि में दिये गये हैं।

श्री बी० वी० नायक : प्रश्न के (ग) भाग जिसमें उन लोगों की संख्या पूछी गई है जिन्हें अब तक प्रोत्साहन दिये गये हैं अथवा प्रस्तुत किया जा चुका है, के उत्तर में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उन लोगों के नाम भी दिये जा सकते थे जिन्हें पद्मश्री, पद्मविभूषण, भारतरत्न तथा अन्य ऐसी उपाधियों से विभूषित किया गया है जबकि डा० स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिक को फिलिपाइन्स के रेमजे मैगसाइसे जैसे अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये मान्यता दी गई है। इस प्रकार हमें यह जानकारी उपलब्ध हो जाती कि देश पर्याप्त ऐसे किन-किन वैज्ञानिकों को ऐसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, डा० स्वामीनाथन को भारत सरकार की योजना से बहुत उच्चकोटि का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य सभा के एक सदस्य डा० रमैया जो हमारे साथी हैं, को पुरस्कार दिया गया है। बहुत से अन्य वैज्ञानिकों को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वर्ष हमें वैज्ञानिक संस्थानों से सुझाव प्राप्त होते हैं। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से अवगत हूं और मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हम सम्मानित करने के प्रयास करते है और सार्वजनिक जीवन में आवश्यक सम्मान प्रदान करते हैं और ऐसा करने के लिये हम प्रयास करेंगे।

Shri Lalji Bhai : I have asked whether the Government are taking steps to check the increasing acreage of desert in the country, if not, the hon. Minister should explain about it. I am not satisfied with his reply.

Mr. Speaker : This does not arise out of it.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : The hon. Minister has said that four students have been awarded Jawahar Lal Nehru award for agricultural research. May I know the subjects of their agricultural research?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वे विषय है जैनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में डा० हुक्म चन्द बंसल ; मत्स्य-विज्ञान में डा० विश्वनाथ मिश्र ; पौधों सम्बन्धी जीवाणु, विज्ञान डा० वाई० पी० राव, कृषि इंजीनियरिंग, डा० प्यारा मोहन सिंह ।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : I have asked as to what particular research work they have done. These are the subjects in which they have got their degrees. But I want to know their particular research works.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने पुरस्कारों के बारे में बताया, पी० एच० डी० के बारे में नहीं।

चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मुगल लाइन्स में खपाना

*412. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण स्टीमर सर्विस से संबंधित चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड के कर्मचारियों को, इस सेवा से सरकारी नियंत्रण में लाए जाने के बाद, मुगल लाइन्स में खपाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और क्या उन्हें निरन्तर सेवा के सभी लाभ मिलेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) समुद्रगामी स्टाफ अधिकारी तथा छोटे अधिकारी और 57 तटीय कर्मचारी जो पहले मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लि० कम्पनी में कार्य करते थे, को कोंकन यात्री को अधिकार में लेने पर मैसर्स मुगल लाइन लि० द्वारा पुनः नौकरी दे दी गई है । मैसर्स चौगुले स्टीमशिपस लि० ने यह मान लिया है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान तथा उपदान की राशि (मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लि० में उनकी सेवाएं समाप्त हो जाने पर) मैसर्स मुगल लाइन्स लि० में जमा कर दी जायेंगी, जो यथा समय मैसर्स मुगल लाइन लि० से सेवा-निवृत्ति पर इन कर्मचारियों को अदा की जायेगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : उत्तर के पहले भाग में मंत्री महोदय ने बताया है कि मैसर्स चौगुले स्टीम-शिप्स लिमिटेड में पहले जो 37 समुद्रगामी स्टाफ अधिकारी और 57 तटीय कर्मचारी काम करते थे उन्हें मैसर्स मुगल लाइन्स लिमिटेड द्वारा पुनः नियुक्त किया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूँ कि छोटे अधिकारियों सहित समुद्रगामी स्टाफ अधिकारियों में से, जो अधिग्रहण से पूर्व नियुक्त थे, कितनों को पुनः नियुक्त कर लिया गया है उनमें से कितने अभी तक बेरोजगार हैं ।

Shri Kamlapati Tripathi : All these officer were employed in Konkan Passenger Service. Those who have been reemployed in Mogul lines are all connected with Konkan Passenger Service and there is none without employment.

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड ने यह मान लिया है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान तथा उत्पादन की राशि (मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स में उनकी सेवायें समाप्त हो जाने पर) मैसर्स मुगल लाइन लिमिटेड में जमा करा देंगे, और यथा समय मैसर्स मुगल लाइन्स लिमिटेड से सेवानिवृति पर इन कर्मचारियों को अदा की जायेगी । यह आश्वासन प्रशांसनीय है । परन्तु इसके अतिरिक्त क्योंकि प्रश्न निरन्तर सेवा के समुचित लाभों का है इसलिये मैं यह बात जानना चाहता हूं कि जो कर्मचारी मुगल लाइन्स लिमिटेड में ले लिये गये हैं उनकी सेवा को निरन्तर सेवा मानते हुये तथा उन्हें वेतनवृद्धि तथा पदोन्नति जैसे लाभ दिये जायेंगे ?

Shri Kamlapati Tripath : I think all the terms and conditions of employment of Chowgule Steam ships Ltd. have been accepted by Mogul Lines Ltd.

प्रो० मधु दन्डवते : मैंने विशेष रूप से वेतनवृद्धि और पदोन्नति के बारे में पूछा है । मुझे विषवास है कि इन्हें भी स्वीकार किया जायेगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मेरा विचार भी ऐसा ही तो है ।

प्रो० मधु दंडवते : विचार की बात नहीं है । मैं निश्चित रूप से वस्तुस्थिति जानना चाहता हूँ ।

Shri Kamlapati Tripathi : When these employees have been reemployed, I think, they will be given all the facilities.

श्री एस० बी० गिरि : जो लोग मुगल लाइन्स लिमिटेड में ले लिये गये हैं क्या उन्हें उनके गैर-सरकारी कम्पनी में नियुक्त किये जाने के समय से सेवालाभ मिलते रहेंगे और क्या उन्हें बोनस प्राप्त करने का हक है और क्या उन्हें बोनस लाभ दिया जायेगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : उन्हें निरन्तर सेवा के सभी लाभ मिलते रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बोनस के बारे में स्पष्ट प्रश्न पूछा है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मेरे विचार में उन्हें बोनस सहित सभी लाभ मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है ।

It has been arranged with Mogul Lines Ltd. that they will get all those facilities they were getting in Chowgule steam Ships Ltd.

श्री एस० एल० पेजे : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड में जो कर्मचारी काम करते थे उन सभी को मुगल लाइन्स लिमिटेड में ले लिया गया है । क्या इसका तात्पर्य यह है कि उनके पुनः नियुक्त किये जाने से पूर्व उनका सेवा विच्छेद हुआ है और यदि हां, तो क्या इस सेवा विच्छेद को सरकार ने क्षमा कर दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : सेवा विच्छेद की मुझे कोई जानकारी नहीं है । मेरे विचार से सेवा निरन्तर है ।

Ex-Ministers and M. Ps. in Occupation of Government Accommodation

***413. Shri Shankr Dayal Singh** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to stete :

(a) whether some of the former Ministers and former Members of Parliament are still in occupation of Government accommodation; and

(b) if so, their names and particulars and the arrears of rent outstanding against them?

The Minister of Works and Housing Shri Bhola Paswan Shastri : (a) Yes, Sir

(b) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(who are neither Ministers nor M.Ps.)

Statement showing the names of former Ministers and former M. Ps. who are occupying Government accommodation, and the details of Licence-fee/ damages outstanding against them upto 30th November, 1973

Sl. No.	Name	Particulars of residence	Date from which ceased to be eligible	Licence-fee/ damages outstanding
1	2	3	4	5
1.	Shri Mohd. Yunus Saleem, Ex-Deputy Minister	7, Tughlak Lane	17,4,71	Rs. 13,425,72
2.	Shri M.N. Kaul, Ex-M.P. (Rajya Sabha)	Bungalow No. 23, Ashoka Road.	3-8-72	Rs. 19,255.06
3.	Shri R.S. Panjhazari, Ex-M.P. (Rajya Sabha), Now Chairman of Cotton Corporation of India Ltd. (Govt. of India Undertaking).	13, Talkatora Road	2-5-72	Rs. 2,274.02

1	2	3	4	5
4.	Shri A.K. Chanda. Ex- M.P. (Lok Sabha), Now Chairman of the All India Handicrafts Board.	14, Pandit Pant Marg.	1-4-71	Rs. 2,425.26
5.	Shri S.L. Kothari, Ex-M.P. (Rajya Sabha).	Flat No. 35, Rabindra Nagar.	2-5-70	Rs. 6,256.65
6.	Shri Jogendra Singh Ex-M.P. (Rajya Sabha). At present Governor of the State of Rajasthan.	Bungalow No. 1, Electric Lane. Sr. Qr. No. 27 Canning Lane, Gar. No. 17, Western Court.	20-10-71	Rs. 35,394.11
7.	Late Ch. A. Mohammad, Ex. M.P. (Rajya Sabha).	Gar. No. S-4, South Avenue.	6-4-73	Rs. 2,309.89
8.	Late S. Teja Singh, Swatantra, Ex- M.P. (Lok Sabha.)	Ser. Qr. No. 103, North Avenue.	12-6-73	Rs. 1,919.90
9.	Late Smt. Jyotsna Chanda, Former Member of Parliament (Lok Sabha).	Flat No. 187, S.Qr. S-3, South Avenue.	16-11-73	Rs. 634.96

Shri Shankar Dayal Singh : It appears from the reply given by the hon. Minister that some of the ex-Ministers and M.Ps. who are at present unauthorisedly occupying Government accommodation, are working on very big posts viz; Shri R.S. Panjhazari, ex-MP is the Chairman of Cotton Corporation of India Ltd., Shri A.K. Chanda ex-M.P. is now the Chairman of All India Handicrafts Board ; Shri Jogendra Singh, ex-M.P. is now the Governor of Rajasthan and Rs. 35, 394.11 are due from him.

Mr. Speaker : This amount is due from him only or from all these people ?

Shri Shankar Dayal Singh: From one man. The amount of Rs. 35,394.11 is due from Shri Jogendra Singh only and it is very strange to find that whereas his bungalow is in Electri Lane, his servant quarter is in Canning Lane and his garrage is in Western Court. Similarly, Rs. 13,425.72 is due from Sh. Mohd. Yunus Salim and Rs. 19,255.06 from Shri M.N. Kaul. I want to know the precise action taken by the Government to get these residence vacated ? And in case they do not vacate what action do the Government propose to take against them ?

Shri Bhola Paswan Shastri : The Government did take appropriate action and has asked to pay the rent and also vacate the residences. As regards retaining the accommodation certain human grounds are also to be taken into account. We have written to all of them and action is being taken.

As regard the case of the Governor, we are doing correspondence with the Government of Rajasthan regarding allotment of accommodation to him. After the allotment, the case would be settled. Thus, there are certain reasons in each case.

Shri M. N. Kaul was given an extension for one year by the Cabinet and Shri Mohd. Yunus Salim has been given permission to stay upto December on the grounds of education. So, we have to keep human considerations in view.

Shri Shankar Dayal Singh : So far as human element is involved, I can be satisfied in the cases of late Ch. A. Mohammed, late Shri Teja Singh, Late Smt. Jyotsna Chanda and they may be allowed to retain the residences for some time ; but those who have been appointed as Chairmen of Corporation, or the Governor of a State, what sort of difficulty

do those people feel ? It seems as if the Government themselves do not want them to vacate the residences. If such practces are allowed, then why do you compel others to vacate the Government accommodation ?

Also I would like to know how much market rent has been recovered from them so far and what is the rate of market rent charged from them ?

Shri Bhola Paswan Shastri : Arrears have been shown in the statement. It is not correct to say that the Government have shown any leniency in getting the accommodation vacated. But certainly some consideration is bound to be shown while going into practical things. Taking the help of the police in getting eviction may be legally correct; but there are certain thi ngs in administrative field where only laws and legacy do not beh ave. A practical approach too has to be taken into account. No body is being allowed to escape rent. Some response is expected from their side also. The actual position has been stated in the statement and nothing has been concealed.

Shri Shankar Dayal Singh : I had asked about the rate of market rent being charged from Shri R.S. Panjhazari, Shri Mohd. Yunus Salim and Shri Jogendra Singh. The hon. Minister has not replied to that part.

Shri Bhola Paswan Shastri : The statement shows the amount of arrears.

Mr Speaker : He wants to know whether you are charging market rent or not.

Shri Bhola Paswan Shastri : The arrears are based on the market rent.

Mr. Speaker : Shankar Dayal Singhji, leave it. Someday you too might be compelled to stay on.

Shri Shankar Dayal Singh : If I happen to be in such a position, I would certainly vacate within one month. You are charging rent every month; then why don't you tell that ? Sir the Government should reply to it.

Shri Bhola Paswan Shastri : Had we recovered every month. there would have been no arrears.

Mr. Speaker : Now leave it Shankar Dayalji. If you do not stay on for even a month, then you may not have a human element.

Prof. Madhu Dandvate : There was a specific question as to why a late member and a living member, both are treated at par ?

Shri Bhola Paswan Shastri : Because both of them are in arrears equally.

Shri Shankar Dayal Singh : No. Late Smt. Jyotsna Chanda's arrears are only Rs. 634.

Shri Bhola Paswan Shastri : Equal in this respect that both are in arrears.

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री कौल के बारे में एक बात बताऊं जोकि लोक सभा के सचिव के रूप में सेवानिवृत हुए थे । एक सदस्य के रूप में सेवानिवृत होने के बाद वह राष्ट्रीय तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के महानिदेशक नियुक्त किये गये और मैंने सिफारिश की थी कि उन्हें उस समय के लिये बाजार किराये पर सरकारी निवास में रहने दिया जाये जब तक कि उन्हें अन्य कोई मकान नहीं मिल जाता । परन्तु यह लगभग दो महीने पहले की ही बात है । मुझे आशा है कि आप इस मामले में मानवीय तत्व पर भी गौर करेंगे ।

श्री सेक्सियान : मंत्री महोदय का कहना है कि उन्हें मानवीय आधार पर निवास में रहते रहने की अनुमति देनी पड़ती है । राजस्थान के राज्यपाल श्री जोगेंद्र सिंह वहां अक्तूबर, 1971 से हैं अर्थात दो वर्ष से भी अधिक समय से अनाधिकृत रूप से इस बंगले में है तथा सर्वेन्ट क्वार्टर तथा गैराज उनके

पास है । इस संबंध में क्या मानवीय बातों का ख्याल रखा गया है ? उन्हें जयपुर में एक अच्छा मकान भी दिया गया है । फिर उन्हें ऐसा निवास, सर्वेंट क्वार्टर तथा गैराज रखने की अनुमति क्यों दी गई है जोकि उन्हें पिछले दो वर्षों से 35,000 रुपये में पड़ रहा है ? क्या गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रपति का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि एक राज्य के राज्यपाल भारत की राजधानी में अनधिकृत रूप से सरकारी निवास में रह रहे हैं ? आवास को खाली कराने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : माननीय सदस्य कुछ उन्ही बातों को दोहरा रहे हैं जोकि विवरण में दी गई हैं । कोई नई बात नहीं कह रहे हैं । वह पूछते हैं कि श्री जोगेन्द्र सिंह के मामले में किन मानवीय बातों का ख्याल किया गया है । बात केवल इतनी ही है कि उन्हें पकड़ कर नहीं निकाला जा सकता..... (**व्यवधान**)

श्री सेझियान : ऐसी बात तो नहीं है कि उनके पास कोई अन्य आवास नहीं है और इसलिये उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता । जयपुर में वह राज भवन में रह रहे हैं । अब भी उन्हें दिल्ली में डाक बंगले सर्वेन्ट क्वार्टर तथा गैराज की क्या जरूरत है ?

अध्यक्ष होदय : यह तो वही प्रश्न हुआ.....

श्री सेझियान : इसी का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मझे दुःख है कि यह बात बहुत बढ़ती जा रही है । मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि बाजार-किराया लिया जा रहा है ।

श्री सेझियान : मेरा बाजार-किराये से कोई मतलब नहीं है ।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि राजस्थान के राज्यपाल द्वारा अपना पुराना आवास बनाये रखने का एक कारण यह भी है कि राजस्थान हाऊस में स्थान काफ़ी नहीं है और यदि अलग स्थान का प्रबंध किया जाये तो उस पर बहुत अधिक लागत आती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न दोहराया गया है । मैं इसको अनुमति नहीं दे रहा हूँ । श्री शमीम !

श्री एस० ए० शमीम : क्या आवास मंत्री जानते हैं कि भारत की राजधानी में मकानों की बहुत कमी है और ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है जोकि वर्षों से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? फिर क्या कारण है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों, मंत्रियों तथा राज्यपालों और उधर सेवारत अथवा सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के लिये मानवीय भावना के आधार पर अलग-अगल मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं ? इससे उन लोगों के अवसर भी समाप्त होते हैं जोकि आवास के लिये अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जहां तक बाजार भाव पर किराये का संबंध है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यदि ये मकान दिये जायें तो वे उनके लिये बाजार-किराया देने को तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को भी उत्तर देने का अवसर दीजिये ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : मानवीय भावना तो सब के ही प्रति रहती है ।

श्री पी०जी० मावलंकर : समाचार पत्रों में भी यह न्यायसंगत ही अलोचना होती है कि भूतपूर्व संसदसदस्यों द्वारा काफ़ी लम्बे समय तक अपने आवास नहीं छोड़े जाते हैं और इसमें संसदसदस्यों के रूप में हमारी प्रतिष्ठा पर उंगली उठती है। इसलिये सरकार हमें यह आश्वासन दे कि संसदसदस्यों के विरुद्ध इसे सार्वजनिक परन्तु न्यायसंगत आलोचना के अवसर न आयें। हम चाहते हैं कि सरकार तुरन्त कार्यवाही किया करे। श्रीमन् हम आपसे सुरक्षण मांगते हैं। सरकार हमें यह बताये कि क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री भोला पासवान शास्त्री : सरकार इस संबंध में पहले से ही सक्रिय है।

सरकारी निर्माण कार्य में मितव्ययता अभियान लागू करना

*417. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मितव्ययता अभियान लागू करने और सीमेंट की कमी के कारण सभी सरकारी निर्माण कार्य, यहां तक कि मरम्मत और रख-रखाव कार्य भी स्थगित या बन्द कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेशों का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी बचत हुई है ; और

(ग) क्या इस अभियान के बावजूद संसद भवन नई दिल्ली के आस पास एक मील के अन्दर स्थित सीमेंट की तथा अन्य पक्की पटरियां खोदी जा रही हैं और पुनः बनाई जा रही हैं।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, हां। सिविल निर्माण कार्यों पर प्रतिबन्ध मुख्यतः मितव्ययिता अभियान के कारण लगाया गया है।

(ख) प्रतिबन्ध लगाये जाने वाले आदेशों की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखी हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी० 5952/73]

प्रतिबन्ध के आदेश जारी करने के परिणामस्वरूप कितनी राशि की बचत हुई, इसका अन्दाजा इतना जल्दी नहीं लगाया जा सकता। इसे केन्द्र तथा राज्यों, दोनों के, सभी सरकारी निर्माण अभिकरणों से एकत्र करना पड़ेगा, तथा यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में ही आरम्भ किया जा सकता है।

(ग) जी, हां। पटरियों पर कटवां पत्थर लगाने का कुछ कार्य नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य स्थानीय निकाय से सम्बन्धित है। तथापि, यह बात दिल्ली प्रशासन के ध्यान में लाई जा रही है जिनका इस मामले से सीधा सम्बन्ध है।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है :

"उपर्युक्त निर्णयों के परिणामस्वरूप होने वाली बचत को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 1973-74 के लिए उपर्युक्त सेवाओं के लिए परिशोधित बजट की व्यवस्था करनी चाहिए"

अतः परिशोधित बजट व्यवस्था भी परिणामों को ध्यान में रखकर करनी होगी। आगे कहा गया है :

"इस प्रकार की गई बचत की सूचना वित्त मंत्रालय को सितम्बर, 1973 के अन्त तक दी जाए।"

आपके आदेश के अनुसार उन्हें सितम्बर के अन्त तक जानकारी देनी होगी । फिर दिसम्बर में मन्त्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : मैं केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध जानकारी ही दे सकता हूं । लेकिन अन्य कई मंत्रालय हैं जहां निर्माण कार्य चल रहा है । मैं उन विभागों के लिए उत्तर कैसे दे सकता हूँ ?

डा० हरिप्रसाद शर्मा : उत्तर वित्त मंत्रालय के सचिव ने दिया है और वह विवरण के रूप में संलग्न है । मुझे उसके अनुरूप चलना होगा ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : जहां तक मेरे विभाग का सम्बन्ध है, इस माह के अन्त में अनुमान लगाया जाएगा ।

केरल में ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिए योजना आयोग द्वारा सुझाया गया परिव्यय

*419. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने राज्य क्षेत्र में "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत केरल राज्य के लिये ग्रामीण सड़क कार्यक्रम हेतु कुल कितने परिव्यय का सुझाव दिया है ; और

(ख) इस बारे में राज्य सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी): (क) 18 करोड़ रुपए ।

(ख) 128 करोड़ रुपए [इसमें मौजूदा सड़क का सुधार कार्य तथा पुलों का निर्माण कार्य (205 करोड़ रुपए], जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग नहीं है, शामिल नहीं है]।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सड़क ही ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच एकमात्र कड़ी है और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं है, क्या मंत्री महोदय राज्य सरकार द्वारा मांगी गई कुल धनराशि आवंटित करने पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : राज्य के प्रतिनिधियों और योजना आयोग के सदस्यों के साथ भी इस पूरे प्रश्न पर विचार किया गया था और केरल सरकार ने सम्पर्क सड़क के लिए 18 करोड़ रुपये देना स्वीकार कर लिया था । उन्होंने 333 करोड़ रुपये की मांग की थी । पुलों के निर्माण और सड़कों के सुधार के लिए 205 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ; उन्हें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता । यदि इन आंकड़ों को घटाया जाये तो 128 करोड़ रुपये शेष रह जाते हैं । परस्पर व्यापी योजनाओं पर विचार किया गया है और 18 करोड़ रुपये के आंकड़े तैयार किया गए हैं ।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : कितने गांव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है । उन्हें केवल योजना आयोग, केन्द्र सरकार से कुछ वित्तीय सहायता मिलती है । अतः योजनाएं बनाना उनका काम है ।

श्री पी० बेंकटसुब्बया : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क निर्माण योजना नामक योजना है ; जिसका वित्तपोषण राज्यों से प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों में से किया जाना है । क्या 18 करोड़ रुपये के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम परिव्यय में केन्द्रीय सड़क निधि योजना शामिल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी यह उनकी राज्य योजना में शामिल होगी ।

श्री पी० बेंकटसुब्बया : क्या केन्द्रीय सड़क निधि योजना कार्यक्रम में यह 18 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : जी हां ।

श्री या किर तिनन : समग्र भारत के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है और प्रत्येक राज्य को धनराशियों नियत करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : मेरे विचार में यह एक अलग प्रश्न है। फिर भी मैं कह सकता हूं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है ।

श्री सेज़ियान : 500 करोड़ रुपये की धनराशि नियत करने का मानदंड क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : राज्य धनराशि की मांग करते हैं और अपनी योजनाएं बनाते हैं । वितरण सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :

श्री फूल चन्द वर्मा ––अनुपस्थित

श्री दीनेन भट्टाचार्य––अनुपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा––अनुपस्थित

अभी दो मिनट शेष हैं । अतः मैं फिर से नाम पुकारता हूं ।

श्री जदेजा––अनुपस्थित

श्री वेकारिया––अनुपस्थित

श्री ककोडकर––अनुपस्थित

श्री मालन्ना––अनुपस्थित

श्री गयावन––अनुपस्थित

श्री महादीपक सिंह शाक्य––अनुपस्थित

श्री आर० वी० स्वामीनाथन्––अनुपस्थित

श्री सवामीनाथन्––अनुपस्थित

श्री कदम---अनुपस्थित

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव---अनुपस्थित

श्री कतामुतु---अनुपस्थित

श्री सोलंकी---अनुपस्थित

श्री फूल चंद वर्मा---अनुपस्थित

श्री दीनेन भट्टाचार्य---अनुपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा---अनुपास्थित

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दादरा और नगर हवेली में भूमि सुधार विनियमन अधिनियम, 1971 की क्रियान्विति

***404. श्री डी०पी० जदेजा :**

श्री आर०आर० पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतम भूमि सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों की दृष्टि से दादरा और नगर हवेली के भूमि सुधार विनियमन अधिनियम, 1971 का पुनरीक्षण किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसे तुरन्त लागू करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) (ग) अधिकतम भूमि सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित विनियमन 1971 में दादरा और नगर हवेली भूमि सुधार (संशोधित) विनियम 1973 द्वारा संशोधन किया गया था । इसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने 30 नवम्बर, 1973 को घोषणा की थी ।

चेचक उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता

***405. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री के० मालन्ना :

क्या स्वास्थ्य और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चेचक उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता मांगी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अब तक जो सहायता प्राप्त हुई, वह इस प्रकार है :–

आपूर्ति और उपकरण

1. वाहन, अतिरिक्त पुर्जों सहित	121
2. होण्डा मोटर साइकिल अतिरिक्त पुर्जों सहित	112
3. रेफ्रीजरेटर	59
4. दो मुखी सुईयां	1,07,42,000
5. दो मुखी सुई होल्डर	41,806
6. वेक्सीनेसन किट बैग	22,500
7. फोटो कापी मशीनें	1
8. परिकलन-यंत्र	24
9. टाइपराइटर	5 (विश्व स्वास्थ्य संगठन चिकित्सा अधिकारी सहित)
10. प्रोजेक्टर	2 (विश्व स्वास्थ्य संगठन चिकित्सा अधिकारी सहित)
11. डिसपोजेबल क्लेशन किटें	2000
12. आर्कटन	14 ड्रम
13. डिफ्को बैक्टो पेपटोन	460 पोण्ड
14. मिक्सर एमुल्सीफायर	1
15. डीप फ्रीजर	1
16. फ्रीज ड्रायर, सहायक उपकरणों सहित	1
17. इन्क्यूकेटर.	2
18. सेन्ट्रीफ्युगर	1
19. इलेक्ट्रानिक स्पीड कन्ट्रोलर	1
20. सम्पीडक एकक (कम्प्रैसर यूनिट)	1
21. नाइट्रोजन सिलन्डर्स	—
22. पेपटोन	60 बोतल (प्रत्येक 450 ग्राम वाली)
23. वेक्यूम पम्प	1
24. कण्डेन्सर, कम्पैसर यूनिट रहित ।	1

परामर्शदाता और शिक्षावृत्तियां

कार्यक्रम और चेचक सूखी दवा, दोनों के लिए समय-समय पर अल्पावधि परामर्शदाता और शिक्षावृत्तियों की व्यवस्था कर दी गई है।

महामारी विज्ञानी :

दीर्घावधि महामारी विज्ञानी 8

शिक्षा संबंधी सामग्री

छपे हुए प्रपत्र, स्लाइडें, पोस्टर, शिक्षण, पाठ, पहचान पत्र और अन्य शिक्षा सामग्री।

चेचक-रोगी गहन अभियान के लिए सहायता

(i) महामारी विज्ञानी —12

(ii) महामारी प्रतिरोधी अधिकार —1

(iii) निम्नलिखित के लिए खर्च की पूर्ति :—

(क) विशेष दलों के महामारी विज्ञानियों, परा-चिकित्सा सहायकों तथा ड्राइवरों के लिए दैनिक भत्ता।

(ख) केन्द्रीय मूल्यांकन दल का दैनिक भत्ता और यात्रा व्यय।

(ग) अभियान के दौरान प्रयोग किये जाने वाले विशेष प्रपत्रों का मुद्रण।

(घ) विशेष दलों को दिये गये वाहनों के लिए पैट्रोल और मरम्मत का खर्च।

(ङ) चार स्थानिकमारी राज्यों अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के पांच राज्य कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रतिकर भत्ता।

(च) स्थानिकमारी ग्रस्त चार राज्यों के निगरानी दलों के सदस्यों के लिए दैनिक भत्ता।

दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकरण में गिरावट

*407. **श्री वी० मायावन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकरण में गिरावट आई है ;

(ख) क्या पूछताछ कार्यालयों की शिकायतें-पुस्तकों, विशेषकर नौरोजी नगर और सरोजनी नगर में दर्ज पूछताछ या शिकायतों की ओर उचित प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता और उन पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती;

(ग) क्या नई दिल्ली को विभिन्न सरकारी कालोनियों में उद्यानों का उचित ढंग से रख-रखाव नहीं होता है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोलापासवान शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तात्कालिक प्रकार की शिकायतें तुरन्त निपटाई जाती हैं । अन्य शिकायतों पर यथा संभव शीघ्र ध्यान दिया जाता है । मरम्मत आदि का कुछ कार्य, अनुरक्षण कार्य हेतु निधियों की कमी के कारण रुक सकता है ।

(ग) जी, नहीं । सरकार द्वारा निर्धारित अनुरक्षण स्टाफ के मानदंड के अनुसार लानों का अनुरक्षण पूरी योग्यता से किया जा रहा है लेकिन इस कार्य का नियमन भी अनुरक्षण हेतु सीमित निधियों द्वारा ही किया जाता है ।

(घ), (ङ) तथा (ग) को देखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

Request for Chemical Fertiliser for Rabi Crop from States

***410. Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether various States have asked Government for the supply of chemical fertilizers for their rabi crops in order to make "grow more food" campaign a success during 1973 ;

(b) if so, the break-up of the requirement of fertilizers of each of these States ; and

(c) the steps being taken by Government to meet their demand ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) to (c) : A Statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library See No. L.T. 5953/73]

जहाजों की सप्लाई के लिए पोलैंड के साथ समझौता

***411. श्री आर०वी० स्वामीनाथन् :**

श्री पी० ए० सांमिनाथन् :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को जहाजों की सप्लाई करने के लिए भारत और पोलैंड के बीच समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) समझौते के अन्तर्गत कुल कितने जहाज सप्लाई किए जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) से (ग) नवम्बर, 1973 के दौरान वार्सा में हुई भारतीय-पोलिस संयुक्त आयोग की हाल की बैठक में पांचवीं योजना काल के दौरान पोलैंड ने 1,05,000 डी० डब्लू० टी के एक अयस्क-तेल-खुला वाहक की पूर्ति करना मान लिया और अन्य ऐसे जहाज की पूर्ति करने की संभावना की जांच करने के लिये भी मान लिया । पौलैंड ने 25,000 से 28,000 डी डब्लू टी के उत्पादन तेल वाहक 8,000 डी डब्लू टी के आधान जहाजों 15,000 डी डब्लू टी तक के छोटे जहाजों और 2,50,000 डी डब्लू टी का एक तेलवाहक पोत का प्रस्ताव किया है । भारतीय नौवहन कम्पनियों को सलाह दी जा रही है कि वे मूल्य, अदायगी शर्त आदि पर बातचीत करने के बाद क्रियादेश को अंतिम रूप देने के लिये पोलिश पोत निर्माताओं के साथ मामले में बातचीत करें ।

उर्वरकों का वितरण

*414. **श्री ज० जी० कदम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के वितरण की वर्तमान प्रणाली क्या है; और

(ख) क्या सरकार उर्वरकों का वितरण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करने के बारे में विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) देश में प्रयोग होने वाला कुछ उर्वरक, देशी विनिर्माताओं से प्राप्त होता है और उसकी कुछ मात्रा को आयात से प्राप्त किया जाता है । केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का केन्द्रीय उर्वरक पूल आयातित उर्वरकों की देख-रेख करता है । इन आयातित उर्वरकों का आवंटन (कुछ निर्यातोन्मुखी जिन्स बोर्डों को होने वाली मामूली-सी मात्रा के सिवाय) केवल राज्य सरकारों को ही किया जाता है । राज्य सरकारों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे आवंटित हुए समस्त उर्वरकों का वितरण सहकारी संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक एजेन्सियों के माध्यम से करें ।

जहां तक देश में तैयार होने वाले उर्वरकों का सम्बन्ध है, राज्य के अन्तर्गत आन्तरिक वितरण करने का कार्य देशी विनिर्माताओं पर छोड़ा गया है । तथापि, आयातित उर्वरकों तथा समस्त उपलब्ध उर्वरकों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय कृषि मंत्रालय सारे देश के लिये समन्वित सप्लाई योजना तैयार करता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कृषि मंत्रालय प्रत्येक 6 महीने में क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है, ताकि आगामी खरीफ या रबी के मौसम के दौरान प्रत्येक राज्य की अनुमानित खपत का निर्धारण, देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली सम्भावित सप्लाई का अनुमान लगाकर केन्द्रीय उर्वरक पूल के माध्यम से कमी पूरी करने के लिए आयात होने वाली मात्रा के विषय में निर्णय किया जा सके ।

जहां तक देशी उर्वरकों का सम्बन्ध है, विनिर्माताओं को अपनी इच्छा के अनुसार एजेन्सियों के माध्यम से अपने उत्पाद का विपणन करने की स्वतंत्रता है । तथापि, विनिर्माताओं को यह प्रेरित करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं कि वे यथा संभव अधिक से अधिक उर्वरकों का वितरण सरकारी संस्थाओं तथा कृषि उद्योग निगमों, आदि एजेन्सियों के माध्यम से करें । भारतीय उर्वरक निगम ने उर्वरकों की कम से कम 50 प्रतिशत मात्रा को सहकारी संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक संस्थागत एजेन्सियों के माध्यम से वितरित करने का निर्णय किया है ।

सरकार की नीति यह है कि इस बात को प्रोत्साहित किया जाए कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक उर्वरक सहकारी संस्थाओं तथा कृषि उद्योग निगमों आदि सार्वजनिक निकायों के माध्यम से वितरित किया जाए ।

Sale of Wheat in Blackmarket in Delhi

*415. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Black-marketeers are doing roaring wheat business in Delhi ;

(b) whether wheat is being sold in black-market at Rs. 120 to Rs. 150 per quintal in Najafgarh and Narela Mandis ;

(c) if so, whether this tends to the rise in prices ; and

(d) the measures being adopted to check this ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) to (d) Delhi Administration has taken a number of steps to regulate and control retail trade in wheat including licensing, fixing of stock limits, maximum retail prices etc. An order under Defence of India Rules has been issued, fixing, *inter alia*, the maximum retail prices of wheat. Complaints about balack-marketing are promptly looked into and surprise raids are also organised to check hoarding and black-marketing.

दिल्ली के अध्यापक स्वतन्त्रता सेनानियों को पुनः रोजगार देना

*416. **श्री एम० कल्यानसुन्दरम्** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन अध्यापकों को पुनः काम पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे तथा जिन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन के अधिकांश वर्ष जेलों में बिताये थे ;

(ख) क्या दिल्ली के स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रहे ऐसे अध्यापकों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी, हां । एक अध्यापक से अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने उसे एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया है । अवधि बढ़ाने के लिए एक प्रार्थना प्रशासन के विचाराधीन है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध को प्राप्त करने में जनता की कठिनाइयां

*418. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों को दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो पर प्रातः 2–3 बजे से और शाम को 2–3 बजे से लाइन में खड़ा होना पड़ता है और इसके बावजूद भी उनको दूध का निर्धारित कोटा नहीं मिलता है और यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिये संबंधित अधिकारियों का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो को प्रति डिपो के लिये कुल दुग्ध कार्ड/टोकन के अनुसार दूध की सप्लाई नहीं की जा रही है और इसके कारण विभिन्न डिपों पर झगड़े होते हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध डिपुओं में प्रातः तथा सायं निश्चित समय के अंतर्गत कार्य होता है । इस समय सब टोकन धारियों को दूध का पूरा कोटा सप्लाई किया जा रहा है । वास्तव में दुग्ध डिपो टोकन धारियों की मांग पूरी करने के पश्चात कभी-कभी वितरित न हुए दूध की कुछ मात्रा डेरी को वापिस करते हैं । अतः टोकन

धारियों को डिपुओं के खुलने से काफी समय पहले दुग्ध डिपुओं पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है । यह अनुभव किया गया है कि कुछ ग्राहक फिर भी अपनी दूध की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध डिपुओं के खुलने के निर्धारित समय से कुछ पहले डिपुओं पर आ जाते हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना का दुग्ध डिपुओं का दुग्ध वितरण के कार्य को समन्वित तथा नियमित करने के लिये दुग्ध डिपुओं के लिये डिपो सलाहकार समितियों की स्थापना करने का प्रस्ताव है । आशा है दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा डिपुओं पर दुध की पूरी सप्लाई होने तथा टोकन धारियों द्वारा चुनी हुई सलाहकार समितियों द्वारा कार्यों का समन्वय होने से ग्राहक यह अनुभव करेंगे कि उन्हें दुग्ध डिपुओं पर डिपुओं के खुलने के निर्धारित समय से काफी पहले आने की आवश्यकता नहीं है ।

Setting up of Pre-Historic Museum and Garden at Jabalpur

*420. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the setting up of a pre-historic museum and garden at Jabalpur (M.P.) ; and

(b) if so, the broad outlines in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture. (Shri D. P. Yadav): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सी० एम० डी० ए० का कार्यकरण

*421. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सी० एम० डी० ए० पर कुल कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) क्या सी० एम० डी० ए० का कार्यकरण डावांडोल स्थिति में है जैसाकि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) 1970–71 से 1972–73 तक राज्य सरकार ने कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को 34.94 करोड़ रुपये दिए । इसी अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के जरिए 23.70 करोड़ रुपये दिए ।

(ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसा कोई समाचार सरकार के ध्यान में नहीं आया है । तथापि, यह सत्य नहीं है कि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण का कार्यकरण डावांडोल स्थिति में है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूरतगढ़ फार्म, राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*422. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूरतगढ़ फार्म के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो हड़तालो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) से (ग) केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के कर्मचारियों ने 3-10-73 से हड़ताल शुरू की थी । उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं :

1. केन्द्रीय सरकार के सेवा नियमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले वैधानिक तथा कानूनी अधिकारों का संरक्षण ।
2. दैनिक कर्मचारियों की मजदूरी को 3.50 रु० से बढ़ाकर 5.15 रु० प्रति दिन करना ।
3. उन दैनिक कर्मचारियों को यथासम्भव नियमित करना जो कई सालों से लगातार सेवा कर रहे हैं ।

निगम के अधिकारियों और यूनियन के प्रतिनिधियों में सीधी बातचीत होने के फलस्वरूप 23-11-73 से हड़ताल समाप्त कर दी गई । दैनिक कार्यकर्ताओं की मजदूरी को 3.50 रु० से बढ़ाकर 5.15 रु० प्रति दिन करने की मुख्य मांग के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है । वास्तव में निगम 3.50 रु० प्रति दिन देती है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कहीं अधिक है । सूरतगढ़ क्षेत्र में श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी भी 3.50 रु० प्रति दिन है । श्रमिकों द्वारा 5.15 रु० प्रति दिन की मांग उन क्षेत्रों पर लागू होती है जो अनुसूची "ए" में शामिल हैं । ये क्षेत्र बम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि नगर हैं । समझौते के फलस्वरूप यह निर्णय किया गया है कि हड़ताल समाप्त होने के बाद ही यूनियन के "डिमान्ड चार्टर" पर शीघ्र विचार विमर्श किया जाएगा और हड़ताल की अवधि के लिए मजदूरी देने के मामले पर श्रम आयुक्त, राजस्थान के तत्वावधान में विचार-विमर्श किया जाएगा।

कनिष्ठ ड्राइंग अध्यापकों के खाली पदों का पेनल से न भरा जाना

3940. श्री के० लकप्पा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय ने कनिष्ठ ड्राइंग अध्यापकों के पदों के लिये जुलाई, 1972 में 84 उम्मीदवारों के नामों का एक पेनल बनाया था जो कि 15 सितम्बर, 1973 तक के लिये वैध रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो 15 सितम्बर, 1973 तक कितने रिक्त पद थे और क्या कनिष्ठ ड्राइंग अध्यापकों के सभी रिक्त पद पेनल से नहीं भरे गये थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 82 उम्मीदवारों का एक पेनल जुलाई, 1972 में तैयार किया गया था, जो अगस्त, 1973 के अंत तक वैध रहा ।

(ख) केवल 28 रिक्त स्थान थे और उन पर पेनल में से नियुक्तियां की गई थीं ।

जूनियर ड्राइंग टीचर्स की नियुक्ति के लिए नियमों का उदार बनाया जाना

3941. श्री के० लकप्पा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने जुलाई, 1972 के जूनियर ड्राइंग टीचर्स के पदों के लिये साक्षात्कार के समय इन पदों पर नियुक्ति के लिये नियमों को उदार बनाया था ;

(ख) क्या शिक्षा विभाग (दिल्ली प्रशासन) के एक सहायक निदेशक की पुत्री को इन उदार नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या जूनियर ड्राइंग टीचर्स की तालिका में पहले ही अनेक अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध थे ; और

(घ) यदि हां, तो इन नियमों को उदार बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं । नियमों को मई, 1973 में संशोधित किया गया था ।

(ख) जी, नहीं । भर्ती नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के पश्चात उसकी नियुक्ति की गयी थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर ड्राइंग टीचरों की ओर से उप राज्यपाल को ज्ञापन

3942. **श्री के० लकप्पा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच ड्राइंग टीचरों ने, जिनके नाम जुलाई, 1972 में दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्ति के लिए तैयार की गई सूची में क्रमसंख्या 29 से 33 पर थे, अपनी नियुक्ति किये जाने का अनरोध करते हुए उप-राज्यपाल शिक्षा निदेशालय को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) क्या जिन व्यक्तियों ने ज्ञापन दिया है उनकी, शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) द्वारा जारी किये गये पत्रों के परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य परीक्षा भी हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । अप्राधिकृत पत्र मिलने के कारण कुछ उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया था । परन्तु अब वास्तविक तथ्यों का पता चला तो चिकित्सा परीक्षा रद्द कर दी गई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Provision of Drinking water and Sewerage Facilities in Punjab Garden Delhi-26

3943. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the drinking water and sewerage facilities have not been provided by Municipal Corporation to the Punjab Garden Colony of New Delhi-26, inhabited about 12 years ago, inspite of the demand made by the residents as a result of which the residents are experiencing great inconvenience :

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the time by which Government propose to provide these facilities to this colony ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) According to information received from the Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi, drinking water and sewerage facilities have not been provided in Punjab Garden Colony since it is an unauthorised colony.

(b) and (c) : Do not arise.

विभिन्न राज्यों में साक्षरता की प्रतिशतता

3944. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के राज्य-वार, साक्षरता के लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने के समय साक्षरता के क्या लक्ष्य नियत किये गये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) पांचवीं योजना के कार्यक्रमों में निम्नलिखित पर जोर दिया गया है :—

(i) 6–14 आयु-वर्ग में प्राथमिक शिक्षा के लिये सुविधाओं की और अधिक व्यवस्था करना ।

(ii) 15–25 आयु-वर्ग में निरक्षरता को कम करने पर जोर देना ।

(iii) साक्षरता कार्यक्रमों को रोजगार कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध करना और ।

(iv) स्वैच्छिक सेवाओं, विशेषकर कालेज के विद्यार्थियों के माध्यम से प्रौढ़ों के बीच साक्षरता कार्यक्रमों का विकास करना । परन्तु साक्षरता के लिए किसी लक्ष्य का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है ।

(ख) ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रसार

3945. **श्री जी०वाई० कृष्णन् :**

श्री सी० के० जफर शरीफ :

क्या **शिक्षा,समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान भारत के किन-किन देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रसार करने के लिये करार किये हैं; और

(ख) करारों की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान, भारत ने केवल एक देश, अर्थात वेलज्यिम के साथ सांस्कृतिक करार किया है ।

(ख) भारत और वेलज्यिम के बीच 21 सितम्बर 1973 को जो सांस्कृतिक करार हुआ है उसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशेषकर संस्कृति, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा जैसे क्षेत्र में सम्बन्धों एवं सूझबूझ को प्रोन्नत और विकसित करना है । इस करार में शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, नृत्य तथा संगीत मंडलियों, लेखकों, कला प्रदर्शनियों, एक दूसरे की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद तथा प्रकाशन के आदान-प्रदान और रेडियो, समाचार पत्रों, टेलीविजन, फिल्मों आदि के जरिए प्रत्येक के ज्ञान के प्रसार के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं ।

इस करार की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

चालू वर्ष के दौरान मूंगफली उत्पादों (ग्राउडनट एक्सट्रेक्शन्स) के निर्यात से भारतीय खाद्य निगम द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा

3946. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने जापान, पोलैण्ड तथा ब्रिटेन को मूंगफली-उत्पादों का निर्यात करके चालू वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा कमायी है, और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने कौन से नये संयंत्र स्थापित किये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चालू वर्ष में अब तक अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि 66,09,872.87 रुपये है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास मूंगफली उत्पादों के लिए उज्जैन में केवल एक संयंत्र है जोकि अप्रैल, 1972 के उत्पादन के लिए चालू किया गया है ।

ड्राई लेट्रीनज को वाटर-बार्न लेट्रीनज में बदलने के लिए आंध्र प्रदेश में स्वाधीनता जयन्ती कार्यक्रम के अंतर्गत नगरों का चुनाव

3947. **श्री के० कोड्डा रामी रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता जयन्ती कार्यक्रम के अंग के रूप में ड्राई लेट्रीनज को वाटर-बार्न लेट्रीनज में बदलने के लिए आन्ध्र प्रदेश में चुने गये दो नगरों के नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक नगर में, यदि कोई कार्य में प्रगति हुई है, तो उस पर अनुमानतः कितना व्यय किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की सिफारिशें

3948. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् द्वारा वर्ष 1972 में पुनर्गठन के बाद से क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन में से किसी सिफारिश पर कार्यवाही की है; और

(ग) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की सिफारिशों में से जिन पर कार्यवाही की गई है उनकी क्रियान्विति पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेत्ताम) : (क) और (ख) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों में से कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(i) परिषद् ने, देश में खेलकूद के स्तर को सुधारने के लिये और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर पर खेलकूद कार्यकलापों को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की थी । पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान खेलकूद के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय परिषद् की सलाह को ध्यान में रखा गया था । इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन पांचवीं आयोजना अवधि के दौरान पर्याप्त धन के आवंटन पर निर्भर करेगा ।

(ii) परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के उपयुक्त चयन/प्रशिक्षण तथा विदेश में दौरों के समय भारतीय टीमों के प्रबंध हेतु मार्ग-दर्शक रूपरेखाएं तैयार की थीं । उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिये खेलकूद महासंघों के ध्यान में ला दिया गया है ।

(iii) राष्ट्रीय खेलकूद संघों द्वारा सरकारी सहायता के उचित ढंग से उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये परिषद् ने अनुदान प्राप्त करने वाले संघों द्वारा पूरी की जाने के लिये कुछ अर्हक शर्तें सुझाई हैं । सुझाव विचाराधीन हैं ।

(iv) खेलकूद को प्रोन्नति तथा विकास के लिये उपायों के बीच अच्छे समन्वय को सुनिश्चित करने के लिये परिषद् ने सिफारिश की है कि भारतीय ओलिम्पिक संस्था और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद संघों के प्रतिनिधियों को साल में दो बार अखिल भारतीय खेल परिषद् के साथ एक संयुक्त बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिए । इस सिफारिश पर कार्यवाही की गई है ।

2. राष्ट्रीय खेलकूद संघों तथा राज्य खेलकूद परिषदों द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये प्राप्त सभी अनुरोधों पर अखिल भारतीय खेल परिषद् की सलाह प्राप्त की जाती है । परिपाटी के तौर पर, ऐसे सभी मामलों में परिषद् की सलाह सरकार द्वारा मंजूर कर ली जाती है ।

(ग) परिषद् की सिफारिश के आधार पर 1972-73 के दौरान 26,90,313 रुपये और 1973-74 (30-11-1973 तक) के दौरान 12,00,889 रु० के कुल अनुदान संस्वीकृत किये गये हैं ।

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में जयंती गांव

3949. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के निम्नलिखित सामुदायिक खण्डों में से चुने गए जयन्ती गावों के नाम क्या हैं;

(एक) कुरनूल, (दो) धान, (तीन) कोडूमूर, (चार) आलूर, (पांच) पथीकोंडा, (छ०) येम्मीगनूर, और (सात) अडोरी ;

(ख) क्या उपरोक्त गांवों में विकास संबंधी कार्य किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी गांव-वार मुख्य बातें क्या हैं और कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चुने जयन्ती गांवों के नाम निम्न प्रकार हैं :

सामु० वि० खण्ड का नाम	जयन्ती गांव का नाम
1. कुरनूल	नारनूर
2. धान	एरीकालाचेरुवू
3. कोडूमूर	पोलाकल
4. अलूरु (आलूर नहीं)	बाटी बेलागल
5. पथीकोंडा	पम्पाली
6. येम्मीगनूर .	मगथी
7. अडोनी (अडोरी नहीं) . .	बाल्लेकल

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कुरनूल जिले में 14 जयन्ती गांवों, जिनमें उपर्युक्त 7 गांव भी शामिल हैं, में पेयजल प्रदाय, स्कूल भवन, सड़क तथा बिजली जैसी सुविधाएं सुलभ करने पर 73,666 रु० व्यय किए गए हैं । ग्रामवार अनुमानित व्यय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

केरल राज्य को परिवार नियोजन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

3950. **श्री वयालर रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को 1973-74 वर्ष के लिए विभिन्न परिवार नियोजन योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धन राशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) इस अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) 246.88 लाख रुपये ।

(ख) निर्माण कार्य को छोड़कर जिसकी गति धीमी कर देनी पड़ी थी चौथी योजना के दौरान चलाई जा रही सभी परिवार नियोजन योजनाओं को इस वर्ष के दौरान चालू रखा गया है ।

आवंटन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) सेवायें और सप्लाई जिनमें नसबन्दी और गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) के मामलों के लिए दिया जाने वाला मुआवजा भी शामिल है	232.51 लाख रुपये
(2) प्रशिक्षण . . .	5.01 लाख रुपये
(3) जन शिक्षा कार्य . . .	4.00 लाख रुपये
(4) जनांकिकीय अनुसंधान	1.00 लाख रुपये
(5) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के कार्य . . .	0.66 लाख रुपये
(6) संगठन एवं पर्यवेक्षण	3.70 लाख रुपये

केरल के लिए 1973-74 के दौरान लघु पत्तनों के विकास हेतु धन राशि

3951. **श्री बयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य को 1973-74 वर्ष के लिए लघु पत्तनों के विकास हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : धनराशि के आधार पर, केरल राज्य में बेपुर पत्तन जो कि छोटे पत्तन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में शामिल है के विकासार्थ चालू वित्तीय वर्ष में 6 लाख रुपए तक की ऋण सहायता दिये जाने की संभावना है ।

दादरा और नगर हवेली में बेघरबार व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क प्लाट देना

3952. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली में बेघरबार व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क प्लाट देने के बारे में सरकार की नीति अभी भी कायम है ;

(ख) यदि हां, तो दादरा और नागर हवेली प्रशासन ऐसे व्यक्तियों को उनके आवेदन पत्रों पर निःशुल्क प्लाट क्यों नहीं देता है तथा ऐसे प्लाट पूंजीपतियों को देकर सरकार के आदेश का दुरुपयोग कर रहा है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी तथा प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और बेघरबार व्यक्तियों को निःशुल्क प्लाट देने तथा सभी संभव सहायता देने के लिए प्रशासन को कहेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) देश भर में, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को, बिना मूल्य आवास-स्थल देने की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना विद्यमान है ।

(ख) तथा (ग) दादर तथा नागर हवेली प्रशासन ने उक्त योजना के अंतर्गत अभी तक कोई विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदनार्थ नहीं भेजे हैं । तथापि, प्रशासन ने सूचना दी है कि भूमिहीन मज़दूरों को आवास-स्थल आवंटन करने के लिये, सरकार के पास जो भूमि उपलब्ध है वह पर्याप्त से भी अधिक है, तथा उन्होंने आवास-स्थल दिये जाने वाले 1400 व्यक्तियों में से 501 परिवारों को आवास-स्थलों का आवंटन कर दिया है और यह कि दादर तथा नगर हवेली भूमि सुधार विनियम के क्रियान्वित होने पर आगे आवंटन किया जायेगा ।

दादरा और नगर हवेली में टेरम प्लाटों का हस्तांतरण करने का अधिकार

3953. **श्री रामू भाई पटेल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नगर हवेली में टेरम प्लाटों को प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति को उसके नाम पर हस्तांतरित किया जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि दादरा और नगर हवेली का प्रशासन अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और 20 से 30 हजार रुपये की हानि उठाते हुए व्यक्तियों को अवैध रूप से टेरम प्लाट हस्तांतरित किए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में शीघ्र ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच कराने अथवा न्यायिक जांच कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही करने के संबंध में निश्चय किया जाएगा ।

न्यू मोतीनगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई में सुधार करने के लिए ऊंची टंकी की व्यवस्था

3954. **श्री ए० एम० चेलाचामी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री न्यू मोतीनगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई की अवधि, के बारे में 6 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2018 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मोतीनगर, नई दिल्ली के 'बी' ब्लाक में पहली मंजिल के निवासियों को उचित मात्रा में पानी की सप्लाई करने के लिए दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के विचाराधीन एक ऊंची टंकी बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ऊंची टंकी के कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चुकन्दर की काश्त

3955. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी की मांग और उपलब्धता के अंतर को दूर करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त क्षेत्रों में चुकन्दर की काश्त बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में पर्याप्त उपयुक्त क्षेत्रों में चुकन्दर की काश्त बढ़ाने का प्रस्ताव है परन्तु यह मौजूदा कार्पोरेशन शूगर फैक्टिरियों द्वारा चुकन्दर के परिसंस्करण हेतु और अधिक उपकरणों की व्यवस्था करने पर निर्भर करता है ।

Co-operatives in Adivasi areas

3956. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether according to the study made by his Ministry, the present arrangement regarding co-operatives in Adivasi areas are not in accordance with the condition prevailing there ;

(b) whether his attention has been drawn to the misuse of large amounts in Adivasi areas and the amounts of loan shown outstanding against Advasis even though they were not given loans and payments have not been entered in the account books resulting in unnecessary burden on them ;

(c) the names of the schemes being undertaken by the Central Government during the Fifth Five Year Plan to improve the situation and to ensure maximum benefits to Adivasis from various cooperative schemes ; and

(d) whether no special provision for cooperatives has been made in the Fifth Five Year Plan for adivasi areas ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Studies in reorganisation of the cooperative structure in the Tribal Development Agency project areas in four States, namely, Andhra Pradesh (Srikakulam), Bihar (Singhbhum), Madhya Pradesh (Dantewada and Konta) and Orissa (Ganjam and Koraput), were conducted by Study Team constituted by the Ministry of Agriculture. The Study Team did not find the functioning of the cooperatives in all these project areas to be unsatisfactory The Study Team has observed that the Girijan Cooperative Corporation in Srikakulam district in Andhra Pradesh has played a predominant role in the three strategic areas of the Girijan economy, namely, provision of credit, marketing of minor forest produce and supply of consumer goods which constitute three basic areas of exploitation of the tribals by middlemen and money-lenders. The Structure of cooperatives in many of the other Adivasi areas, however, needs to be remodelled and their functioning streamlined in order to make them more effective in catering to the needs of the tribals.

The main theme of the Study Team's recommendations is that tribals should not be required to approach too many institutions for assistance. The primary society which deals with individual tribals should, therefore, provide all the important services required by them, namely, provision of short and medium term production credit and consumption credit, to be recovered from sale of minor forest produce, distribution of inputs and consumer goods, marketing of minor forest and agricultural produce, etc. In designing a structural pattern of cooperatives in these areas, the existing structure, wherever it is functioning fairly satisfactorily, should be utilised. New organisations should be set up only when it is considered that the existing structure cannot be depended upon to cope with the demands of the amerging situation. The Study Team has made detailed recommendations regarding the structure of cooperatives in each of the project areas.

(b) The Study Team did not make any investigation of misuse of funds meant for, or recovered from, the Adivasis. It has however, observed in its Report on one of the Tribal Development Agency (TDA) projects that, according to reports, there were instances where, due to inadequacies of management and supervision, the amounts repaid by some members, particularly the tribals, were not credited to their respective accounts. No other instances of the nature referred to in part (b) of the Question have come to the notice of this Ministry. In order to ensure adequate flow of funds to the tribals in these areas and also to creat in the tribals confidence in the cooperative institutions meant for them, the Study Team has made a number of specific recommendations.

(c) Cooperative programmes in tribal areas, to be implemtnted in the Fifth Five-Year Plan, will be oriented to benefit mainly the tribals. The recommendations of the Study Team would be useful as broad guidelines for the implementation of these programmes.

(d) Besides the funds that would flow to cooperatives in tribal areas under the normal cooperative programmes and also the special T.D.A. programmes, a specific provision of about Rs. 3 crores is proposed to be made in the Fifth Five-Year Plan, for assisting cooperatives for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The National Cooperative Development Corporation Act, 1962 is also proposed to be amended to provide assistance for cooperative programmes specifically for collection, processing, marketings, storage and export of minor forest produce, which will primarily benefit the tribals.

ज्वार से प्रोटीन

3957. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वार से प्रोटीन बनाने की कोई संभावना है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुसंधान किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो अनुसंधान के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सोरगम मोटा अनाज है जिसमें 10 प्रतिशत प्रोटीन होती है । यह ऐसा स्रोत नहीं है जिसमें से सामान्यतः प्रोटीन निकाली जाती है ।

Manufacture of Compost in Fifth Plan

3958. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been prepared to produce compost during the next Five Year Plan ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) A comprehensive integrated scheme for the development of local manurial resources in general, and production of urban compost and rural compost in particular, has been prepared for implementation in the Fifth Five Year Plan period, with an outlay of Rs. 9 crores in the Central Sector and Rs. 9 crores in the State sector.

Under the urban compost programme, it is proposed to prepare 7.5 million tonnes of compost a year by the end of the Fifth Plan period. It is also proposed to set up 8.10 mechanical compost plants to manufacture organic manures from city wastes in selected cities.

The target for rural compost/farm yard manure production is 350 million tonnes a year by the end of Fifth Plan period.

It is also proposed to popularise gobar gas plants for preparation of manure and gas for fuel.

Proper use of Forest Wealth in Madhya Pradesh

3959. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether proper use of forest wealth is not being made in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the reasons therefor and whether the Central Government propose to help so that proper use of the forest wealth in the State may be ensured ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The nformation is awaited from the Government of Madhya Pradesh.

(b) It may be stated that budgetary constraints have militated against the intensive utilization and development of forest wealth in the States. The National Commission on Agriculture studied this aspect of Forestry in depth and recommended the establishment of Forest Development Corporations. The Government of India have accepted this recommendation and steps are underway to establish Forest Development Corporations in the States with the assistance from Govt. of India in the form of contribution to equity share capital.

Under-Ground Water in Madhya Pradesh

3960. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land in Madhya Pradesh where underground water for irrigation purposes is not available ; and

(b) whether Government propose to take steps to make available irrigation facilities for such land ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh). (a) The area of land in Madhya Pradesh for which underground water is not available for irrigation purposes would be known only after Ground-Water Surveys has been completed by that State.

(b) Government of Madhya Pradesh which is responsible for development of State Water Resources are taking steps to provide irrigation facilities, subject to the availability of water resources and other constraints such as finance etc.

Loans Advanced to Farmers of Madhya Pradesh for Purchase of Tractors and Fertilizers

3961. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced to such farmers of Madhya Pradesh for the purchase of tractors and fertilizers as have not paid the amount of loan though the same has become due for repayment ;

(b) the amount of loans advanced to the farmers and the amount out of that still to be recovered ; and

(c) the outstanding amount of taxes against the farmers having big holdings ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the table of the house.

Shrinkage of Area under Tobacco in Madhya Pradesh

3962. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the area under tobacco cultivation has decreased in Madhya Pradesh during 1972-73 ;

(b) if so, extent of the acreage and the reasons therefor ; and

(c) the steps taken to increase the production of tobacco in the State ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde : (a) and (b) The area under tobacco in Madhya Pradesh during the last three years is given below :—

Year	Area
1970-71	2,300 hectares
1971-72	2,400 hectares
1972-73	2,300 hectares

It will be seen that there is no appreciable change in the area.

(c) Tobacco is not an important cash crop in Madhya Pradesh. However, exploratory trials were conducted at Sehore and Indore under the aegis of Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya for development of natu tobacco in Madhya Pradesh. The results obtained from these trials have indicated that this tract is not suitable for the production of good quality natu tobacco. Hence, the scheme was discontinued in June, 1972.

Cut in Vanaspati Price to Stay

3963. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the period up to which the cut in Vanaspati Ghee prices made by Government is likely to remain stabilized ;

(b) whether in view of very good crop of groundnuts this year compared to the crops of last three years Government propose to reduce the prices of Vanaspati Ghee further ; and

(c) if so, when and to what extent and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) It is not possible to state for how long the prices once fixed would continue unchanged. The prices of vanaspati are reviewed every fortnight with reference to the prices of raw oils used in its manufacture during the penultimate fortnight. The possibility of effecting a further reduction in prices, over and above the two successive cuts made on the 16th November and 1st December 1973 will be considered during future reviews, as and when warranted by the raw oil prices.

Waiving of Funds on Account of Import of Foodgrains under PL-480

3964. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the U.S. Government have waived of a sum of two thousand million dollars on account of the import of foodgrains by India under PL-480 ;

(b) if so, the gist of the communication India has received in this regard ; and

(c) the Government's reaction thereto ?

The Minister of Agriculture (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The disposition of the rupee funds in the US account in India on account of the sale of Agricultural commodities under PL-480 agreement is under negotiations with the US Government. No decision has yet been arrived at.

Testing of D.M.S. Milk by Delhi Municipal Corporation

3965. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Municipal Corporation is not testing samples of milk supplied by the Delhi Milk Scheme ;

(b) the number of samples of milk sold by the Shopkeepers in Delhi tested by the Municipal Corporation during the last three months ;

(c) the number of samples of milk not found upto the mark and the number of persons against whom action has been taken in this regard and the nature of the action taken ; and

(d) the number of samples of milk of Delhi Milk Scheme taken for test by the Municipal Corporation and the number of samples which were found upto the mark ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Municipal Corporation of Delhi has been collecting samples of milk supplied by the Delhi Milk Scheme for testing .

(b) and (c) According to information available with the Municipal Health auhthorities, 467 samples were collected from shop-keepers etc. for testing during September, October and November 1973. 65 out of these samples were found not conforming to the specifications and the defaulters are being prosecuted by the Municipal authorites under P.F.A. Act.

(d) Four samples of milk supplied by the D.M.S. were collected by the Municipal Corporation for testing and these all conformed to the specifications under the P. F. A Act.

राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

3966. **श्री हरी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली द्वारा दिये गये ज्ञापन के बारे में 6 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2005 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन मांगों पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के परामर्श से मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

Representation from student representatives of Delhi College, Delhi for starting D. T. C. Buses from that College

3967. **Shri Ishwar Chaudhury** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the student representatives of the evening shift of Delhi College, Delhi have sent a letter on the 9th October, 1973 to the officials of Indraprastha Depot of Delhi Transport Corporation wherein a demand has been made that 5 special buses should be run at 9 p.m. from the College for different parts of Delhi ;

(b) whether out of the demand for 5 buses only one bus has been given and as a result 1050 students are facing considerable difficulty ; and

(c) if so, the time by which Government propose to remove their difficulty ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) Yes, Sir.

(b) No, this is not a fact. Five special trips have already been provided, as demanded by the students. Further, the point where the Delhi College is situated is well connected with various localities of the city by D. T. C. bus services. There is also a terminal point at Kamla Market, close to the College, from where a number of services operate to all parts of the city.

(c) Does not arise.

शरीर-रचना विज्ञानियों के राष्ट्रीय एसोसिएशन को भारतीय चिकित्सा परिषद् में प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी मांग

3968. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरीर-रचना विज्ञानियों के राष्ट्रीय एसोसिएशन ने भारतीय चिकित्सा परिषद् में प्रतिनिधित्व देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् में एनाटोमिस्टों, फिजियालोजिस्टों, फार्माकालोजिस्टों, आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत के फिजियालोजिस्टों और फार्माकालोजिस्टों के संघ की ओर से एक अभ्यावेदन मिला था ।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित की गई है । इस अधिनियम में आयुर्विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं के अध्यापकों के जिन में विश्वविद्यालयों के मूल विज्ञान और राज्य मेडिकल रजिस्टरों में उल्लिखित पंजीबद्ध मेडिकल स्नातक भी शामिल हैं, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है । उन्हें केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा भी मनोनीत किया जा सकता है । चूंकि मेडिकल शिक्षकों को इस परिषद् में पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त है, इस लिए मेडिकल/वैज्ञानिक संघों को अलग से प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति द्वारा सरकार को भेजे गये अनियमितताओं के मामले

3969. **श्री भरत सिंह चौहान :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति की कालावधि के दौरान कृषि मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री को उचित कार्यवाही के लिए लिखे गये शासकीय तथा अर्द्धशासकीय पत्रों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या उन सभी पर उचित कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उसमें की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा क्रियान्वित कर दिया गया है ; और ;

(घ) क्या ऐसे कोई पत्र अभी भी विचाराधीन हैं और यदि हां, तो ऐसे विचाराधीन पड़े पत्रों पर कब तक उचित कार्यवाही पूरी की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति के अध्यक्ष ने 3 जून, 1972 से 17 जनवरी, 1973 तक की अवधि में कृषि मंत्री को 13 पत्र लिखे थे और उनमें दिए गए विभिन्न सुझावों पर उचित कार्यवाही की गई थी । सरकार के पास कोई अनिर्णीत पत्र बाकी नहीं है ।

हैदराबाद में कृषि बंकिंग सम्बन्धी गोष्ठी

3970. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1973 में हैदराबाद में कृषि बैंकिंग संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किस तरह का विचार-विमर्श हुआ और इसकी सिफारिशें क्या हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, भारत सरकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया, तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा 10 सितम्बर, 1973 से 13 अक्तूबर, 1973 तक हैदराबाद में संयुक्त रूप से प्रायोजिन कृषि बैंकिंग संबंधी एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ।

(ख) कार्यकारी दलों के विचार-विमर्शों तथा भाषणों के फलस्वरूप विकासशील देशों में कृषि बैंकिग को प्रोत्साहन देने के लिये संस्थागत ढांचों; इन देशों में कृषि संबंधी ऋणों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार तथा केन्द्रीय बैंकों के योगदान ; विकासशील देशों के कृषि विकास में छोटे कृषकों के महत्व तथा कृषि संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में उनको अनुकूल बनाने के साधनों के संबंध में कुछ व्यापक निष्कर्ष निकाले गये ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति द्वारा अनियमितताओं के मामलों की जांच में असमर्थता प्रकट करना

3971. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति ने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किये गये अन्याय, अधिलंघन और अनियमितताओं के मामलों की जांच में इस कारण कि यह बातें उसके निदेश पद के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं ; असमर्थता प्रकट की है ;

(ख) क्या अपने सीमित क्षेत्राधिकार के कारण समिति ने उनसे ऐसे विशिष्ट तथा अन्य गंभीर मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों अथवा किसी अन्य ऐजेंसी द्वारा कराने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इनमें से कितने मामले भेजे गये और क्या सरकार द्वारा अब तक उनकी जांच करा ली गई है और इसके निष्कर्ष क्या रहे हैं तथा पीड़ितों के प्रति की गई गलती को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा मालूम नहीं होता कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति ने कुछ व्यक्तियों द्वारा बताए गए अन्यायों, अधिलंघन और अनियमितताओं के कुछ मामलों पर विचार करने पर इस कारण से विचार करने से मना कर दिया था कि वे मामले समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं थे । इस संबंध में विशेषत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की रिपोर्ट (जो 3-8-73 को सभा पटल पर रखी गई थी) के अध्याय 1 के पैरा 1.13, अध्याय iv के पैरा 4.21 तथा 4.22 और अध्याय iv के पैरा 6.18 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । जैसा कि रिपोर्ट के पैरा 1.13 में बताया गया है । समिति ने इस बात पर विचार किया था कि विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त होने

वाले प्रतिवेदनों पर किस ढंग से विचार किया जाए समिति ने निर्णय किया कि विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर विचार करना समिति के विचारार्थ विषयों में नहीं है, फिर भी समिति की राय यह थी कि समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच पड़ताल होनी चाहिए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से संबंद्ध कागजात मंगवाए जाने चाहिए । यह देखने के लिए कि क्या भर्ती की मौजूदा पद्धति में कोई सामान्य कमियां हैं, इन कागजातों पर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की उन 879 फाइलों पर जिन में प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों की भर्ती के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गठित चयन समितियों की कार्य सूची दी गई है, सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए । जहां कहीं समिति ने यह देखा कि कुछ नियुक्तियों के संबंध में भारी अनियमितताएं की गई हैं वहां संबद्ध मामले महा निदेशक के पास उनके विचार जानने के लिए भेजे गए और उन के विचार जानने के बाद उपर्युक्त मामलों पर पुनर्विचार किया गया था । यदि समिति ने यह अनुभव किया कि कुछ मामलों में भारी अनियमितताएं हुई हैं और जिनसे मालूम हुआ कि 1966 में घटना होने के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित पद्धतियों में गड़बड़ी हुई है या निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों के संबंध में नोट तैयार किए गए और परिशिष्ट VIII के रूप में रिपोर्ट में उल्लेख कर दिया गया है .

रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में दिए गए मामलों के बारे में वास्तविक स्थिति 12-11-73 को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण के परिशिष्ट में स्पष्ट कर दिया गया है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के बारे में सरकारी निर्णयों के संबंध में बताया गया है ।

परिषद् के अधीनस्थ संस्थानों में से एक संस्थान के कर्मचारियों की नौकरी से संबंध मामलों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति के अध्यक्ष ने कृषि मंत्री को इन मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए लिखा था । इन मामलों पर सावधानी पूर्वक विचार करके उचित कार्यवाही की गई । इसके अलावा, मालूम होता है कि समिति ने कोई और विशेष मामला नहीं भेजा है जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) में सुझाया गया है ।

समुद्र में हुई दुर्घटना से जापान से खरीदी गई उर्वरक की क्षति

3972. श्री एच० एम० पटेल :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मालक्का स्टेट्स में दो जहाजों के बीच टक्कर हो जाने से भारत द्वारा जापान से खरीदी गई उर्वरक लगभग 8000 टन नष्ट हो गई थी जिससे भारत को लगभग 20 लाख रू० की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ; और

(ख) इस दुर्घटना के तथ्य क्या हैं और क्या इस बारे में भारत सरकार द्वारा कोई जांच की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी नहीं । प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार सारे माल की नहीं, अपितु कुछ माल की ही हानि हुई है । इस दुर्घटना से जहाज के मालिकों, माल के मालिकों, आदि विभिन्न पक्षों द्वारा वहन की जाने वाली हानि के अनुपात का निर्णय समुद्रीय कानून के अनुसार कानूनी औपचारिकाएं पूर्ण होने के पश्चात् ही हो सकेगा ।

(ख) जापान से भारत को 8078 मीटरी टन यूरिया लाने वाले 'कारनेशन' नामक जहाज़ की दिनांक 26 जुलाई, 1973 को मलक्का स्टेट्स में एक दूसरे जहाज़ से टक्कर हो गई थी । इस टक्कर के फलस्वरूप जहाज़ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था । इस जहाज़ को रस्सी खींचकर सिंगापुर ले जाकर मरम्मत की गई । जहाज़ के मालिकों ने अपनी लागत से उसकी मरम्मत शुरू कराई । खर्च के समायोजन तथा बटवारे के बारे में समुद्री कानून के अनुसार (जिसका बाद में निर्णय किया जाएगा) कार्यवाही की जाएगी ।

2. टक्कर की सूचना प्राप्त होते ही इंडिया सप्लाई मिशन, लंदन से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सोलिमिटरों के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही करके भारत सरकार के हित की रक्षा करें । इंडियन हाई कमीशन, सिंगापुर से कहा गया था कि वे भी इस संबंध में सब सम्भव सहायता प्रदान करें और सिंगापुर से आवश्यक कार्यवाही करें । लंदन सालवेज एसोसिएशन ने भारत सरकार के हितों की देख-भाल करने के लिये सिंगापुर में सर्वेक्षण नियुक्त किए थे । भारत सरकार ने इंडियन हाई कमिश्नर, सिंगापुर को सिंगापुर में विधि-सलाहकार नियुक्त करने के लिए भी अधिकार दिया था । सिंगापुर के सर्वेक्षकों से प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चला है कि कुछ माल टक्कर के दौरान पूर्णतः नष्ट हो गया था और कुछ सिंगापुर में उतारना पड़ा, ताकि जहाज़ की मरम्मत की जा सके । इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये भारत से दो अधिकारी सिंगापुर भेजे गये थे । ये अधिकारी विशेषकर निम्नलिखित बातों का मूल्यांकन तथा निर्णय करने के लिये भेजे गये थे:—(क) शेष माल के पहुंचने पर उसे स्वीकार करने के विषय में स्वीकृति, जिसके संबंध में जहाज़ का बचाव करने वाले उसके मालिकों को उत्तर भेजा जाना था और (ख) 'कारनेशन' जहाज़ की मरम्मत होने तक उतारे गये माल को सिंगापुर में गोदाम में रखने और माल को भारत में लाने के लिये दूसरे जहाज़ की व्यवस्था करने के संबंध में लाभ/हानि का मूल्यांकन करना । स्थिति की जांच करने के पश्चात् इन अधिकारियों ने यह निर्णय किया था कि (क) कमी तथा हानि के सामान्य दावों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय बन्दरगाहों पर माल को स्वीकार किया जायेगा और (ख) उतारे गये माल को सिंगापुर गोदाम में रखना तथा मरम्मत करने के पश्चात् इस माल को 'कारनेशन' जहाज में लाना अधिक मितव्ययी सिद्ध होगा । तदनुसार कार्य-वाही की गई । जहाज की मरम्मत के बाद माल का लदान होने पर जहाज़ 31-10-1973 को सिंगापुर से चला और दिनांक 6-11-1973 को नागापत्तिनम पहुंचा ।

3. सिंगापुर के सर्वेक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार जहाज़ में पहले के 8,078 मीटरी टन उर्वरक में से लगभग 2,743 मीटरी टन उर्वरक टक्कर में पूर्णतः नष्ट हो गया था और शेष 5,335 मीटरी टन माल में से लगभग 2,845 मीटरी टन माल को जहाज़ की मरम्मत करने के लिये सिंगापुर में उतारा गया जिसे मरम्मत के बाद जहाज़ में पुनः लादा गया था ।

4. माल की हानि या जहाज़ की क्षति के कारण भारत सरकार को हुई हानि का निर्धारण इस संबंध में वैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने पर ही हो सकेगा और उसी समय यह निर्णय किया जायेगा कि जहाज़ के मालिक, माल के मालिक आदि विभिन्न पक्ष इस घटना के कारण हुई हानि को किस अनुपात से वहन करेंगे ।

5. भारतीय खाद्य निगम ने, जो बन्दरगाहों पर आयातित उर्वरकों के भारत सरकार के संचालन संबंधी ऐजेन्ट हैं, जहाज़ के आने पर जहाज़ तथा उसके माल के सर्वेक्षण की व्यवस्था की थी । इस दुर्घटना के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, ताकि भारत सरकार को यथासंभव अधिकतम राशि प्राप्त हो सके ।

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में पोलैन्ड के नाम पर एक पीठ स्थापित करना

3973. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने इण्डियन स्कूल आंफ माइन्स, धनबाद में पोलैण्ड के नाम पर एक पीठ स्थापित करने के लिए पोलेण्ड की सरकार से ऋण देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो पोलेण्ड ने इस संबंध में क्या उत्तर दिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)

(क) और (ख) आर्थिक व्यापार वैज्ञानिक और तकनीकी सहकारिता के लिए भारत-पोलेण्ड संयुक्त आयोग की वारसा में हाल ही में हुई बैठक में यह सूचित किया गया था कि पोलैण्ड भारतीय खनन स्कूल धनबाद में, खनन पीठ की स्थापना करने में भारत के साथ सहयोग करने की संभावना पर विचार करेगा । तथापि, भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए औपचारिक प्रस्तावों पर अभी विचार किया जाना है ।

Scheme for Providing Financial Assistance to Small and Marginal Farmers Through Financial Organisations.

3974. Shri Nahtu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for providing financial assistance to small and marginal farmers through financial organisations;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the amount distributed under this scheme during the last three months and the State-wise figures thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) The Government of India have sanctioned 46 SFDA (Small Farmers Development Agencies) and 41 MFAL (Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agencies), Projects during the Fourth Five Year Plan in various parts of the country. These are pilot projects designed to reach the benefits of economic development to the numerically large but economically weaker sections of the rural society. Each SFDA project has an allocation of Rs. 150 lakhs and each MFAL Rs. 100 lakhs approximately. It is expected that each SFDA would cover about 50,000 small farmers with holdings between 2.5 to 7.5 acres and each MFAL 15,000 marginal farmers with holdings upto 2.5 acres, and 5,000 agricultural labourers in the respective project areas, during the period of five years.

The programmes under these projects are for intensive improved agriculture and subsidiary occupations for the small and marginal farmers. The agricultural labourers are being provided with off-season employment under the Rural Works Programme of the MFAL Projects. The Agencies extend assistance to individual participants in the shape of subsidy on capital cost on various items of development, The institutional credit organisations extend loans for the balance of cost to enable the beneficiaries to undertake various kinds of investment like setting up minor irrigation units, poultry/dairy etc. The agencies

also extend assistance to institutions for setting up the required infrastructural facilities. Cooperatives are given subsidies for managerial and field staff and risk fund contribution related to additional loans to selected beneficiaries.

(c) A statement showing the amount of grant-in-aid released by the Government of India to different States/UTs under the SFDA/MFAL schemes for providing assistance to small and marginal farmers during September-November, 1973 is enclosed, [Placed, in Library See No. L. T. 5954/73].

दक्षिण दिल्ली में विभिन्न कालेजों के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों की सप्लाई

3975. **श्री आर० एन० वर्मन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली स्थित विभिन्न कालेजों (विशेषकर हस्तिनापुर कालेज) के विद्यार्थियों को वे पाठ्यपुस्तकें, जो उन्हें विद्यार्थी सहायता निधि में से मंजूर की गई थी चालू शिक्षा वर्ष को आरंभ हुए सात महीने के बाद भी नहीं दी गई;

(ख) क्या हस्तिनापुर कालेज के हिन्दी माध्यम से शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें दी गई हैं; और

(ग) विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध न कराए जाने के कारण उन्हें हुई हानि को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, हस्तिनापुर कालेज के प्राधिकारियों ने 20 सितम्बर, 1973 को विद्यार्थी सहायता निधि में से पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने के पात्र विद्यार्थियों की सूची घोषित की थी। विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण सितम्बर में शुरू कर दिया गया था किन्तु कुछ विद्यार्थियों ने बार बार स्मरण कराने के बाद अपनी पुस्तकें देर से प्राप्त कीं। सभी पात्र विद्यार्थियों को अब पुस्तकें दे दी गई है। कुछ विषयों में, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हिन्दी माध्यम की मानक पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं थी और विद्यार्थियों को अस्थाई तौर पर अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें दे दी गई थी। हिन्दी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध होते ही उन्हें विद्यार्थियों को दे दिया गया था।

दक्षिण दिल्ली स्थित अन्य कालेजों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Chocolate containning iron piece at indore

3976. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it has been reported from Indore that a one inch long iron piece has been found in Chocolate of 'Ravalgaon' Company;

(b) whether a Doctor of Badnagar has also prepared a document regarding chocolate containing iron piece in the presence of Press Reporters; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard and the details thereof as also steps to be taken in future?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) (a) to (c)—The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Sugar dealers of Mandsaur and Ratlam districts given permits to bring Sugar from Uttar Pradesh and Maharashtra

3977. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the number of sugar dealers of Mandsaur and Ratlam Districts in Madhya Pradesh who were given permits during 1970-71 and 1971-72 for bringing sugar from Uttar Pradesh and Maharashtra besides Madhya Pradesh;

(b) whether Government have received complaints to the effect that these dealers sold the sugar in the States from where they had purchased it; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) : The appointment of wholesale dealers for lifting stocks of levy sugar from factories in different States, its allocation to different Districts within the State, and matters relating thereto, were the concern of the State Government in 1970-71 and 1971-72. The required information has accordingly been called for from the Government of Madhya Pradesh and it will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

तिप्तू (कर्णाटक) में एक बच्चे का बेचा जाना

3978. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कनारा के एक दम्पति ने तिप्तू (कर्नाटक) में अपने एक बच्चे को 30 रुपये में बेच दिया ;

(ख) क्या यह दम्पति अत्यन्त कठिनाई में था और उनके पास खाने को कुछ नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र के ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि बच्चे की तथाकथित बिक्री गरीबी अथवा खाद्य की अनुपलब्धता के कारण नहीं की गई थी बल्कि बच्चे के माता-पिता ने कुछ धार्मिक अन्धविश्वास के डर के कारण ऐसा किया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खमीर (यीस्ट) की आवश्यकता

3979. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खमीर की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) इसके उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त कम्पनियों द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा सप्लाई के अन्तर को यदि कोई है, पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय के अनुमान के अनुसार खमीरे (शुष्क) की कुल आवश्यकता 1250 मीटरी टन है। तकनीकी विकास निदेशालय ने बताया है कि मौजूदा यूनिटों ने वर्ष 1972 में लगभग 788 मीटरी टन शुष्क खमीरे का उत्पादन किया था। माडर्न बेकरी देश में खमीरा तैयार करने के लिए एक संयंत्र लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

पश्चिम बंगाल में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

3980. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने पश्चिम बंगाल में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म के उर्वरक के मूल्य में कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई है;

(ग) मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस बात को मानती है कि इस मूल्य वृद्धि से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी हां। आयातित और देश में निर्मित्त दोनों तरह के यूरिया, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों के सांविधिक मूल्य और आयातित उर्वरकों के खुदरा मूल्य हाल ही में बढ़ा दिये गये हैं।

(ख) विभिन्न उर्वरकों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि की दर नीचे दी गई है :—

उर्वरक का नाम	खुदरा मूल्य में प्रति मी० टन वृद्धि (रुपयों में)
यूरिया (46 प्रतिशत एन)	91
अमोनियम सल्फेट सफ़ेद (100 किलोग्राम की बोरियों में)	41
केलशियम अमोनियम नाइट्रेट (26 प्रतिशत एन)	51
डी अमोनियम फासफेट	89
अमोनियम नाइट्रेट फास्फेट	291
म्यूरिएट आफ पोटाश (100 कि० ग्रा० की बोरियों में)	127

(ग) मूल्यों में वृद्धि इन कारणों से आवश्यक हो गई थी (1) नेप्था के मूल्यों में वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि और (2) उर्वरकों के आयात लागत में वृद्धि।

(घ) इस संबंध में किये गये अध्ययनों से पता चला है कि उर्वरकों के मूल्य में कुछ थोड़ी सी वृद्धि से उर्वरकों की खपत या किसानों की निबल आय पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा।

भू-जल संसाधनों का मानचित्र तैयार करने के लिए सोवियत संघ की पेशकश

3981. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत में जल संसाधनों के लिए मानचित्र तैयार करने की पेश-कश की है; और

(ख) इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस मामले में यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उटता ।

उर्वरकों की मांग के सम्बन्ध में मतभेद

3982. **श्री रामभगत पासवान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की प्रायोजित मांग के संबंध में कृषि मंत्रालय और योजना आयोग में कुछ आपसी मतभेद हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) तथा (ख) कृषि मंत्रालय में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 85 लाख मीटरी टन उर्वरक पोषक तत्वों की मांग का अनुमान लगाया है। योजना आयोग और कृषि मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श के बाद 80 लाख टन मीटरी पोषक तत्वों की मांग होने का अंतिम अनुमान लगाया गया है जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

Utilization of Loan by Bihar for purchase in Irrigation Pumps

3983. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Agriculutre** be pleased to state :

(a) whether the loan advanced by the Central Government has been utilized by the Bihar Government in purchasing such irrigation pumps as are mostly lying out of order; and

(b) the factual position, the names of the guily persons and the action being taken in this regard?

The State Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) & (b) The Bihar Government did utilise a part of the long term loan advanced by the Central Government for the Emergency Agricultural Production Pro gramme during 1972-73 for the purchase of pump sets. Informaton regarding these pump sets has been called for from the State Government.

गुजरात के राजकोट जिले में नलकूप लगाने के लिए धनराशि

3984. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के राजकोट जिले में जल का अत्यन्त अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस क्षेत्र में अधिक नलकूप लगाने के लिये राज्य सरकार को समुचित धन प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत जल सिंचाई संशोधन

3985. **श्री नरसिंह रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में जो सिंचाई संसाधनों के लिए मुख्यत: छोटे सिंचाई स्त्रोतों पर जैसे तालाब और कुओं इत्यादि पर निर्भर हैं, भूमिगत जल सिंचाई संसाधनों के तेजी से कम होने की जानकारी हैं;

(ख) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए जल संग्रह परियोजनाओं के द्वारा भूमिगत जल संसाधनों को बनाये रखने के लिए एक उचित रूप से संशोधित और वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त बृहत्त योजना बनाई जाएगी ;

(ग) क्या इस कार्य हेतु विश्व बैंक से सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूरिया के उत्पादकों द्वारा इसके मूल्य में वृद्धि के लिए अनुरोध

3986. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के उत्पादकों ने यूरिया के मूल्य में 250 रुपये प्रति टन तथा अन्य उर्वरकों के मूल्यों में तदनुरुप वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) तथा (ख) उर्वरक उद्योग कुछ समय से ऐसे अभ्यावेदन देता रहा है कि कच्चे माल संयंत्र उपकर्णों फालतू पुर्जों श्रम आदि पर लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप नाइट्रोजनी उर्वरकों की लागत बढ़ गई है. इसलिए उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नियत 3 नाइट्रोजनी उर्वरकों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि की जायें।

उत्पादन की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि करने की इस मांग और इसी प्रकार के आयातित उर्वरकों की लागत में वृद्धि और किसानों की अधिक मूल्य चुका सकने की बात को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने यूरिया के मूल्य में 91 रुपये प्रति मीटरी टन अमोनियम सल्फेट के मूल्य में 41 रुपये प्रति मीटरी टन और केलशियम अमोनियम नाइट्रेट के मूल्य में 51 रुपये प्रति मीटरी टन की वृद्धि की है।

पंजाब के जिलों में नलकूप लगाना

3987. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से गुरदासपुर अमृतसर और फिरोजपुर जिलों के 10 मील लम्बे सीमावर्ती क्षेत्र में 10,000 नए नलकूप लगाने के लिए धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने धन की व्यवस्था की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां। पंजाब सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 10,000 निजी (उथले) नलकूप लगाने के लिए केन्द्र से धनराशि के लिए अनुरोध किया था।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार ने इस योजना की मंजूरी दे दी है और इस योजना में राज सहायता के हिस्से की 2.5 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में मंजूर कर दी गई है। राज्य सरकार शेष 2.5 करोड़ रुपये की राशि संस्थागत श्रोतों से प्राप्त करेगी।

आन्ध्र प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियां

3989. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री सी० के० चन्द्रपन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आन्ध्र प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और साम्प्रदायिक तनाव और गड़बड़ी उत्पन्न कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा संस्थाओं से साम्प्रदायिकता की ऐसी जहरीली जड़ को उखाड़ फैंकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) आन्ध्र प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं में आर० एस० एस० की गतिविधियों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पाठ्येतर कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

सेन्ट्रल स्टेट फार्म रायचूर-मैसूर द्वारा संकर किस्म की कपास का रिकार्ड उत्पादन

3990. **श्री के० मालन्ना :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल फार्म (रायचूर मैसूर) के वरलक्ष्मी संकर किस्म की कपास का उत्पादन सूडान और मिस्र में होने वाले कपास के उत्पादन के बराबर करके एक रिकार्ड स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रति हैक्टेयर उसके उत्पादन के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) कब तक भारत इस संबंध में आत्म-निर्भर हो जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय राज्य फार्म रायचूर में वरलक्ष्मी संकर कपास से 1972-73 में 6 हैक्टेयर के एक भू-खण्ड में प्रति हैक्टेयर 35 क्विंटल अधिकतम उपज प्राप्त की गई थी। यह उपज 25 क्विंटल प्रति हैक्टार की अन्तर्राष्ट्रीय औसत उपज से अधिक है। यह उपज संयुक्त अरब गणराज्य में 1969 में हुई प्रति हैक्टार लगभग 24 क्विंटल उपज से भी अधिक है। तथापि इस फार्म में वरलक्ष्मी कपास कुल 81 हैक्टार क्षेत्र में बोई गई थी और औसत उपज 23 क्विंटल प्रति हैक्टार हुई।

(ग) वरलक्ष्मी कपास लम्बे रेशे की कपास है और देश की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लम्बे रेशे की कपास के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जाने की संभावना है। तथापि जहां तक अतिरिक्त लम्बे रेशे की कपास का संबंध है हमें लगभग 2 से 3 लाख गांठों तक का आयात करना पड़ेगा।

Slashing in Slum Clearance Programme of Delhi.

3991 **Shri Jagannathrao Joshi:**
Shri Ram Bhagat Paswan :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the amount of Rs. 80 crores earmarked for the cleaning of slum areas of Delhi has been reduced to only Rs. 5 crores; and

(b) if so, the items and projects deferred as a result of this reduction to the tune of Rs. 75 crores ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) :(a) The Fifth Five Year Plan is yet to be finalised.

(b) Does not arise.

Setting up of Vanaspati Factory in Ratlam (M. P.)

3993. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4803 on the 29th August, 1973 regarding the Licences for setting up of a Vanaspati factory in Ratlam (M.P.) and state the action that has since been taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): The need for further licensing in Vanaspati Industry in the context of its excess installed capacity, and the demand and supply position of edible oils used in the manufacture of vanaspati, is still under review. The Ratlam application, as well as other pending applications will be disposed of after the review is completed.

कापीराइट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण

3994. श्री मोहम्मद शरीफ: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रापराइटी आर्गेनाइजेशन के महानिदेशक ने 13 अक्तूबर, 1973 को नई दिल्ली में कापीराइट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण बनाने पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी हां। साहित्यिक कलात्मक, वैज्ञानिक कृतियों तथा फिल्मों और फोनोग्रामों के निर्माताओं को संरक्षण सुनिश्चित करके कापीराइट इनके निर्माण तथा ऐसे कार्यों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के संरक्षण के लिए भारत ने कापीराइट संबंधी दो अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों अर्थात् यूनिवर्सल कापीराइट कन्वेंशन 1952 और वर्न कन्वेंशन पर समय समय पर यथासंशोधित हस्ताक्षर किए हुए हैं।

उड़ीसा में क्योंझर के स्थान पर सोऊरा विकास योजना

3995. श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने उड़ीसा में क्योंझर के स्थान पर सोऊरा विकास योजना का उद्घाटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) प्रधान मंत्री ने उड़ीसा में क्योंझर के स्थान पर हाल ही में किसी सोऊरा विकास योजना का उद्घाटन नहीं किया है। तथापि प्रधान मंत्री ने भुयां-पीर तथा जवांगपीर इलाकों की जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 17 अक्तूबर, 1973 को उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में जनजाति विकास की एक नई प्रायोगिक परियोजना (जनजाति विकास अभिकरण परियोजना) का उद्घाटन किया है।

तथापि उड़ीसा के गंजम जिले के चन्द्रगिरि क्षेत्र में एक सोऊरा विकास योजना चल रही है और यह राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने क्योंझर के स्थान पर जनजाति विकास अभिकरण परियोजना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट (कार्यवाही योजना) भेजी है जो अब भारत सरकार के विचाराधीन है। जनजाति विकास अभिकरण परियोजना क्योंझर के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली योजनाओं की मोटी-मोटी बातें ये होंगी :—

(1) जनजाति कृषकों को भूमि विकास के लिए सहायता देना;

(2) उन्हें सुधरे कृषि तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना;

(3) जन्जाति क्षेत्रों में तिलहनों, बरसाती आलू, सब्जियां उगाने, दालों तथा अन्य अधिक उपज देने वाली फसलों आदि का विकास करना;

(4) बागवानी विकास;

(5) डेरी, सूअरपालन, कुक्कुट पालन, बकरीपालन, भेड़ पालन, मधु-मक्खी पालन आदि जैसे पशुपालन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायक व्यवसायों के माध्यम से जनजातियों की सहायता करना;

(6) लघु सिंचाई तथा संचार साधनों में सुधार करना;

(7) परियोजना क्षेत्रों में सहकारी तथा विपणन ढांचे का विकास करना।

जहां तक गंजम जिले की सोऊरा विकास योजना का संबंध है उड़ीसा सरकार ने विस्थापित सोऊरा आदिवासियों के विकास के लिये 16.66 लाख रुपये की कुल लागत की एक विशेष योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य चन्द्रगिरि के सोऊराओं जिनके सर्वतोमुखी आर्थिक विकास के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, को पुनः बसाना है। राज्य सरकार ने प्रारम्भिक कार्य शुरू करने के लिये राज्य संसाधनों से 3.95 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में "प्लानिंग फोरम्ज" (आयोजन मंच)

3996. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कालेजों और विश्वविद्यालयों में "प्लानिंग फोरम्स" (आयोजन मंचों) की संख्या क्या है;

(ख) क्या उक्त मंचों की गतिविधियां और निष्कर्ष सरकार को उपलब्ध कराये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इन मचों की उपलब्धियों के बारे में सरकार ने क्या मूल्यांकन किया है और उक्त मंचों के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये यदि कोई सुझाव दिये गए हैं तो उनकी रूपरेखा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिये कुल कितनी राशि दी गई तथा व्यय की गई?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति बिभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) आयोजना आयोग द्वारा वर्ष 1955 से कार्यान्वित की गई आयोजना मंच योजना को वर्ष 1968 में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों/कालेजों में आयोजना मंचों की संख्या लगभग 400 से बड़कर 1140 हो गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आयोजना मंचों के कार्यों का मूल्यांकन करना व अनुदान मंजूर करना होता है। राज्य सरकारों से मांगें प्राप्त होने पर इन आयोजना मंचों पर प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किये गए खर्चे के 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार करती है। केन्द्रीय सरकार को ऐसे आयोजना मंचों के क्रियाकलापों की रिपोर्टों का सारांश ही प्राप्त होता है जिनके लिये राज्य सरकारों ने अनुदान दिये हैं तथा जिनके संबंध में केन्द्र से प्रतिपूर्ति की मांग की जाती है।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विद्यमान अधिकांश आयोजना मंच कारगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि आयोजना मंचों तथा राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे वर्ष 1969 में आरम्भ किया गया था के कार्यकलाप एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आयोजना मंच योजना का अगस्त, 1973 में पुनरीक्षण किया गया था। यह निर्णय किया गया था कि इस योजना को एक केन्द्रीय योजना के रूप में संशोधित किया जाये जिसके लिये धन की पूरी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाये तथा जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अनुपूरक के रूप में कार्य करें। परिशोधित आयोजना मंच योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय छात्रों में अपितु निकटवर्ती समाज में भी आयोजना के प्रति चेतना जागृत करना है। इस योजना में छात्रों तथा अध्यापकों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणों की परिकल्पना है ताकि इन क्षेत्रों के समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी विकास कार्यक्रमों के बारे में पता लगाया जा सके। बाद में वे ऐसे सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन कार्य में भाग लेंगे जिन्हें वे प्रारम्भ करके पूरा कर सकें।

(घ) 50,000/– रुपये की परिशोधित बजट व्यवस्था में से, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक 14,550/– रुपये की राशि दी जा चुकी है।

Seizure of Smuggled Beef at Bombay

3997. Shri Rana Bahadur Singh : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether 800 kilos of beef worth Rs. 3000 smuggled from Delhi was seized in Bombay; and

(b) if so, the facts thereof and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) The information is being collected from the Delhi Administration and the Government of Maharashtra and the same will be placed on the Table of Lok Sabha as soon as it is received.

गंगानगर, राजस्थान के एक किसान द्वारा गेंहूं की किस्म के बीज का बिकास

3998. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के गंगानगर जिले में 59 आर० बी० राय सिंह नगर के बलवन्त राय वर्मा नामक एक प्रगतिशील किसान ने बिना किसी राजकीय सहायता के अपने ही साधनों से गेहूं की एक नई किस्म के बीज का विकास किया है जो गेहूं के दाने तथा चारे की दृष्टि से देश में विकसित गेहूं की कुछ उत्तम किस्मों में से हैं; और

(ख) क्या योजना मंत्री द्वारा पहल करने पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की परियोजना समन्वय (गेहूं) और मुखिया (कृषि), योजना आयोग ने उसके फार्म को देखने की तिथि निश्चित की थी परन्तु न तो वे उसके फार्म में आये और न ही उसके के० आर० 1 और 2 किस्मों को अखिल भारतीय गेहूं समन्वय परीक्षण में शामिल किया गया, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) बताया गया है कि श्री कुलवंत राय वर्मा (वलवन्तराय वर्मा नहीं) नामक एक प्रगतिशील किसान ने गेहूं की कुछ किस्मों का विकास किया है, जो उनके कथनानुसार, अनाज तथा चारा उत्पादन की दृष्टि से उत्तम किस्मों में से हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को योजना आयोग के माध्यम से श्री के० आर० वर्मा द्वारा उगाए गए बीज के नमूने प्राप्त हुए थे। गेहूं के वैज्ञानिकों के पास समय का अभाव होने के कारण खेत में खड़ी फसल का निरीक्षण नहीं किया जा सका।

इन किस्मों (के० आर० 1 और के० आर० 2) का राजस्थान के गेहूं विशेषज्ञ और परियोजना समन्वयक (गेहूं) ने परीक्षण किया है। परीक्षणों के परिणामों से पता चला है कि श्री वर्मा द्वारा विकसित किस्में लम्बी और गेहूं रतुआ से शीघ्र प्रभावित होने वाली हैं और उनके पकने में काफी समय लगता है। उसके दाने विकसित भी छोटे होते हैं।

श्री वर्मा से प्राप्त हुई किस्मों को प्रयोगात्मक खेतों में उगाने के बाद जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, उनके बारे में सितम्बर, 1973 में आयोजित अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान कर्त्ता सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों में शामिल करने के लिए सम्मेलन ने इन किस्मों को काफी उन्नतशील नहीं समझा।

कर्नाटक में मूंगफली का अनुमानित उत्पादन

3999. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कर्नाटक में प्रति हेक्टेयर मूंगफली का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में वर्ष 1972-73 के दौरान उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) अनुमान लगाया गया है कि कर्नाटक में मूंगफली की प्रति हेक्टार उपज वर्ष 1971-72 में 756 किलोग्राम और वर्ष 1972-73 में 603 किलोग्राम थी।

(ख) पिछले वर्ष (1971-72) की तुलना में वर्ष 1972-73 के दौरान विभिन्न राज्यों में मूंगफली की प्रति हैक्टार उपज और कुल उत्पादन में होने वाला अन्तर संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में मूंगफली (सावत) की उपज में होने वाला अन्तर :

राज्य	वर्ष 1971-72 की तुलना में वर्ष 1972-73 के दौरान उत्पादन में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	
	प्रति हैक्टार उत्पादन (किलोग्रामों में)	कुल उत्पादन (हजार मीटरी टन में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	(-) 74	(-) 267.4
बिहार	@	(-) 2.1
गुजरात	(-) 665	(-) 1,191.2
हरियाणा	@	(-) 1.0
हिमाचल प्रदेश	@	—
कर्नाटक	(-) 152	(-) 310.7
केरल	(-) 112	(-) 0.3
मध्य प्रदेश	(+) 57	(+) 19.6
महाराष्ट्र	(-) 365	(-) 271.0

1	2	3
उड़ीसा	(−) 241	(−) 27.3
पंजाब	(−) 91	(−) 31.0
राजस्थान	(−) 188	(−) 33.3
तमिल नाडु	(−) 129	(−) 226.3
उत्तर प्रदेश	(+) 336	(+) 86.3
पांडचेरी	@	(−) 1.0
अखिल भारत	(−) 252	(−) 2,256.7

@राज्य में महत्वपूर्ण फसल नहीं है।

टिप्पणी :—1. खरीफ के मौसम में सूखा पड़ने के कारण 1972-73 के दौरान उत्पादन में प्रायः कमी हुई है।

2. जिन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, उनमें यह फसल अधिक नहीं उगाई जाती।

सितम्बर, 1973 के दौरान दिल्ली में हुआ मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

4000. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में 17 सितम्बर, 1973 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) : सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी :—

(1) निम्नलिखित विशेष संदर्भ में 1973-74 मौसम के लिये खरीफ के अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य तथा अधिप्राप्ति नीति :—

(i) धान, चावल और मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करना,

(ii) चावल का निर्गम मूल्य निर्धारित करना,

(iii) खरीफ के अनाजों की अधिप्राप्ति के लक्ष्यों का अन्दाजा लगाना और केन्द्रीय पूल के लिये स्टाक अभिग्रहण करना,

(iv) अधिप्राप्ति प्रणाली, और

(v) क्षेत्रीय प्रतिबन्ध।

(2) विपणन मौसम 1974-75 के लिये गेहूं के गारंटी-बद्ध मूल्य निर्धारित करना।

सब्जियों में विषैली कीटाणुनाशक औषधियों का मिलाना

4001. श्री पी० गंगादेव :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विषैली कीटाणुनाशक औषधियों की विभिन्न किस्में सब्जियों के साथ मिलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख) सब्जियों की फसल काटने के बाद कोई विषैली कीटानाशक दवाइयां उनमें सीधे नहीं मिलाई जाती हैं। सब्जियों की फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिये उन पर कीट नाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं। खाद्य मिलावट अधिनियम के अन्तर्गत अवशिष्ट कीटनाशक औषधियों के लिये सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के किसानों को खेतों और भण्डारण में कीटनाशक दवाइयों के सही प्रयोग के सम्बन्ध में शिक्षा देने के लिये आवश्यक तंत्र की स्थापना की है, ताकि कीटनाशक दवाओं के कोई विषैले अवशिष्ट पदार्थ सब्जियों में न रह जाएं।

राज्य कृषि विशेषज्ञों का सम्मेलन

4002. श्री पी० गंगादेव :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधियों ने भी सितम्बर, 1973 के आरम्भ में नई दिल्ली में आयोजित राज्य कृषि विशेषज्ञों के सम्मेलन में भाग लिया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) : जी हां।

दादरा और नागर हवेली में पशुओं के लिये चरागाह को अपने अधिकार में लेकर भूमिहीन आदिवासियों में बांटना

4003. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री रामूभाई पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश जारी करने पर विचार कर रही है जिन्होंने दादरा और नागर हवेली के पशुओं के लिये चरागाह पर कब्जा किया हुआ है ताकि ऐसी भूमि को अपने अधिकार में लेकर उन्हें भूमिहीन आदिवासियों में बांट दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख) कुछ चरागाहें अलवाड़ा पट्टों के अन्तर्गत आती हैं, जिन्हें पट्टे की शर्तों के अनुसार खेती के अन्तर्गत लिया जाना है। कुछ पट्टेदारों ने अलवाड़ा के अन्तर्गत ली गई चरागाह की भूमि में खेती नहीं की, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1969-70 में आरगेनिजेकेओं अग्रेरिय के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत अलवाड़ा पट्टे रद्द कर दिये गए थे। बम्बई उच्चतम न्यायालय ने क्रियाविधि के आधार पर यह आदेश रद्द कर दिये। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अलवाड़ा के धारकों को नए कारण बताओं नोटिस जारी किये गए हैं। यह मामला कलक्टर के न्यायालय में निलम्बित है अतः इस स्थिति में इस समय कोई निर्णय नहीं किया जा सकता।

पशु विकास योजना के लिये मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

4004. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में पशु विकास योजना के लिये क्या मार्गनिर्देशक योजना तैयार की है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने योजना को क्रियान्वित किया और इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार पशु विकास योजना के लिये कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी डेरी पशुओं के साथ संकर प्रजनन द्वारा अपने देश के पशुओं की प्रजनन शक्ति में सुधार लाने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। अधिकांश विदेशी वंशांगति का सम्बन्ध जर्सी नस्ल से होने की सम्भावना है किन्तु जहां पोषण के प्रबन्ध और पशुओं में उत्पादकता शक्ति उचित मात्रा में मौजूद हो वहां फ्रीशीयन, ब्राऊन स्विस तथा रैड डेन्स जाति से भी संकरण कराया जा सकता है। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये रैड सिन्धी, गिर, थापार्कर, हरियाणा जैसी सुप्रसिद्ध भारतीय नस्लों के साथ संकरण करके देशीय पशुओं को उन्नत किया जाना चाहिये। उत्पादित दूध के विपणन कार्य की सुविधा के लिये संकर प्रजनन कार्य के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को डेरी प्लान्टों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।

(ख) इस तथ्य के बावजूद भी कि विशेषकर प्रजनन सम्बन्धी पशु विकास कार्यक्रमों के परिणाम निकलने में काफी समय लग जाता है, सभी राज्य तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्र पशुओं की नस्ल को सुधारने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से पशु विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में हुआ खर्च संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्रों में पशु विकास व पशुधन विकास कार्यक्रमों पर गत तीन वर्षों (1970-1971, 1971-72, तथा 1972-73) में हुआ योजना व्यय

(रु० लाखों में)

राज्य/केन्द्रीय शासित क्षेत्र	1970-71	1971-72	1972-73 (प्रत्याशित)
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	21.32	32.27	41.18
2. असम	72.99	77.80	82.84
3. बिहार	41.02	28.17	63.00
4. गुजरात	77.24	89.00	125.00
5. हरियाणा	45.12	53.97	70.00
6. हिमाचल प्रदेश	39.02	29.38	42.00
7. जम्मू तथा कश्मीर	58.31	74.09	121.36
8. केरल	52.17	51.70	60.37
9. मध्य प्रदेश	54.09	78.76	150.64
10. महाराष्ट्र	43.57	61.48	78.93
11. मणिपुर	4.23	4.58	14.69
12. मेघालय	16.72	15.21	21.00
13. मैसूर	46.70	47.81	62.70
14. नागालैण्ड*	18.25	18.17	28.85
15. उड़ीसा	49.01	61.13	88.32
16. पंजाब	54.67	95.60	125.00
17. राजस्थान	37.10	48.27	62.70
18. तमिलनाडु	31.99	46.17	96.75
19. त्रिपुरा	3.20	6.50	14.00
20. उत्तर प्रदेश	103.94	121.14	129.64
21. पश्चिम बंगाल	99.13	81.58	89.00
राज्यों का जोड़	969.79	1122.78	1567.97

*इसमें डेरी तथा दुग्ध सप्लाई भी शामिल है ।

1	2	3	4
22. अंडेमान तथा निकोबार उपमहाद्वीप .	1.32	2.16	8.20
23. अरुणाचल प्रदेश	7.29	6.58	11.03
24. चंडीगढ़ .	8.15	10.47	5.05
25. दादरा तथा नगर हवेली	0.50	0.43	1.00
26. गोआ, दमन तथा दीव	20.22	19.16	14.36
27. देहली . .	9.62	25.03	32.53
28. लकादीव मिनिकाय तथा अमीनदीव .	0.64	0.60	0.92
29. मिजोरम			12.83*
30. पांडिचेरी	3.79	4.03	4.70
संघ राज्य क्षेत्रों का जोड़	51.53	68.46	90.62
कुल जोड़	1021.31	1191.25	1658.58

*इसमें डेरी तथा दुग्ध सप्लाई भी शामिल है।

बम्बई से अमरीका जाने वाले जहाजों में चढ़ाये गये माल पर भाड़ा अधिप्रभार में वृद्धि

4005. श्री डो०पी० जदेजा :

श्री वेकारिया :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि बंबई से अमरीका जाने वाले जहाजों में चढ़ाये गये सभी माल पर 25 प्रतिशत का भाड़ा अधिप्रभार लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : (क) जी, हां। भारत के पश्चिम तट और पाकिस्तान/संयुक्त राज्य अमरीका सम्मेलन में बंबई में लादे गए माल के लिए सभी भाड़ा दरों पर 25 प्रतिशत का अधिप्रभार लगाया है जो कि 24-11-73, को या बाद लदान शुरु करने वाले जहाजों पर लागू होगा। अधिप्रभार भारी लिफ्ट/लंबी दूरियों, मोड़ प्रभारों और अन्य अधिप्रभारों पर लागू नहीं होता।

(ख) सरकार ने सम्मेलन से भारी विरोध प्रकट किया है और उनसे तब तक मामले को स्थगित रखने का अनुरोध किया है जब तक कि लागत/राजस्व सामग्री के आधार पर नौ-वणिकों से इसके बारे में चर्चा नहीं कर ली जाती। सम्मेलन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। पत्तन के माल में जमाव को कम करने के लिए बम्दई पत्तन न्यास ने तीसरी पारी भी शुरू कर दी है।

सहकारी संघों द्वारा उर्वरकों की सप्लाई के लिये अनुरोध

4006. श्री पुरुषोतम काकोडकर :

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, बंगलौर और लखनऊ स्थित सहकारी संघों ने उनके मंत्रालय को दिसम्बर, 1973 तक 2,50,000 टन उर्वरक की सप्लाई करने की व्यवस्था करने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी नहीं। यह मंत्रालय पूल उर्वरकों का नियतन केवल राज्य सरकारों को करता है। राज्य सरकारें पूल उर्वरकों का पुनः नियतन अपने विवेक से (क) सरकारी विभागीय एजेंसियों, (ख) सार्वजनिक एजेंसियों जैसे कि सहकारी समितियों और राज्य कृषि उद्योग निगमों तथा (ग) मिश्रण तथा दाने तैयार करने वाले यूनिटों को करती है। उसके बाद इनकी सप्लाई पुनः किये गये नियतन के आधार पर की जाती है, लेकिन राज्य सरकारें ही आवश्यकताओं का जायजा लेकर भारत सरकार को इसकी सूचना देती है और नियतन भी केवल राज्य सरकारों को ही किया जाता है। उर्वरकों की आवश्यकता और नियतन के मामले में राज्य सरकारों और सहकारी संघों के बीच सीधे किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम, उत्तर क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

4007. श्री सी० जनार्दनन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम, उत्तर क्षेत्र के कर्मचारियों ने 15 नवम्बर को लखनऊ में केन्द्रीय खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री के निवास स्थानों पर प्रदर्शन किया था,

(ख) यदि हां तो कर्मचारियों की क्या मांगें हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग) जी हां। आंदोलन उन कुछेक अस्थायी कर्मचारियों, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं अधिप्राप्ति अभियान के दौरान 3 महीने की अवधि के लिए अथवा इस विशेष शर्त पर कि उनकी सेवाएं अल्पकालीन सूचना पर समाप्त कर दी जाएगी, रखा गया था, की पदावनति और छंटनी के विरूद्ध किए गए थे। उनकी पदावनति और छंटनी करनी आवश्यक हो गयी थी क्योंकि यह पाया गया कि सभी संभव समायोजन करने के बावजूद लगभग 800 कर्मचारी आवश्यकता से फालतू हो गए थे।

Shortage of Seed-Wheat and Seed Grams for Sowing

4008. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether farmers in many States could not get Seed-wheat and Seed-grams for sowing;

(b) whether Government were aware of this shortage; and

(c) the arrangaments that had been made by Government and the rates of seeds per quintal (wheat and grams) at which they were issued by the marketing societies or other Government agencies in Madhya Pradesh and Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) State Governments are primarily responsible for the assessment of the seed requirements and making arrangements for their production and distribution. No shortage of Gram seeds had been reported by any State Govt. Rajasthan Government indented for 19,000 quintals of gram seed from the State Farms Corporation of India which was supplied. As regards wheat seed, some of the State Governments had come up with requests for supply of wheat seed for bringing additional areas under cultivation, due to favourable conditions created by rains. Some others could not procure their total requirements from within their own States, because of drought conditions in the previous Rabi seasons. In view of the general shortage of wheat seed, arrangements were made by the Government of Indian for release of the following quantities of good quality wheat stock from the Food Corporation of India, for use as seed;

	tonnes
1. Madhya Pradesh	3,000
2. Gujarat	3,000
3. Rajasthan	5,000
4. Bihar	5,000
5. Assam	5,000

Information regarding the rates per quintal of wheat and gram seeds at which the marketing societies and other Government agencies in Madhya Pradesh and Rajasthan issued, is being collected and will be placed on the Table of the House.

Cleaning of forest area and its distribution for Cultivation

4009. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States where Government have cleaned forest lands to make them cultivable during 1971-72 and 1972-73; and

(b) the extent of the allotment of this land to the harijans?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) The information is being collected from the States and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Testing of Admixtures in Fertilisers

4010. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the fertilisers and urea manufactured by the private companies are tested by Government from time to time so as to ensure that the various admixtures thereof are in the right proportion; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) The Fertiliser Control Order empowers the State Government to carry out quality control tests of all fertilisers including those manufactured by private companies to ensure that feritlisers are of the prescribed standard, and that the nutrients are in the proper proportion.

According to the latest information furnished by the State Governments, 12,075 samples of fertilisers including of those manufactured by private companies were collected and analysed during 1972-73 to ensure the standard quality of fertilisers.

Intensive Agricultural Farms

4011. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of intensive agricultural farms in the various States of the country; and

(b) the number of farms which are incurring losses continuously for the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) There are no farms by the name of "Intensive Agricultural Farms" run by the Government of India or by the State Governments.

(b) Does not arise.

Scheme to take over Medical Colleges and Hospitals by Delhi Administration

4012. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration has any scheme to take over Medical Colleges and Hospitals in Delhi;

(b) whether there is also a proposal to modify their education system; and

(c) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

गेंहूं का नई बौनी किस्म से उत्पादन

4013. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रभूदास पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम उर्वरक वाले क्षेत्रों में भी गेहूं की नई बौनी किस्म से किसानों के खेतों में बेहतर उत्पादन हुआ तथा परम्परागत लम्बी किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन हुआ ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी सच्चाई है ;

(ग) क्या इसके सफल उत्पादन को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का विचार किसानों को वर्तमान उर्वरक की कमी के बावजूद भी इस रबी मौसम के दौरान यथासंभव अधिक से अधिक बौना गेहुं बोने के लिए कहने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस किस्म का गेहूं बोने के लिए कितने राज्य सहमत हो गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों से पता चलता है कि बिना उर्वरकों के उपयोग तथा कम उर्वरता की दोनों परिस्थितियों के अंतर्गत परम्परागत लंबी किस्मों की तुलना में बोनी किस्मों से अधिक उत्पादन हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खाद्यान्न सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन की योजना

4014. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन:**

श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या** संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा **कृषि** संगठन ने सभी राष्ट्रों के लिये खाद्यान्न सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये एक आपातकालीन कार्यवाही के लिय मतैक्य प्राप्त करने हतु रोम में 10 नवम्बर, 1973 को एक सम्मेलन किया था,

(ख) यदि हां, तो अन्य किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ, और

(ग) क्या क्या निर्णय किये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) खाद्य कृषि संगठन का नवम्बर, 1973 में हुआ सम्मेलन नियमित द्विवषीय सम्मेलन था जोंकि उसके कार्यक्रम और बजट की स्वीकृति के लिए हुआ था। उसमें जिन विशिष्ट विषयों पर चर्चा हुई थी वे इस प्रकार थे—मूल खाद्य की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय कृषि समायोजन के लिए नीति बनाने हेतु उपाय अपनाना तथा 1974 में विशेष विश्व खाद्य सम्मेलन का आयोजन करने संबंधी प्रस्ताव। यह खाद्य सम्मेलन विकासशील देशों को उनके उत्पादन प्रयास में सहायता करने और खाद्य सहायता तथा व्यापार में विशिष्ट उपाय करने के बारे में विशेष आश्वासन देने का निर्णय कर सकता है। खाद्य-कृषि संगठन सम्मेलन ने खाद्य-कृषि संगठन के कार्यक्रम की नई प्राथमिकताओं का अनुमोदन किया है तथा उत्पादन हेतु और अधिक प्रयास करने और कृषि आदानों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कहा है। सम्मेलन ने यह इच्छा व्यक्त की कि खाद्य कृषि संगठन द्वारा पोषाहार कार्यक्रमों का निपटारा करने के लिए और विशेषतया समन्वित खाद्य तथा पोषाहार नीतियों को तैयार करने में देशों की खाद्य कृषि संगठन द्वारा मदद करने के लिए नया रूप देना चाहिए। तथापि, सम्मेलन की सरकारी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

मुगल लाइन्स द्वारा मालवन, धाबोल और अछरा बंदरगाहों को स्टीमर सेवा से जोड़ना

4015. **श्री मधु दंडवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकन स्टीमर यात्री सेवा, जिसे मुगल लाइंस ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, का विस्तार मालवन, धाबोल और अछरा जैसे बंदरगाहों में किया जायगा ; और

(ख) इन बंदरगाहों में स्टीमर कितने-कितने समय बाद चला करेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) मैसर्स मुगल लाइन लिमिटेड द्वारा 28-11-73 से 31-12-73 की अवधि के लिए बनाये गये नौप्रस्थान कार्यक्रम में मालवान और दामोल पत्तन आते हैं :

(ख) मालवान और दामोल ज्वारीय पत्तन होने से इनमें उक्त अवधि के दौरान सेवाएं निम्न-प्रकार से होंगी :—

(1) बम्बई से पानाजी नौप्रस्थान

(i) दामोल – चार बार

(ii) मालवान – आठ बार

(2) पानाजी से बंबई नौप्रस्थान

(i) दामोल – नौ बार

(ii) मालवान – केवल एक बार ।

Muslim Theology Department of Aligarh Muslim University

4016. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Teachers as well as non-Teachers in the Muslim Theology Department of Aligarh Muslim University and their total annual salaries and other amenities;

(b) the number of students in this Department during the last three years, year-wise; and

(c) the annual expenditure being incurred per student in this Department ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) There are two Departments of Theology in the University-Department of Sunni Theology and Department of Shia Theology. A statement giving the required information in respect of these Departments, as furnished by the University, is attached.

STATEMENT

Year	No. of teachers	No. of non-teaching staff	Amount of annual salary of staff and other expenses (recurring)	No. of Students on Rolls					Annual expenditure per student*
				Pre-University	B.A., B.Sc. B.Com.	B. Th. M. Th.	Ph. D. Th.	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(Rs. in lakhs)						(in Rs.)
1970-71	12	2	1.01	784	522	29	4	1339	76
1971-72	12	2	1.15	712	490	31	3	1236	93
1972-73	13	2	1.23	759	503	32	4	1298	9

*The figures in Col. 10 have been worked out by dividing the expenditure figures in Col. 4 by the number of students in Col. 9.

Development of Patna

4017. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether he had participated in a symposium organised by the Citizens Council in Patna on the 30th September, 1973 and had wide discussions on the development of Patna.

(b) if so, the main topics raised therein and whether he was handed over a memorandum on behalf of the citizens; and

(c) if so, the broad details of the memorandum and the action proposed to be taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) The discussions and the topics raised broadly related to matters pertaining to the development of Patna. The issues mainly concern the State Government who have to take further action thereon.

The Central Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas, however, coveres improvement of slums in Patna also. Proposals have recently been received from the State Government under the Scheme for approval of the Central Government.

F.C.I. Employees

4018. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of employees of the Food Corporation of India throughout the country and the expenditure incurred on their pay and allowances per month; and

(b) the total number of employees of the Corporation against whom action was taken on charges of corruption during the last six months indicating the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) Information is being collected from the Food Corporation of India and will be laid on the table of the Sabha.

Bungling of Fertilisers in Ranchi, Bihar

4019. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received any report about the bungling of huge quantities of fertilisers in Ranchi (Bihar) a few days ago;

(b) if so, the main facts thereof; and

(c) the action taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The State Government of Bihar have reported a case of unauthorised inter-state movement of two wagons of fertilisers, in violation of the Fertiliser (Movement Control) order, 1973, from Ranchi to Golla Prulu in Andhra Pradesh;

(c) A case under the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973 has been instituted agains the concerned dealer and his Registration Certificate has been cancelled. Vigorous checking of inter-state movements checking has been enforced.

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने की योजना

4020. **श्री जे० जी० कदम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने तथा सड़क परिवहन द्वारा भारी माल लाने-ले जाने और इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण तथा उनको चौड़ा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में अक्तूबर, 1973 तक कितनी प्रगति हुई है और महाराष्ट्र राज्य ने अक्तूबर, 1973 तक कितना धन व्यय किया है तथा इस कार्य को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1973-74 के लिए कितने धन की मांग की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां। चौथी योजना के प्रारंभ में इकहरी गली वाले यान मार्गों की 16000 कि०मी० की कुल लंबाई में से चौथी योजना में दोहरी गली में चौड़ा करने के लिये सशक्त/बिना सशक्त किय गये मार्गों के लिए 174.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की व्यवस्था की गई है। लगभग 9990 कि०मी० की लंबाई के 143.00 करोड़ रुपये के अनुमान पहले ही स्वीकार किये जा चुके हैं। मार्गों को चौड़ा करने का कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगा ।

चौथी योजना कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ साथ 78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 7.5 मीटर के 2422 छोटे तथा बड़े पुलों के पुनर्निर्माण/चौड़ा करने के लिये व्यवस्था की गई है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हो जाने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Reduction in wheat supplied by ration shops in Delhi

4021. **Shri G. P. Yadav :**

Shri Shrikrishan Agarwal:

Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether ration quota in Delhi has been reduced; and

(b) if so, the causes therefor and the efforts being made by Government to give full ration to the people of Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) : Distribution of foodgrains in a State|Union Territory and the fixing of the quantum of issue to card holders are the responsibility of the State Governments|Administrations. The monthly allotment of foodgrains to the Delhi Administration from the Central stocks has been increased from October. Due to operational reasons a temporary cut was made by the Delhi Administration in the second fortnight of November, 1973, which since been restored.

Number of Employees in D.T.C.

4022. **Shri G.P. Yadav** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state that the total number of employees working in the Delhi Transport Corporation and the number of temporary and permanent employees out of them ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : The total number of employees in the Delhi Transport Corporation , as on 1-11-73, is 14,092 Out of these, 6971 are permanent (regular), 6029 temporary and 1,092 daily rated employees.

केरल से शिशु आहार तथा दुग्ध चूर्ण के लिए अनुरोध

4023. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में शिशु आहार तथा दुग्ध चूर्ण की भारी कमी थी ;

(ख) क्या शिशु आहार और दुग्ध चूर्ण की सप्लाई शीघ्र करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था, और

(ग) राज्य में दुग्ध चूर्ण और शिशु आहार के वितरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान केरल सरकार से बाल आहार की कमी के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने तुरन्त सप्लाई करने के बारे में भी कोई अपील नहीं की है। तथापि, जब कभी किसी राज्य या क्षेत्र से बाल आहार दुग्ध चुर्ण आदि की कमी के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तभी निर्माताओं से संपर्क स्थापित किए जाते हैं ताकि उक्त क्षेत्र में अधिक मात्रा में बाल आहार सप्लाई करने/उपलब्ध करने के लिए यथासंभव सहायता प्रदान की जा सके।

चीनी की मासिक निकासी का सिद्धांत और विभिन्न चीनी मिलों के लिए निर्धारित कोटा

4024. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी और वनस्पति निदेशालय द्वारा चीनी की मासिक निकासी करने का क्या सिद्धात है और भारत के विभिन्न चीनी मिलों के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार अपनी नीति का इस प्रकार संशोधन करेगी कि आर्थिक संकट-ग्रस्त और कम पूंजी वाली मिलों का चीनी भंडार जल्दी से जल्दी खत्म हो जिससे वचनबद्ध ऋणों पर ब्याज की अदायगी का उनका दायित्व जल्दी से जल्दी खत्म हो सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) स्टाक-स्तर, भविष्य में होने वाले उत्पादन और मांग आदि को ध्यान में रखकर चीनी की मासिक नियुक्ति निर्धारित की जाती है। चीनी की मासिक नियुक्तियों में विभिन्न चीनी कारखानों के लेवी तथा खुली बिक्री के हिस्सों का निर्मुक्त की गई मात्रा से निर्मुक्ति से पूर्व किसी तारीख विशेष तक उत्पादन की समान प्रतिशतता के आधार पर अंदाजा लगाया जाता है। कुछेक अवसरों पर विशेषतया मौसम के शुरु में, जबकि निर्मुक्त की जाने वाली मात्रा अद्यतन उत्पादन से अधिक होती है, निर्मुक्ति से उत्पादन की समान प्रतिशतता का अंदाजा लगाने के लिए भविष्य में किसी उपयुक्त तारीख तक अनुमानित उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।

कृषि उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए व्यवस्था को दृढ़ बनाना

4025. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एगमार्क' उत्पादों का उद्देश्य शुद्धता जांचना तथा विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे वनस्पति तेल, घी और अन्य चर्बियों तथा ऊनी तथा अन्य उत्पादों के संबंध में किस्म नियंत्रण करना है :

(ख) क्या वर्तमान विपणन और निरीक्षण विभाग इस समस्या का सामना करने में असमर्थ रहा है ;

(ग) क्या उस विभाग को पूरी तरह बदलने का विचार है, और भर्ती और पदोन्नति की वर्तमान ग्रुप पद्धति का संशोधन किया जाय ताकि 'एगमार्क' योजना प्रभावी बन सके ; और

(घ) क्या 'एगमार्क' योजना को नगरीय और ग्राम्य क्षेत्रों को भी प्रभावी और लोकप्रिय बनाने के लिय एक समिति गठित की जायगी और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है, तथा की जायगी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। 'एगमार्क' के अंतर्गत श्रेणीकरण करने का उद्देश्य यह है कि शुद्धता की दृष्टि से जांच की जा सके और ऊन, कृषि तथा अन्य जिन्सों पर निर्धारित श्रेणी के मानकों के अनुसार गुण नियंत्रण को लागू किया जा सके।

(ख) जी नहीं। निदेशालय अनिवार्य तथा स्वच्छिक दोनों आधारों पर गुण नियंतण लागू कर रहा है। 'एगमार्क' के अंतर्गत निर्यात होने वाली 39 कृषि जिन्सों का श्रेणीकरण करना अनिवार्य है, परन्तु वर्तमान कानून के अंतर्गत देश के अंतर्गत गुण नियंत्रण का कार्य पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि निदेशालय इस समस्या का सामना करने में असमर्थ रहा है।

(ग) तथा (घ) ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्राथमिक कृषि समितियों से लम्बे समय से पड़ी बकाया राशि की वसूली

4026. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दिसम्बर, 1972 के मध्य तक प्राथमिक कृषि समितियों से लंबे समय से पड़ी बड़ी मात्रा में बकाया राशि वसूल की जानी है ;

(ख) यदि हां तो इन समितियों से कितनी राशि वसूल की जानी है ;

(ग) राज्यवार समितियों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह राशि कब तक वसूल की जाएगी तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सहकारी वर्ष पहली जुलाई से 30 जून तक होता है। 30 जून 1972 की सूचना विवरण में दी गई है। दिसम्बर, 72 के मध्य तक की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सहकारी ऋण ढांचे तथा सहकारी विभागों से आशा की जाती है कि वे बकायों की वसूली के लिए कठोर तथा कड़े कदम उठायें और प्रेरणात्मक उपाय करें। तथापि, इस संबंध में जो सफलता प्राप्त हुई है वह पर्यवेक्षी तंत्र की कुशलता तथा सरकारी तंत्र द्वारा दी गई सहायता के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य और एक ही राज्य में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग-अलग है। दिसम्बर, 1972 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई अध्ययन टोली देश की तीन स्तरीय सहकारी ऋण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर के अतिदेयों के प्रश्न की जांच कर रही है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	जून, 1972 के अंत में कुल बकाया ऋण	जून, 1972 के अंत में कुल अतिदेय
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4282.33	2234.18
असम	684.63	551.55
बिहार	2114.87	1320.82
गुजरात	10639.83	2658.57
हरियाणा	2111.60	1106.35
हिमाचल प्रदेश	856.31	210.58
जम्मू तथा काश्मीर	200.54	110.88
केरल	4308.56	1283.89
मध्य प्रदेश	9177.66	4296.25
महाराष्ट्र	16836.89	7386.67
कर्नाटक	5782.80	2647.47
नागालैंड ( )	0.29	0.05
उड़ीसा	2541.10	1478.11
पंजाब	5491.76	2598.28
राजस्थान	2311.21	1458.47
तमिलनाडु	7180.35	2045.02
उत्तर प्रदेश	9103.55	4695.45
पश्चिम बंगाल	1833.67	1459.00
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	5.48	2.84
चंडीगढ़ ( )	4.90	—
दादरा तथा नगर हवेली	1.08	1.08
दिल्ली	113.37	21.40
गोवा, दमन तथा दीव	23.27	11.89
लक्षद्वीप	2.20	0.15
मणिपुर	49.70	37.48
मिजोरम	0.14	—
पांडिचेरी	66.14	21.12
त्रिपुरा	102.03	28.93
योग	85826.26	37666.48

( ) ये आंकड़े 1970-71 के हैं ।

भारतीय जहाजों से बंगलादेश को माल की ढुलाई

4027. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चिटगांव बन्दरगाह से बंगलादेश का पटसन उठाने से भारतीय जहाजों के इन्कार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जहाजों में जगह होते हुए भी पटसन उठाने से इन्कार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय जहाजों में बंगलादेश के माल के लिए स्थान की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) से (ग) चिटागांग से बंगलादेश का जूट माल ले जाने के लिए भारतीय जहाजों द्वारा इन्कार करने के बारे में कोई खास शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय जहाज बंगलादेश से यू०के०/महाद्वीप, आस्ट्रेलिया इत्यादि जैसे समुद्रपारीय स्थानों को जूट के माल को ले जा रहे हैं ?

गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों के विकास की योजना

4028. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों के विकास की कोई योजना बनाई है;

(ख) राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए और वर्तमान राजपथ व्यवस्था की त्रुटियों दूर करने हेतु, केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को कितना धन देना मान लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) संभवतया माननीय सदस्य का आशय पांचवीं योजना के अंतर्गत गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की योजना की तैयारी से है। चूंकि योजना की तैयारी, जिसमें गुजरात भी शामिल है, अभी तक प्रारंभिक चरण में है, अतः इस समय आवश्यक ब्योरा देना समय पूर्व होगा।

भोरे तथा मुदलियार समितियों की सिफारिशें

4029. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनसाधारण के लाभार्थ भोरे और मुदलियार समितियों की सिफारिशें लागू की हैं जिसमें प्रत्येक अस्पताल में एक हजार लोगों के पीछे एक शायिका के सिद्धांत की सिफारिश की गई है ;

(ख) इस प्रतिशतता के सम्बन्ध में गुजरात राज्य ने उक्त कार्यक्रम लागू करने में कितनी प्रगति की है ; और

(ग) यदि कोई प्रगति नहीं हुई, तो गुजरात राज्य ने उन्हें क्यों लागू नहीं किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) भोर/मुदालियर समितियों द्वारा सुझाए गये उपायों/प्रतिमानों को लगभग सभी राज्य सरकारें क्रियान्वित कर रही हैं। मुदालियर समिति ने प्रति एक हजार की आबादी के पीछे एक अस्पताली पलंग के अनुपात का जो प्रतिमान सुझाया था उसे 1969 के अंत तक दस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पूरा कर लिया था अथवा वे इससे आगे बढ़ गये थे।

(ख) जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है, वहां पर सन् 1971 की प्रति हजार की आबादी के पीछे 0.54 अस्पताली पलंग का अनुपात चौथी योजना के अंत तक अर्थात 1973-74 तक सुधर कर प्रति हजार आबादी के पीछे 0.58 पलंग हो जाने की आशा है। इस प्रकार 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार मुदालियर समिति द्वारा प्रति हजार की आबादी के पीछे एक पलंग के प्रतिमान को पूरा करने के लिए चरणवार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

All India Non-Muslim Urdu Writers Conference

4030. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Cultural** be pleased to state :

(a) whether an All India non-Muslim Urdu Writers Conference was held in Lucknow in the second week of November, 1973;

(b) if so, the total number of writers who participated therein indicating the names of prominent writers;

(c) whether the Conference demanded second place for Urdu in the States where Hindi is the official language; if so, Government's reaction thereto; and

(c) whether some other important resolutions were also adopted in the Conference; and if so, the gist thereof and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) to (d) An All-India Non-Muslim Urdu Writers Conference was held at Lucknow on 10th and 11th November 1973. The Conference was attended by 87 delegates and 116 obervers, including Savashri Firaq Gorakhapuri, Anand Narain Mulla and Krishan Chander. The Conference demanded that Urdu be given second language status in all the Hindi speaking States and its study in schools upto Matriculation/Higher Secondary level be made compulsory. While stressing the fact that Urdu was not associated with any particular community or region, the Conference also demanded : that in non-Hindi speaking States suitable arrangements be made for teaching of Urdu in Urdu knowing/speaking areas; that knowledge of Urdu upto Mattic/Higher Secondary level be made a compulsory prerequisite for all government appointments in Hindi speaking States; and that the frequency and duration of Urdu programmes of All India Radio/Television should be increased; that universities should allow private students to appear for any Urdu examination; and that the study of Urdu be made compulsory in the Union Territory of Chandigarh.

The whole question of promotion of Urdu is under the consideration of the Committe or Promotion of Urdu whose report is expected to finalised soon.

गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी को एशिया फौंडेशन से धन

4031. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी एशिया फौंडेशन से धन प्राप्त करता रहा है या कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव को, जो पटना विश्वविद्यालय को ए०एस०एम० योजना के प्रभारी हैं, गांधी अध्ययन संस्थान में प्रशिक्षण मिला था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) गांधी अध्ययन संस्थान वाराणसी को इस समय एशिया फाऊंडेशन से कोई धन प्राप्त नहीं हो रहा है। संस्था को फाउंडेशन से विगत में जुलाई 1964 से जून 1967 की अवधि के दौरान भारत सरकार की अनुमति से कुल 2,10,000 रुपये (केवल दो लाख दस हजार रुपए) की धन राशि प्राप्त हुई थी।

(ख) डा० शैलेन्द्र नाथ श्री वास्तव को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान में 11 मार्च से 22 मार्च, 1970 तक प्रशिक्षण दिया गया था।

New Methods of Examination of Heart Attacks

4032. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a new method of immediate examination of heart attacks has been discovered; and

(b) if so, the nature thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) & (b) According to press reports a swift new urine test can tell almost immediately whether a person has had a heart attack. This test has been developed by Dr. Stanley Bernstein and Dr. Harry Saranchak of the U.S.A. It has been stated that this test can detect signs of heart attack in the urine in a few hours and that the signs remain in the urine for as long as four days. It has also been reported that the technique appears more sensitive than the enzyme blood tests now in use.

The Government will take appropriate action when details regarding the technique and published literature on the subject are available.

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से चुराए गए सिक्के

4033. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से चुराए गए प्राचीन सिक्के बरामद हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से 15 नवम्बर, 1973 को चुराए गए सेसानियाई काल के 41 फारसी सिक्कों में से 40 सिक्के 17 नवम्बर, 1973 को पुलिस द्वारा सदर बाजार, दिल्ली के एक स्वर्णकार से बरामद किए गए थे। संग्रहालय के विशेषज्ञों द्वारा की गई उचित शिनाख्त के बाद इन 40 सिक्कों को संग्रहालय में वापस ले जाया गया था। एक को छोड़कर जो कुछ मामूली रूप से छिटीदार हालत में था, सभी बरामद किए गए सिक्के अच्छी हालत में थे।

खोया हुआ एक सिक्का, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है, सेसानियाई शासक, शाहपुर द्वितीय के काल से सम्बन्धित है।

Scheme for Supply of Fertilisers and Seeds to Farmers at Cheap rates

4035. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for supplying fertilisers and seeds to farmers at cheap rates through the Food Corporation of India; and

(b) if so, the States covered thereunder ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The Government have no scheme for supplying fertilisers and seeds to farmers at cheap rates through the Food Corporation of India. However, to meet shortages of quality seeds, due to unanticipated demands, the Government of India had authorised the Food Corporation of India to release to State Government small quantities of good quality wheat stock, for use as seed.

देश में अप्रशिक्षित फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण

4036. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अप्रशिक्षित फार्मासिस्टों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है ? और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनाई और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां, अप्रशिक्षित फार्मासिस्टों की संख्या में वृद्धि मामूली है।

(ख) फार्मासिस्टों का प्रशिक्षण ग्राम पैरा मैडिकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। प्रैक्टिस कर रहे फार्मासिस्टों (अप्रशिक्षित) के लिए रेफ्रेशर कोर्स चलाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है।

ट्रैक्टरों का आयात

4037. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रैक्टरों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन देशों के साथ करार किए गए हैं; और

(ग) क्या देश के ट्रैक्टर निर्माण कारखाने देश की मांग पूरी करने में असमर्थ हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) देश की मांग को पूरा करने के लिए देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। साथ ही ट्रैक्टरों के आयात के समस्य पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। अभी ट्रैक्टरों के आयात के संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं किये गये हैं, अतः इस संबंध में किसी देश के साथ करार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ऊन उद्योग

4038. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊन का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) इस उद्योग में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है ; और

(ग) सरकार ने विचौलियों को हटाने खेड़का औसत किफायती एकक की संख्या तक बढ़ाने और भेड़ पालन विपणन सुविधाओं देने हेतु क्या सुविधाएं दी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1968-69 में ऊन का उत्पादन लगभग 376.0 लाख मीटरी कि० ग्राम हुआ था।

(ख) 1971 गणना के अनुसार लगभग 342800 श्रमिक ऊन उद्योग में लगे हुए थे इनमें से 2,02,400 श्रमिक भेड़ पालन तथा ऊन उत्पादन में और 1,40,400 श्रमिक ऊन के परिसंस्करण और गलीचे, कम्बल ऊनी कपड़े, आदि बनाने में लगे हुए थे।

(ग) गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से भेड़ पालन, ऊन के वर्गीकरण और विपणन के विषय में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। कुछ राज्यों में विभागों द्वारा [illegible] की अधिप्राप्ति उसका वर्गीकरण और उसके बाद उसकी नीलामी की जा रही है, [illegible] में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड या गर्म कपड़े की मिलों द्वारा ऊन का वर्गीकरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से किसी हद तक विचौलियों को हटाने में मदद मिलेगी। इसे पांचवीं [illegible] और [illegible] राज्यों में लागू किया जाएगा ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भेड़ों के विकास के कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है और राज्यों को सलाह दी गई है कि वे चुने हुए क्षेत्रों में उन्नत प्रजनन रोग नियंत्रण ऋण तथा विपणन संबंधी सुविधाएं प्रदान करके पैकेज कार्यक्रम के आधार पर भेड़ विकास का कार्य शुरू करें। लघु तथा सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों के माध्यम से राज्यों में भी भेड़ पालन का धन्धा शुरू किया जा रहा है तथा भेड़ों की संख्या में वृद्धि करने के लिए ऋण व आर्थिक सहायता संबंधी सुविधाएं दी जा रही हैं ;

दिल्ली प्रशासन द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का अधिग्रहण

4039. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली का अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीय न्यायालय को पत्र लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन तथा नवीनतम तरीकों के सम्बन्ध में अनुसंधान

4041. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन के क्षेत्र में अनुसंधान करने और नवीनतम तरीकों का प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष अब तक कितना व्यय हुआ है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी संबंधी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद जैसे विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ संगठनों के माध्यम से प्रजनन जीव विज्ञान और गर्भनिरोधन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है।

गर्भनिरोधन के नवीनतम तरीकों जैसे कि कापर टी गर्भाशयी गर्भरोधक, खाई जाने वाली गोलियां, गर्भ निरोधी इंजेक्शनों आदि पर उनकी निरापदता, प्रभावकारिता और स्वीकर्यता जानने के लिए क्लीनिकी परीक्षण भी किये गये हैं। जीव वैज्ञानिक अनुसंधन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये सहायक अनुदानों का ब्योरा इस प्रकार है :--

1970-71 .	38.33 लाख रुपये
1971-72 . .	46.71 लाख रुपये
1972-73 . . .	34.64 लाख रुपये

इस सम्बन्ध में किये गए अनुसंधानों के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं :--

(1) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में सेंटक्रोमेन नामक एक खाये जाने वाले गर्भनिरोधक का विकास किया गया है। जानवरों को मैथुन के चार दिन के भीतर दिये जाने पर यह गोली गर्भनिरोध के लिए प्रभावकारी सिद्ध हुई है । मनुष्य पर अब इसके परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(2) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा भी सेंटस्क्वायर नामक साधन का विकास किया गया है जिसके आशाजनक परिणाम निकले हैं। इसका परीक्षण प्रायोगिक आधार पर किया जायेगा।

(3) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राणिविज्ञान विभाग द्वारा एक परिवर्तनीय पुरुष गर्भनिरोधन साधन (रिवर्सिबल मेल कन्ट्रासेप्टिव मैथोडोलाजी) का विकास किया गया है। इसके मानव पर परीक्षण किये जा रहे हैं।

(4) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में किये गये परीक्षणों से पता चला है कि एक प्रकार के चूहे के गर्भनाल (प्लैसेंटा) से बनाए गए टीके को जब उसी जाति के दूसरे प्रकार के चूहे को दिया गया तो गर्भधारण रुक गया। इस पर और आगे कार्य यह देखने के लिए किया जा रहा है कि क्या मानव जाति के लिए भी इसी प्रकार के तरीके का विकास किया जा सकता है?

(5) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर में प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोण के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न गोनेडोट्राफिन्स को निराकृत करके जनन-नियंत्रण करने के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।

(6) कुछ स्वदेशी औषधियां जैसे "जपाकुसम" और "विडंग" में प्रजनन विरोधी क्षमता पाई गई है। इस पर आगे अनुसंधान जारी है।

Cancer Research Centre in Delhi

4043. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open a Cancer Research Centre in Delhi;

(b) if so, the expenditure proposed to be incurred by Government thereon;

(c) the number of Cancer Research Centres proposed to be opened during the Fifth Five Year Plan along with the locations thereof; and

(d) the country from which the services of a researcher have been sought for this Centre ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku)

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) However, it is proposed to upgrade certain number of Cancer Institutes as Regional Cancer Research Centres.

(d) Does not arise.

Setting up of Coal Gas Plants for Buses and Trucks

4044. **Shri Dhan Singh Pradhan :**
Shri Narender Singh :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether due to hike in petrol price, the then Minister of Shipping and Transport, Shri Raj Bahadur, had suggested on the 7th November, 1973 the setting up of Coal-gas plants for buses and trucks;

(b) if so, the steps being taken by Government to implement the suggestion;

(c) whether Government proposed to entrust this work to a corporation;

(d) the places where the coal-gas plant will be set up in the country as also the total outlay involved thereon; and

(e) other salient features in this respect ?

The Minister of State for Shipping & Transport (Shri M.B. Rana) :(a) to (e) The then Minister for Shipping and Transport, in his inaugural address to the meeting of the Standing Committee of the Transport Development Council on Road Transport held on 7-11-1973 referred to the need for constraints on the consumption of motor spirit in view of the present petroleum crisis and hinted that it might be necessary to evolve alternative fuels if this crisis continued for long. In this connection, he drew attention to the practice of using producer coal-gas plants, as motive power for motor vehicles, during the years of the Second World War, and observed that it might be necessary to consider using producing gas plants again, if the present petroleum crisis persisted. The question of taking steps for implementing the above suggestions will be examined, as and when necessary.

लारेंस रोड क्षेत्र में दिल्ली में डाकघर के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थान की व्यवस्था

4045. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड कल्याण संघ ने अपने 15 जून 1973 के उप प्रधान, दिल्ली विकास प्राधिकरण को लिखे गये पत्र में अनुरोध किया है कि डाकघर खोलने के लिए डाक तार विभाग को कुछ भूमि/स्थान दिया जाये ;

(ख) क्या दिल्ली डिवीजन के डाकघर नियंत्रक ने भी डी०डी०ए० को यह अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डाक-तार विभाग से यह अनुरोध किया है कि वे फर्ज़ी स्थान के बारे में अपनी आवश्यकताओं का ब्यौरा दें।

Request from U.P. and other States for Additional Wheat

4046. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether in view of shortage of wheat in Uttar Pradesh, the State Government have requested for additional 60 thousand tons of wheat from the Centre ;

(b) if so, Government's reaction theret ;

(c) whether similar requests have been received from other States also; and

(d) if so, the decision Government propose to take in this regard?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Sinde) : (a) to (d) Several requests have been received form the State Governments, including the Government of Uttar Pradesh for additional allotment of wheat from the Central stocks. Allotments from the Central Pool are made every month to the various State Governments/Administrations keeping in view the stocks of foodgrains in the Central Pool, the relative needs of the States and other relevant factors. The representations made by the State Governments from time to time are also taken into consideration. The Government of Uttar Pradesh had indicated that their monthly requirements of wheat will be 60,000 tonnes and this has been taken into consideration while making the allotments for December, 1973.

भारतीय नौवहन की देश के व्यापार की आवश्यकतायें पूरी करने में विफलता

4047. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय नौवहन की देश के व्यापार की आवश्यकताएं पूरी करने में विफलता की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) करीब करीब सारा सूखे माल का तटीय व्यापार भारतीय जहाजों से होता है। भारतीय जहाजों में तेल और तेल उत्पादनों के तटीय वहन धीरे धीरे बढ़ रहा है और 1972 में वहन का लगभग 51 प्रतिशत भारतीय जहाजों से हुआ । पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान तटीय नौवहन टन भार को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि संपूर्ण सूखा माल और तेल माल वहन की व्यवस्था हो सके ।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन

4048. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन का यह निष्कर्ष है कि रक्षा सैनिकों को दिल का दौरा पड़ने की अधिक आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन का यह निष्कर्ष नहीं है कि रक्षा सैनिकों को दिल का दौरा पड़ने की अधिक आशंका रहती है। इस अध्ययन से केवल इस तथ्य का पता चला है कि सेना के अन्य रैंकों की तुलना में अफसरों में सीरम कोलेस्टरल का स्तर ऊंचा होता है। ये विभिन्नताएं संभवतः शारीरिक श्रम की मात्रा के कारण होंगी ।

चेम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली के लिये आवंटित भूमि

4049. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली के लिए कोई भूमि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल कितना है और कितना मूल्य वसूल किया गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब लि० को रायसीना रोड, नई दिल्ली में 4.235 एकड़ माप का क्षेत्र एक क्लब हाउस के लिए 1928 में 847 रुपये प्रीमियम पर तथा 42/6/- रु० प्रति वर्ष भूमि किराया के रूप में पट्टे पर दिया गया था। 1939 में सड़क को पुनः सीधी करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर कर 4.347 एकड़ हो गया ।

गत छह महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाजों की वसूली

4050. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने गत छह महीनों के दौरान (अक्तूबर, 73 तक) कितनी मात्रा में चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों की वसूली की;

(ख) क्या लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) अधिप्राप्ति-लक्ष्य और खरीफ विपणन मौसम 1972-73 (नवम्बर, 72 से अक्तूबर, 73 तक) और रबी विपणन मौसम 1973-74 (अप्रैल, 73 से मार्च, 74 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम और अन्य अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा 31 अक्तूबर, 1973 तक अधिप्राप्त चावल, गेहूं और अन्य अनाजों की मात्रा बताने वाला एक विवरण (1) संलग्न है।

अधिप्राप्ति-लक्ष्य समस्त विपणन मौसम (रबी तथा खरीफ) के लिए निर्धारित किये जाते हैं।

खरीफ मौसम 1972-73 के लिए चावल और अन्य मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य, देश के अधिकांश भागों में गंभीर सूखे की स्थिति होने के कारण उस वर्ष में मुख्यतः उनके उत्पादन में भारी गिरावट होने से पूरे नहीं किये जा सके। रबी मौसम 1973-74 (जोकि अभी भी चल रहा है) में गेहूं की अधिप्राप्ति भी आशानुकूल नहीं हुई है। कम अधिप्राप्ति के कारणों को बताने वाला एक विवरण (2) संलग्न है।

विवरण 1

खरीफ विपणन मौसम 1972-73 और रबी विपणन मौसम 1973-74 के दौरान चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों की अधिप्राप्ति को बताने वाला विवरण

अधिप्राप्त मात्रा

(31-10-1973 तक की स्थिति)

खरीफ, 1972-73

(नवम्बर, 72 से अक्तूबर, 73 तक) (हजार मी० टन में)

	भारतीय खाद्य निगम द्वारा	अन्य एजेंसियों द्वारा	जोड़	अधिप्राप्ति लक्ष्य
चावल	2188.6	512.6	2701.2	4000
ज्वार	98.6	57.1	155.7	
बाजरा	1.5	27.2	28.7	600
मक्का	102.8	17.5	120.3	
जोड़	2391.5	614.4	3005.9	4600
रबी, 1973-74 (मई से अक्तूबर, 73)				
गेहूं	1096.1	3435.2	4531.3	8118
जौ	4.7	--	4.7	--
जोड़	1100.8	3435.2	4536.0	8118

विवरण II

चालू रबी विपणन मौसम (1973-74) के दौरान गेहूं की अधिप्राप्ति में धीमी प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों से गेहूं की कम सप्लाई होने के कारण हुई है। यह आमद पिछले दो वर्षों में अपेक्षाकृत कम रही है जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

(1) कुछ राज्य सरकारों के मतानुसार उन्होंने 1972-73 में पहले जो पूर्वानुमान लगाया था उससे गेहूं का उत्पादन कम हुआ ;

(2) किसानों ने इस भावना से कि अन्य खाद्यान्नों के चल रहे मूल्यों की तुलना में गेहूं का 76 रुपये प्रति क्विंटल का मौजूदा अधिप्राप्ति मूल्य बहुत ही कम है, गेहूं रोक लिया ;

(3) पिछले कुछ वर्षों में गेहूं की उत्पादिकता में वृद्धि होने से किसानों की स्टाक रोकने की क्षमता बढ़ गई है। किसान अपनी न्यूनतम वित्तीय आवश्यकताओं को चना, जौ, आदि जैसी अन्य फसलों को बेचकर पूरा कर लेता है ; इन जिन्सों के अच्छे दाम मिल रहे हैं ;

(4) बाद में वर्ष के कम आमद के मौसम में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य कमाने की प्रत्याशा में उत्पादकों की खाद्यान्नों को रोक लेने की प्रवृत्ति ;

(5) जनसाधारण में सामान्य कमी की मनोभावना का होना। इससे न केवल उत्पादकों बल्कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने भी बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों की जमाखोरी की;

(6) खुले बाजार में खाद्यान्नों की सामान्य कमी साथ में सरकारी वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों का सीमित वितरण :

(7) थोक व्यापारियों और अन्य स्वार्थी पक्षों का इस नई नीति का जम कर विरोध और उसके विरुद्ध प्रचार ;

(8) फसल की कटाई के समय बाजार में विभिन्न उपभोक्ता-वस्तुओं विशेषकर वनस्पति, चीनी, सीमेंट, डीजल आदि की कमी। इन वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि ने किसान में रोष पैदा किया। उसकी नजर में केवल उसके माल पर ही मूल्य नियंत्रण लागू किया जा रहा है; और

(9) पंजाब, हरियाणा और बिहार राज्यों में विरोधी दलों का गेहूं का थोक व्यापार लेने की नीति के विरुद्ध प्रदर्शन।

दिल्ली प्रशासन के अधीन आरक्षित पदों पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अध्यापकों को स्थायी बनाना

4051. श्री अम्बेश : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली प्रशासन के अधीन आरक्षित पदों पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अध्यापकों को स्थायी बनाने से संबंधित 2, अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5512 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5955/73)**

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात द्वारा सोलवेंट एक्स्ट्रेक्शन प्लांट और खली के व्यापार का राष्ट्रीयकरण

4052. श्री वेकारिया :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार के पास सोलवेंट एक्स्ट्रेक्शन प्लांट तथा डी० खली के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की शक्ति है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र से अनुमति मांगी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना गुजरात सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्बाध बिक्री की चीनी का मूल्य

4053. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक उत्पादन के बावजूद निर्बाध बिक्री की चीनी का मूल्य कम नहीं किया गया है अथवा कम नहीं हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) खुले बाजार में चीनी के मूल्य मुख्यतः उपलब्धता, उत्पादन की लागत, मांग और सप्लाई आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करते हैं। हालांकि 1972-73 में 38.72 लाख मीटरी टन का अधिक उत्पादन हुआ था लेकिन वर्ष के दौरान केवल 44.71 लाख मीटरी टन चीनी उपलब्ध हुई थी जबकि 1971-72 में 45.23 लाख मीटरी टन और 1970-71 में 58.30 लाख मीटरी टन चीनी उपलब्ध हुई थी क्योंकि पिछले मौसम से स्टाक का कम पूर्वविशिष्ट था । तथापि, 1973-74 मौसम अभी शुरू हुआ है और यह आशा की जाती है कि मौसम के शेष महीनों के दौरान उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि के परिणामस्वरूप स्टाक की उपलब्धता में सुधार होने से खुले बाजार में मूल्य उपयुक्त स्तर पर स्थिर हो जायेंगे ।

भारतीय नौवहन कम्पनियों के मालिकों द्वारा "कन्टेनरों" का प्रयोग

4054. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी समुद्री प्रशासन के श्री आर०एम० एगमैन ने भारत की यात्रा के समय भारतीय नौवहन कम्पनियों के मालिकों को सुझाव दिया है कि वे अधिक "कैन्टेनरों" का प्रयोग करें, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) श्री राबर्ट एस० एगमैन की अध्यक्षता में इकाफे द्वारा प्रायोजित आधान यातायात बहु-राष्ट्रीय विशेषज्ञों के भ्रमण कर्ता मिशन ने नवम्बर, 1973 के दौरान भारत का दौरा किया और सरकार, पत्तन, नौवहन कम्पनियों, नौ वाणिकों आदि से विचार विमर्श किया। मिशन का उद्देश्य आधानीकरण के तकनीकी, प्रशासनिक, परिचालनात्मक, आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर विचार विमर्श करना और सलाह देना था।

(ख) आधानीकरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक कार्य दल की स्थापना की और उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के पास पहले ही तीन आधान प्रधान जहाज हैं और अन्य पांच जहाजों का आर्डर दिया गया है। आधान जहाजों की धरा उठाई के लिए एक घाट्ट की व्यवस्था की गई है उसकी हल्दिया में व्यवस्था की जा रही है। नहावा शेवा की परियोजना में आधान जहाजों की धरा उठाई करने के लिए एक घाट शामिल किया गया है । कोचीन पत्तन के घाटों में से एक पर आधानीकृत यातायात की धरा उठाई के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है। इससे यह पता चलेगा कि आधानीकरण की कार्यवाही पहले ही से शुरू की जा चुकी है।

राज्यों को सप्लाई किये जाने वाले गेहूं के निकासी-मूल्य में वृद्धि

4055. **श्री एम० सुदर्शनम्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के स्टाक से राज्य सरकारों को सप्लाई किये जाने वाले गेहूं के निकासी-मूल्य में वृद्धि की है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय का क्या औचित्य है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) चावल और मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने के फलस्वरूप खाद्यान्नों के आपसी मूल्यों में समता बनाए रखने के उद्देश्य से गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि कर दी गई है जिससे राज सहायता के भार और घाटे की अर्थ व्यवस्था में कमी की गई है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को हुई हानि

4056. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को कुल कितनी हानि हुई, और

(ख) इसके क्या कारण हैं और उक्त उपक्रम को तुरन्त बन्द करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राना) : (क) 1970-71 और 1971-72 वर्षों के दौरान इस निगम को हुई हानियां निम्न प्रकार से हैं :—

	रुपये
1970-71 . .	22,90,339
1971-72 .	24,75,780

1972-73 वर्ष के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इन हानियों के मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं :—

(1) 1970-71 के दौरान पर्याप्त लौहायस्क यातायात की सप्लाई करने में मिनलर्ज एण्ड मैटल्ज ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० की असमर्थता के कारण नरभुंडी में निगम के बेड़े के एक बड़े भाग का उपयोग न किया जाना।

(2) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन के कारण संकट काल का सामना करने के लिए और रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1971-72 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से बिना किसी लदान के यातायात से लगभग 90 गाड़ियों की वापसी।

(3) निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़तालें, सीधी कार्यवाही और कार्य मंदन युक्तियां।

(4) 1970-71 में असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बंध।

(5) फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता और टायरों की बड़ी कमी,।

(6) बाढ़ों के कारण गाड़ियों के आने जाने में रुकावट।

(7) बेड़े में काफी पुरानी गाड़ियां होने के कारण बार बार गड़बड़ी होना।

(8) अपने कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ते के एक अंश के मिलाए जाने, दुकान था स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत समयोपरि भत्ता प्रणाली के चालू किये जाने, कर्मचारी निर्वाह निधि परियोजना का कई कर्मचारियों को लाभ मिलने, अतिरिक्त अन्तरिम सहायता दिये जाने और बोनस भुगतान के कारण निगम का होने वाला अधिक व्यय।

यह प्रश्न सरकारों के सक्रिय विचाराधीन है कि क्या अपनी 62वीं रिपोर्ट में सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश अनुसार निगम को समाप्त कर दिया जाए।

दिल्ली में अगस्त से अक्तूबर, 1973 तक पकड़े गए जाली राशन कार्ड

4057. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अगस्त से अक्तूबर, 1973 की अवधि में कुल कितने जाली राशन कार्ड पकड़े गए;

(ख) जाली राशन कार्ड रखने वाले राशन के कितने व्यापारी हैं; और

(ग) ऐसे कार्ड-धारियों तथा व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 542

(ख) 4

(ग) जाली कार्डधारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ऐसे कार्डधारी कोई है ही नहीं। व्यापारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(क) 2 उचित मूल्य की दुकानों को निलम्बित कर दिया गया है और पुलिस में उनके विरुद्ध मामले दर्ज करवा दिए गए हैं।

(ख) एक उचित मूल्य की दुकान को निरस्त कर दिया गया है।

(ग) एक उचित मूल्य की दुकान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है।

सेन्ट्रल स्कूलों में प्रवेश

4058. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा सांस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल स्कूलों में केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है;

(ख) क्या सरकार उनमें प्रवेश को सभी छात्रों के लिये खोलने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) :

(क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से प्रतिरक्षा कार्मिकों सहित स्थानांतरण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तथापि इन केन्द्रीय विद्यालयों में स्थानों की उपलब्धता के आधार पर दाखिले में कार्मिकों के निम्नलिखित वर्गों के लिये इस क्रम से प्राथमिकता दी जाती है :—

(1) सीमा सुरक्षा दल के वर्दीधारी कार्मिकों सहित स्थानांतरणीय प्रतिरक्षा कार्मिकों के बच्चे।

(2) स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे।

(3) अखिल भारतीय सेवाओं, स्वायत्त निकायों/परियोजनाओं (जिनके लिये धन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है) और सार्वजनिक (पब्लिक) उपक्रमों/निगमों आदि के उन अधिकारियों के बच्चे, जिनकी सेवाएं स्थानांतरणीय हैं।

(4) अहस्तांतरणीय प्रतिरक्षा कार्मिकों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।

(5) अन्य यायावार जन-संख्या जिसमें सिविल जनसंख्या भी शामिल है तथा जो केन्द्रीय विद्यालयों में अपनायी गयी अध्ययन प्रणाली में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के इच्छुक हैं।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के प्लास्टिक शल्य चिकित्सा एकक के लिये डाक्टर

4059. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के प्लास्टिक शल्य चिकित्सा एकक में इस समय एक भी अर्हता-प्राप्त डाक्टर नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त एकक में अर्हता-प्राप्त डाक्टर नियक्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली तथा तत्सम्बद्ध अस्पतालों में प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा एकक की देख-भाल करने के लिए अर्हता-प्राप्त डाक्टर मौजूद हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली का प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा एकक

4060. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा एकक दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा एकक को दिल्ली विश्वविद्यालय ने एम०सी०एच० पोस्ट-डाक्टरल कोर्स के लिये मान्यता नहीं दी है परन्तु इस एकक में स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है।

(ख) इसे पोस्ट-डाक्टरल कोर्स के लिये मान्यता इसलिये नहीं दी गई है क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इसके लिये जो न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की हुई हैं वहां पर उपलब्ध सुविधाएं उनके अनुरूप नहीं हैं।

मरणासन्न महिला की सहायता करने के लिये डाक्टरों द्वारा "इन्कार किया जाना"

4061. **श्री झारखंडे राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली नगरपालिका अस्पताल, मोती बाग, नई दिल्ली में "डाक्टर्स रिफ्यूज्ड टू हेल्प ए डाइंग हरिजन वुमन (मरणासन्न), हरिजन महिला की सहायता करने के लिये डाक्टरों द्वारा इन्कार किया जाना" समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) जी हां।

31 अक्तूबर, 1973 को एक महिला रोगी जिसे सेरेब्रल एम्बोलिज्म के कारण पक्षाघात (हेमिप्लेसिस) हो गया था, इस अस्पताल में लाई गई थी और उसे तुरन्त डाक्टरों ने देखा था। रोगी की दशा को देखते हुए उसके रिश्तेदारों से अनुरोध किया गया था कि वे उसे सफदरजंग अस्पताल ले जायें। ड्राइवर के छुट्टी पर होने के कारण रोगी के लिए एम्बुलैंस की व्यवस्था नहीं की जा सकी। स्टाफ द्वारा न तो किसी को गाली दी गई और न ही किसी व्यक्ति को धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाला गया।

बिहार में सेन्ट्रल स्कूल

4062. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य की तुलना में समूचे भारत में सेन्ट्रल स्कूल कितने हैं और बिहार में जहां ये सेन्ट्रल स्कूल स्थित हैं उन स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ख) धनबाद में जहां बहुत से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय स्थित हैं एक सेन्ट्रल स्कूल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या पहले कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) क्या इस पर होने वाले व्यय का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सारे भारत में केन्द्रीय विद्यालयों (केन्द्रीय स्कूलों) की कुल संख्या 168 हैं जिनमें से ग्यारह केन्द्रीय विद्यालय (केन्द्रीय स्कूल) बिहार राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :--

(1) बरौनी

(2) भूरकुन्डा

(3) बोकारो

(4) दिनापुर छावनी

(5) गया

(6) जमालपुर

(7) जवाहर नगर

(8) पटना

(9) सिंहारसी

(10) रांची

(11) रामगढ़

(ख) और (ग) धनबाद में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव 1970 से, जबकि सर्वेक्षण किया गया था केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन है। प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् इस वर्ष धनबाद में 1—5 कक्षाओं वाले एक शाखा केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है।

(घ) धनबाद के लिये विशिष्ट तौर से खर्चे का कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है। तथापि, एक विवरण (अनुबन्ध) संलग्न है, जिसमें एक केन्द्रीय विद्यालय (केन्द्रीय स्कूल) में कक्षा I से XI तक प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शनों वाले केन्द्रीय विद्यालय का संभावित उत्तरोत्तर खर्च दर्शाया गया है।

कक्षा I से XI तक प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शनों वाले केन्द्रीय विद्यालय का सम्भावित उत्तरोत्तर खर्चे दर्शाने वाला विवरण

अनावर्ती : (जिसमें भवन का खर्चा शामिल नहीं है)

खर्चे का शीर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
प्रयोगशाला उपस्कर	10,000	20,000	23,000
शिल्प उपस्कर	4,000	..	..
खेल-कूद उपस्कर	2,500	—500	—500
भूगोल उपस्कर	2,000	..	..
अध्यापन साधन	2,500	—500	—500
पुस्तकालय .	4,000	1,000	1,000
दृश्य-श्रव्य साधन	1,500		
विशेष फुटकर (टाइपराइटर तथा डुप्लीकेटर के लिये)	2,800	..	..
फर्नीचर . . .	20,000	20,000	20,000
जोड़	49,300	42,000	45,000
अर्थात्	50,000		

आवर्ती (प्रतिवर्ष)

1. वेतन तथा भत्ते	2,76,000
2. फुटकर . . .	5,000
3. प्रयोगशालाओं में प्रयोग किये जाने वाली वस्तुएं .	5,000
4. प्रयोगशाला उपस्कर को प्रत्येक वर्ष बदलना	2,500
5. पुस्तकालय की वार्षिक हकदारी	1,500
6. शिल्प उपस्कर, खेल-कूद उपस्कर तथा अध्यापन-साधनों की वार्षिक हकदारी	3,000

डाक तथा तार विभाग और रेलवे के ढंग पर फ्लैटों और क्वार्टरों का निर्माण

4063. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग और रेलवे के ढंग पर विभिन्न अन्य मंत्रालयों के सरकारी कर्मचारियों के लिये फ्लैटों और क्वार्टरों के विशेषकर पटना, रांची, धनबाद, मुजफ्फरपुर और पुर्निया नगरों में निर्माण हेतु सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेंस रोड पर निर्मित निम्न आय वर्ग के लिये फ्लैट

4064. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में लारेंस रोड पर निम्न आय वर्ग के लिये बहुत से फ्लैट बनाये हैं और यदि हां, तो ऐसे फ्लैटों की संख्या क्या है और प्रत्येक फ्लैट की लागत क्या है ;

(ख) क्या हाल ही में आवेदकों को अधिकांश फ्लैट आवंटित किये गये हैं और यदि हां, तो प्रत्येक फ्लैट का विक्रय मूल्य क्या है ;

(ग) क्या उनमें प्रयुक्त सामग्री घटिया किस्म की है और उन पर किया गया रंग रोगन और फिनिशिंग और भी अधिक असंतोषजनक है ; और

(घ) उनमें विशेष कर सड़कों, मल-निस्सारण व्यवस्था और सफाई आदि के मामले में सरकार का क्या सुधार करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां। 4602 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। विभिन्न फ्लैटों के निर्माण की शुद्ध लागत 7,875 रुपये से लेकर 9,165 रुपये के बीच अलग अलग है।

(ख) जी, हां। प्रत्येक फ्लैट का बिक्री मूल्य 12,500 रुपये से लेकर 14,800 रुपये के बीच अलग अलग है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सेवाओं या अनिवार्य सुविधाओं में यदि कोई सुधार आवश्यक समझा जाता है, तो वह दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरह पटना विकास प्राधिकरण की स्थापना

4065. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को हाल ही में सुझाव दिया है कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरह पटना विकास प्राधिकरण बनाये और यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) तथा इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है और ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया गया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की ही तरह पटना विकास प्राधिकरण बनाये जाने का प्रश्न कुछ समय से बिहार सरकार के विचाराधीन है। यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है जिसने इस पर आगे कार्रवाई करनी है।

मच्छरों से बिहार में स्वास्थ्य को खतरा

4066. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि बिहार में सफाई और मल-निस्सारण की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है जिसके परिणामस्वरूप गन्दगी फैल गई है और अत्यधिक मात्रा में मच्छर पैदा हो गये हैं जो जन स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : जी हां । बिहार सरकार ने सूचित किया है कि शहरों में जैसे जैसे पैसा उपलब्ध होता जा रहा है वैसे वैसे मल और पानी के निकास की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजनाओं के लिए लगभग 218 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शहरों में मल और पानी के निकास की योजनाओं के लिए 308 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें बिना पानी वाले शौचालयों को बदलने के लिए 30 लाख रुपए भी शामिल हैं। एक पानी और मल निकास बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

राष्ट्रीय बीज निगम के बेकार बीजों की पुनः बिक्री पर रोक

4067. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम की अपनी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मानव उपयोग के लिये बेकार घोषित करके बेचे गये बीजों को थोड़े परिष्करण के पश्चात् बाजार में पुनः लाये जाने पर रोक थाम लगा सके और यदि हां, तो निगम को इस कार्य के लिये किस एजेंन्सी पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(ख) इस एजेन्सी द्वारा ऐसे बीजों के उपयोग के बारे में क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं और इस समय यदि ऐसी कोई एजेंन्सी नहीं है तो क्या सरकार का विचार ऐसी कोई एजेंन्सी स्थापित करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जब राष्ट्रीय बीज निगम स्टार्च, पशु तथा कुक्कुट चारा विनिर्माताओं को खराब बीज बेचती है तो खरीददारों से यह लिखा कर ले लिया जाता है कि उनको इस बात की जानकारी है कि ये बीज मानव उपयोग के योग्य नहीं हैं। ऐसे बीजों की खरीद के लिए टेंडर मांगते समय भी यह बात स्पष्ट कर दी जाती है। निगम के पास अपनी ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो इस बात पर निगाह रख सके कि ये बीज मामूली परिसंस्करण के बाद खाने के लिए बाजार में न जाने पाएं। भारत सरकार राष्ट्रीय बीज निगम की सलाह से खराब बीजों के निपटान के लिए ऐसा तरीका तलाश कर रही है जिससे कि रासायनिक उपचार के बाद ये बीज मानव उपयोग के लिए बेचे न जा सकें।

दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार

4068. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या शोध-छात्रों द्वारा तैयार की गई कृतियां सामान्य स्तर की नहीं होती हैं और प्रायः जो विषय चुने जाते हैं उनका न तो शैक्षणिक पाठ्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता हैं और न ही व्यावहारिक दृष्टि से; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर में गिरावट न होने दिया जाये, सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) सरकार का ध्यान, 13 नवम्बर, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' दिल्ली में प्रकाशित "दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं के अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा समय व्यतीत करना" समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पी० एच० डी० डिग्रियों के लिए अनुसंधान कार्य करने में तथाकथित भ्रष्ट तरीके, गिरते हुए स्तर, व्यावहारिक अनुप्रयोग की विषय-वस्तु में कमी सम्बन्धी बातों का उल्लेख किया गया है।

(ख) स्वायत्तशासी संस्था के नाते विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान कार्यक्रम के आयोजन और संचालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय यह कार्य अपने संबंधित अध्यादेश के अधीन निर्धारित कठोर स्तरों और क्रियाविधियों के अनुसार करता है। यद्यपि किसी भी शैक्षिक कार्य में, अन्य उपयोगी कार्यकलाप की भांति, सुधार की गुंजाइश रहती है, यह कहना ठीक नहीं है और न ही सरकार को कोई ऐसी विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई है, कि विश्वविद्यालय की अनुसंधान परियोजनाएं, भ्रष्ट अथवा सामान्य गिरते हुए स्तरों से ग्रस्त हैं। किन्तु यह बात ध्यान में रखनी होगी कि विश्वविद्यालयों में, नियम के तौर पर, आवश्यक रूप से प्रयुक्त अनुसंधान की अपेक्षा बुनियादी किस्म के अनुसंधान पर बल दिया जाता है।

(ग) सरकार का विचार विश्वविद्यालय के स्वायत्तशासी कार्य-करण में दखल देने का नहीं है।

पी० एच० डी० पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नियतन

4069. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष भर भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पी० एच० डी० पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितना नियतन किया है ;

(ख) क्या फोर्ड फाउन्डेशन जैसे विदेशी संगठन भी भारतीय विद्यार्थियों के लिए ऐसी छात्रवृत्तियों के लिए अंशदान देते हैं और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान भारतीय विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रत्येक विदेशी संस्थान द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) क्या कुछ विदेशी संस्थाओं ने ऐसी छात्रवृत्तियां देना बन्द कर दिया है और यदि हां, तो इसके फलस्वरूप नियतन में कितनी कमी हुई और इस अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि वित्तीय कठिनाई के कारण अनुसंधान कार्य में बाधा न पड़े ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) विज्ञानों तथा मानविकियों के लिए जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने हेतु, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धन-राशियों का निम्नलिखित आवंटन किया गया है :—

(लाख रुपयों में)

1971-72 .	83.00
1972-73	83.83
1973-74 . .	83.85

आयोग, प्रोन्नत अध्ययन के केन्द्रों, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभागों तथा विशेष सहायता कार्यक्रम के लिए अनुमोदित विभागों के लिए भी शिक्षा वृत्तियां आवंटित करता है, जो इस प्रकार है :—

	1971-72	1972-73	1973-74
प्रोन्नत अध्ययन केन्द्र . . .	227*	146	146
इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी विभाग . ..	47	47	43
विशेष सहायता कार्यक्रम के लिए अनुमोदित विभाग . .	—	70	70

*इन आंकड़ों में पिछले वर्ष में शामिल की गई छात्रवृत्तियां शामिल हैं। परन्तु जिन्हें जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियों में बदल दिया गया है।

विश्वविद्यालयों को इन योजनाओं के लिए अनुदानों की अदायगी किए गए खर्चे के आधार पर की जाती है।

आयोग अखिल भारतीय स्तर पर मानविकियों (सामाजिक विज्ञानों सहित) और विज्ञानों के लिए 120 जूनियर शिक्षा वृत्तियां और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में 60 अनुसंधान शिक्षा वृत्तियां भी प्रदान करता है।

(ख) इस सम्बन्ध में न तो सरकार के पास और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कोई सूचना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल स्कूलों में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम

4070. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेन्ट्रल स्कूलों ने शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की प्राइमरी/माध्यमिक शिक्षा के लिये दस वर्षीय तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये और दो वर्ष का पाठ्यक्रम अपनाने सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : केन्द्रीय स्कूल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं और उन्हें बोर्ड की पाठ्यचर्या तथा परीक्षाओं का अनुपालन करना पड़ता है। 10+2 स्कूल पद्धति अपनाने की, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पी० एच० डी० डिग्री के लिए पंजीकृत छात्र

4071. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में गत तीन वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न विषयों में पी० एच० डी० डिग्री के लिए कितने छात्र पंजीकृत किए गए ;

(ख) उनमें से कितने छात्रों ने उनके द्वारा चुने गए विषयों पर अपनी थीसिस पूरी कर ली है;

(ग) क्या कुछ छात्रों ने अपनी थीसिस पूरी करने में पांच वर्ष से भी अधिक समय लगाया ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) (1) बहुत से विद्यार्थी रोज़गार की तलाश करने के दौरान अपना शोध कार्य करते हैं और इसलिए अपने कार्य में रुचि नहीं लेते।

(2) बहुत से विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते और अपने द्वारा चुने गए विषय को प्राय: अपनी आशा के विपरीत अधिक जटिल पाते हैं।

(3) अपने शोध-कार्य के दौरान कुछ विद्यार्थियों को यह पता चलता है कि अपनी खोज से उनको वे अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे जिनकी वे आशा कर रहे थे, अत: वे अपने शोध-कार्य की रूप रेखा में संशोधन करते हैं अथवा अपना शोध-विषय बदल लेते हैं।

(4) एम० ए० परीक्षा पास करने के बाद जब विद्यार्थी रोज़गार में लग जाते हैं तो अपने शोध निबन्ध को पूरा करने में सामान्यतया उनकी रुचि नहीं रहती।

(5) कभी-कभी, शोध-कार्य के लिए आवश्यक उपकरण, उपस्कर, पुस्तकें और पत्रिकाएं प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है।

(6) कालेजों में अध्यापन कार्य के कारण, विद्यार्थियों को शोध-कार्य के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

विवरण

दिल्ली विश्वविद्यालय में पी० एच० डी० डिग्री के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या

विभाग का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान दाखिल किये गये छात्रों की संख्या	उन छात्रों की संख्या जिन्होंने अपने-अपने चुने हुए विषयों में शोध निबंध पूरा कर लिया है
1	2	3
(i) मानविकी के लिए अनुसंधान अध्ययन बोर्ड		
1. अंग्रेजी	12	—
2. हिन्दी	138	42
3. संस्कृत	163	26
4. आ० भा० भा०	20	8
5. उर्दू	27	3
6. अरबी और फारसी	21	2
7. इतिहास	40	11
8. राजनीति विज्ञान	15	8
9. अर्थ शास्त्र	66	15
10. समाज शास्त्र	27	8
11. सामाजिक कार्य	7	—
12. अफ्रीकी अध्ययन	15	3
13. मानव भूगोल	5	4
14. व्यापार प्रबन्ध	74	9
15. चीनी और जापानी	4	—
16. वाणिज्य	11	—
17. दर्शन शास्त्र	26	3
18. मनोविज्ञान	26	4
19. पुस्तकालय विज्ञान	6	—
20. बौद्ध अध्ययन	19	12
21. शिक्षा	7	10
22. भाषा विज्ञान	9	3
23. गणित	196	38

टिप्पणी :—उन छात्रों की संख्या जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपने चुने हुए विषय में शोध निबन्ध पूरा कर लिया है, वास्तव में वही छात्र नहीं हैं जिन्होंने इस समय के दौरान दाखिला लिया था। उनमें से कुछ तो पिछले 6 से 7 साल से पंजीकृत थे।

1	2	3
(ii) चिकित्सा विज्ञान के लिए अनुसंधान अध्ययन बोर्ड		
1. शरीर रचना विज्ञान .	1	
2. शरीर विज्ञान	1	(1)
3. सूक्ष्म जीव विज्ञान	1	
4. जीव रसायन . .	11	
(iii) ललित कला और संगीत के लिए अनुसंधान अध्ययन बोर्ड	12	2
(iv) कानून के लिए अनुसंधान अध्ययन बोर्ड .	25	2
(v) विज्ञान के लिए अनुसंधान अध्ययन बोर्ड .	395	110
(vi) शिल्प विज्ञान के लिए अनुसंधान अध्ययन बोर्ड		
1. विद्युत इंजीनियरिंग	3	1
2. यांत्रिक इंजीनियरिंग . .	1	
3. सिविल इंजीनियरिंग . .	5	

कलकत्ता में गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

4073. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बात की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मकान बनाने की योजना है;

(ख) अब तक वास्तव में कितने मकान बन चुके हैं;

(ग) चौथी योजना में इस सम्बन्ध में कुल कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई;

(घ) आज तक कुल कितनी धनराशि दी गयी तथा वास्तव में व्यय की गई; और

(ङ) क्या इस बारे में प्रगति बहुत धीमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ङ) गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना 1-4-1969 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी। उसके बाद, केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने में स्वतंत्र हैं।

गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों को केन्द्रीय सहायता

4074. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) प्रत्येक गैर-सरकारी नौवहन कम्पनी को ऋण अथवा अनुदान के रूप में अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) 1 अप्रैल 1973 को कुल कितनी धनराशि बकाया थी ;

(ग) उक्त वित्तीय सहायता किस प्रयोजन अथवा किन प्रयोजनों के लिए दी गई; और

(घ) उक्त कम्पनियों ने केन्द्रीय सहायता का किस प्रकार प्रयोग किया।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी): (क) **और** (ख) नौवहन विकास निधि समिति की स्थापना से पूर्व सीधे सरकार द्वारा और नौवहन विकास निधि समिति द्वारा स्वीकृति ऋण दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 5956/73]।**

(ग) और (घ) ऋण जहाजों को प्राप्त करने के लिए दिये गये थे और वह राशि ऋणी द्वारा इसी कार्य के लिए उपयोग की गई थी।

महाराष्ट्र के लिए नवम्बर, 1973 की वसूली तथा खुले बाजार की चीनी के लिए रिलीज आर्डर में विलम्ब

4076. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के लिए नवम्बर, 1973 की वसूली तथा खुले बाजार में बिक्री की चीनी के लिए रिलीज आर्डर कब जारी किया गया था;

(ख) क्या उसको रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संबंधित रिलीज आर्डर जारी करने में विलम्ब हुआ था जिसका कारण लोगों को बहुत असुविधा हुई; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, विलम्ब करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (घ) नवम्बर, 1973 के लिए खुले बाजार में बिक्री की चीनी के लिए निर्मुक्ति आदेश 23 अक्तूबर, 1973 को महाराष्ट्र में स्थित कारखानों सहित सभी कारखानों को जारी किये गये थे। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के बारे में नवम्बर, 1973 के लिए लेवी चीनी निर्मुक्ति आदेश दो बार जारी किये गये थे जो पहली बार 17 अक्तूबर, 1973 को और दूसरी बार 9 नवम्बर, 1973 को जारी किये गये थे । 1972-73 मौसम के लेवी चीनी का कम स्टाक उपलब्ध होने के कारण ऐसा करना आवश्यक था।

नवम्बर, 1973 के लिए लेवी चीनी की निर्मुक्ति की पहली किस्त का कारखानावार ब्यौरा महाराष्ट्र सरकार समेत विभिन्न राज्य सरकारों को 15 अक्तूबर, 1973 को बताया गया था। बाद में, पहले बनाई गई योजना से महाराष्ट्र में स्थिति कारखानों से निर्यात के लिए लेवी चीनी की थोड़ी और अधिक मात्रा अधिप्राप्त करने हेतु कुछ समायोजन करने के कारण इस किस्त के कारखानेवार ब्यौरे में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था । इन परिवर्तनों की सूचना संबंधित कारखानों और महाराष्ट्र राज्य सरकार दोनों ही को दे दी गई थी। राज्य सरकार मे बाद में यह बताया कि इस परिवर्तनों के कारण कारखानों से वितरण केन्द्र को आवंटित लेवी चीनी भेजने में कुछ देरी हो गई थी।

निर्यात संबंधी आश्वासनों को पूरा करने के राष्ट्रीय हित में इन परिवर्तनों को करना आवश्यक हो गया था। ऐसी परिस्थितियां, यदि पैदा हुई भी, तो कभी-कभी पैदा होंगी।

उर्वरकों के वितरण में गैर-सरकारी व्यवस्था का योगदान

4077. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के वितरण के मामले में गैर-सरकारी व्यवस्था के योगदान के बारे में अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या उक्त व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गैर-सरकारी माध्यमों से केवल देश में निर्मित उर्वरकों का ही वितरण किया जाता है। सरकार ने इसकी भूमिका का अलग से जायजा नहीं लिया है। तथापि, सरकार द्वारा गठित एक समिति ने सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थागत माध्यम से उर्वरकों का वितरण बढ़ाए जाने के प्रश्न पर विचार किया है।

(ख) अभी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी है।

(ग) सरकार की यह नीति है कि उर्वरकों का यथा-संभव अधिकतम मात्रा में सहकारी संस्थाओं और अन्य संस्थागत माध्यम से वितरण किया जाये। तथापि, फिलहाल गैर-सरकारी माध्यमों से देश में निर्मित उर्वरकों का वितरण पूर्णत: समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठाता।

सतारा नगर से बाहर पूना-बंगलौर राष्ट्रीय राजपथ पर सहायक सड़क (बाई पास) पर कार्य

4078. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतारा नगर से बाहर पूना-बंगलौर राष्ट्रीय राजपथ पर सहायक सड़क (वाई पास) के कार्य पर कितना व्यय होने का अनुमान है, और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) सतारा शहर से बाहर उपमार्ग का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 के उप खण्ड सं० 6 (730 कि० मी० से 744 कि० मी० तक) के सुधार कार्य का एक भाग है। इस उपखंड में सुधार कार्य जिसमें सतारा उपमार्ग का कार्य भी शामिल है, की अनुमानित लागत, 79.20 लाख रुपये है।

(ख) कार्य मार्च, 1975 के अन्त तक पूरा होने का लक्ष्य है।

पूना-बंगलौर राष्ट्रीय राजपथ की सहायक सड़क तथा पुल पर कार्य

4079. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्हापुर नगर के बाहर पूना-बंगलौर राष्ट्रीय राजपथ की सहायक सड़क (बाई पास) और पुल का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, और

(ख) दोनों कामों पर अलग-अलग कितना व्यय आयेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) कोल्हापुर शहर के बाहर उपमार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.4 कि० मी०) राष्ट्रीय राजमार्ग के 605 कि० मी० से 622 कि० मी० के उपखंड 15 के सुधार के कार्य का भाग है। इस उपखंड पर पड़ने वाले तीन पुलों में से एक पुल का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है बाकी शेष दो पुलों का जिनमें से एक रेलवे पुल है है 1974 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 1975 रखा गया है।

(ख) इस उपखंड में सड़क कार्यों पर 70.78 करोड़ रुपये पुल कार्यों पर 9.31 लाख रुपये के लक्ष्य का अनुकान है।

1973-74 के लिए धन की कमी के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ विंग का बन्द होना

4080. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे :**

श्री एस० एल० पेजे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य सरकार के राष्ट्रीय राजपथ विंग में कुछ डिवीजन, सब-डिवीजन तथा दो सर्किल बन्द हो रहे हैं,

(ख) क्या इन संस्थाओं की धनराशि के आवंटन के कारण बन्द किया जा रहा है,

(ग) क्या 1973-74 के दौरान इन कार्यों के लिए धनराशि की राज्य सरकार की मांग में हाल में कटौती कर दी गई है,

(घ) क्या राज्य सरकार ने यह कहा है कि धनराशि के नियतन में कमी से राष्ट्रीय राजपथों को सुधारने के निरन्तर कार्य को धक्का पहुंचेगा, और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकार की पूरी धनराशि, जो कि आरम्भ में दी जानी थी, देगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ङ) देश में वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों तथा सरकारी खर्च में जहां तक हो सके अधिक से अधिक बचत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजनाओं के लिए आवंटन की राशि में कमी करनी पड़ी। इससे राज्यों जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, को विभिन्न सड़क योजनाओं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा निर्माण भी शामिल है, के लिए आवंटन राशि में तदनुसार कमी करनी पड़ी। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त एक पत्र से यह विदित हुआ है कि उनका कुछ डिवीजनों, सब-डिवीजनों तथा अंचलों का बन्द कर देने को विचार है।

2. महाराष्ट्र सरकार ने घटाई गई आवंटन राशि के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। महाराष्ट्र सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आवश्यकताओं की तुरन्त समीक्षा करें ताकि उनकी मांगों को केवल आवश्यक तथा अनिवार्य कार्यों के लिए ही सीमित किया जा सके। इस मामले में अंतिम निर्णय 1973-74 के संशोधित बजट अनुमानों को अंतिम रूप देते समय समस्त साधनों की स्थिति पर निर्भर करेगा।

गर्भ की चिकित्सा समाप्ति के मामले

4081. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् द्वारा गर्भपात संबंधी विधान बनाये जाने के पश्चात् सरकार को अब तक गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के मामलों के बारे में जानकारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों को यह आदेश दिये हैं कि गर्भपात कराने वाली महिलाओं से कोई अप्रिय प्रश्न न किये जायें तथा उनको आपरेशन किये जाने के समय अपने पति अथवा माता-पिता को साथ लाने के लिए भी विवश नहीं किया जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं। गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 7(ग) के अनुसार गर्भ के समापन के बारे में किसी सूचना को प्रकट करने की मनाही है ..... और जो व्यक्ति जान बूझ कर इन अनुदेशों का उलंघन करता है अथवा जानबूझ कर उनका पालन नहीं करता, वह धारा 7(3) के अन्दर दण्ड का भागी है।

अधिनियम की धारा 3(4)(क) और 3(4)(ख) में यह व्यवस्था है कि किसी भी महिला का गर्भ उसकी लिखित अनुमति मिलने पर समाप्त किया जा सकता है किन्तु यदि किसी स्त्री की आयु 18 वर्ष की न हुई हो अथवा 18 वर्ष की होने पर भी यदि विक्षिप्त हो तो उसका गर्भ उसके अभिभावक की लिखित अनुमति मिलने पर ही समाप्त किया जा सकेगा। अतः राज्य सरकारों को इस विषय में अनुदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1972-73 और 1973-74 (सितम्बर, 1973 तक) के बीच सूचित गर्भ के चिकित्सीय समापन के राज्यवार आंकड़ों का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शसित क्षेत्र का नाम	1972-73 (अप्रैल, 1972 से मार्च 1973 तक)	1973-74 (अप्रैल से सितम्बर 1973)	योग (अप्रैल, 1972 से सितम्बर, 1973)
1.	आन्ध्र प्रदेश	861	683	1544
2.	असम	—	—	—
3.	बिहार	—	—	—
4.	गुजरात	803	1127	1930
5.	हरियाणा	194	39*	233
6.	हिमाचल प्रदेश	—	89	89
7.	जम्मू व कश्मीर**			
8.	केरल	928	1274	2202
9.	मध्य प्रदेश	1074	740	814
10.	महाराष्ट्र	7255	5724	12979
11.	मनीपुर	—	—	—
12.	मेघालय	—	—	—
13.	मैसूर	767	584	1351
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	15	81	96
16.	पंजाब	111	186	297
17.	राजस्थान	186@	—	186
18.	तामिलनाडु	4327	2530	6857
19.	त्रिपुरा	74	55	129
20.	उत्तर प्रदेश	350	340	690
21.	पश्चिम बंगाल	2200	1520	3720
22.	अण्डमान एवं निकोबार	14	6	20
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
24.	चण्डीगढ़	631	347	978

1	2	3	
25. दादर एवं नगर हवेली . . .	—	2	2
26. दिल्ली	2810	1702	4512
27. गोआ	32	47	79
28. लक्षदीव . . .	—	—	—
29. मिजोरम . . .	—	—	—
30. पाण्डिचेरी . . .	109	46	155
31. रक्षा मंत्रालय . .	181	187	368
32. रेल मंत्रालय . .	636	491	1127
योग .	23558	17800	41358

टिप्पणी :—गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम पहली अप्रैल, 1972 को लागू हुआ।

*केवल अप्रैल, 1973 के मास के आंकड़े।

**गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता।

—सूचना नहीं मिली।

@नवम्बर, 1972 तक।

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के रख-रखाव के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि

4082. श्री जी० वाई० कृष्णन्:

श्री ईश्वर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अस्पतालों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के रख-रखाव के लिए वार्षिक कितनी धनराशि दी जा रही है;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि एलोपेथी तथा कितनी धनराशि आयुर्वेदिक उपचार पर व्यय की गई; और

(ग) एलोपेथी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अतिरिक्त दिये जाने वाले भत्ते का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) केन्द्रीय सरकार अपने अस्पतालों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के रख-रखाव के लिये कोई वार्षिक अनुदान नहीं देती है। फिर भी, हर वर्ष इस प्रयोजन के लिये आवश्यक बजट व्यवस्था की जाती है। 1973-74 में, केन्द्रीय सरकार के अधीन चल रहे जनरल अस्पतालों तथा औषधालयों के लिये कुल 3,08,49,000 रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी। 1973-74 में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के लिये 3,87,25,000 रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना (केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना दिल्ली को छोड़कर) के अधीन सारा का सारा पैसा एलोपैथिक उपचार पर खर्च किया जाता है। दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के लिये रखे गये धन का एक अंश वहां के आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालयों के रख-रखाव पर खर्च किया जाता है, इसके लिये कितना धन रखा गया है इसके अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-2 के एलोपैथिक डाक्टर वेतन के 33⅓ प्रतिशत के हिसाब से नान-प्रैक्टिशिंग भत्ता पाने के हकदार हैं किन्तु यह रकम प्रतिमास 150 रुपये से कम और 600 रुपये के अधिक नहीं हो सकती। जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-1 और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में यह भत्ता वेतन का 50 प्रतिशत मिलता है जो प्रतिमास 600 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। दन्त चिकित्सा वेतन का 25 प्रतिशत के हिसाब से उक्त भत्ता पाने के हकदार हैं जो प्रतिमास कम से कम 150 रु० और अधिक से अधिक 600 रु० हो। आयुर्वेदिक चिकित्सक वेतन का 25 प्रतिशत के हिसाब से नान-प्रैक्टिशिंग भत्ता पाते हैं जो प्रतिमास कम से कम 150 रु० और अधिकतम 400 रु० हो।

वनस्पति तेल का मूल्य

4083. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति उद्योग, इसकी वितरण व्यवस्था, उत्पादन लागतों और लाभ का पूर्ण पुनर्विलोकन करके खाद्य तेल और वनस्पति को सर्व साधारण की पहुंच में लाने के उद्देश्य से उसकी कीमतें कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : उत्पादन लागत, वितरण सम्बन्धी खर्चों और लाभ कमाने के अंश सहित वनस्पति उद्योग के लागत ढांचे पर टैरिफ आयोग द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया था और आयोग द्वारा मार्च, 1971 को दी गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर फिलहाल वनस्पति के मूल्य निर्धारित किये जा रहे हैं।

जनजाति विकास के लिए पायलट परियोजनाओं की प्रगति

4084. **श्री वसंत साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के चुंनीदा ज़िलों में राज्यवार जनजाति विकास के लिये पायलट परियोजनाओं के अन्तर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति क्या है?

(ख) क्या जनजातियों में विश्वास उत्पन्न करने तथा ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिये वर्तमान प्रशासनिक एजेंसी का पुनर्गठन के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या जनजाति विकास के लिये प्रशासकीय कार्य करने के लिये अधिकारियों को पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो जनजाति विकास कार्यक्रम के अधिकारियों द्वारा किये गए कार्य के लिये प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश (1), बिहार (1), मध्य प्रदेश (2) और उड़ीसा (2) के राज्यों में स्थित जनजाति विकास की छः प्रायोगिक परियोजनाओं में से हरेक द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सितम्बर, 1973 तक की प्रमुख प्रगति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में दे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5957/73]**

(ख) जी, नहीं। वर्तमान प्रशासनिक अधिकरण का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रत्येक प्रायोगिक परियोजना के लिये पहले से पंजीकृत जनजाति विकास अभिकरण संतोषजनक प्रगति कर रहा है।

(ग) और (घ) जनजाति विकास परियोजनाओं के कुछ भीतरी इलाकों में अनुभव की गई कुछ समस्याओं, जैसे कर्मचारियों की अपर्याप्तता अथवा कर्मचारियों की अनुपस्थिति, पर काबू पाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों के विभिन्न सरकारी संवर्गों से जनजाति इलाकों में कार्य करने के लिये विशेष प्रोत्साहन देकर वालंटियर मांगे जायें। जनजाति कार्यों का प्रबन्ध करने का अनुभव रखने वाले और जनजाति इलाकों में विकास कार्य करने का उत्साह दिखाने वाले अधिकारियों और उन स्थानीय अधिकारियों, जो अपने इलाकों में काम करने के इच्छुक हों, को ऐसे इलाकों में नियुक्त किया जाये।

ये प्रोत्साहन इन रूपों में हो सकते हैं—बिना किराये अथवा नाममात्र के किराये पर निवास-आवास देना, त्वरित पदोन्नति अथवा वेतन-वृद्धि देना, विशेष वेतन और/अथवा कठिनाई-भत्ता देना, जन-जाति इलाकों में सराहनीय सेवाओं के लिए चरित्र पंजियों आदि में उपयुक्त प्रविष्टियां करके विशेष मान्यता देना। यह निर्णय पहले से ही सम्बन्धित राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया गया है और प्रोत्साहन देने की प्रणाली को उनसे परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जायेगा।

Scarcity of Ghee on Diwali eve and its abundance afterwards in Delhi

4085. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether on the Diwali eve this year, vanaspati ghee in Delhi was sold at the rate of Rs. 250 per tin in black market but the general public could not get it on ration cards even after waiting for hours;

(b) whether immediately after the festival, vanaspati ghee was available for sale almost at all the shops and the Delhi Administration had to announce about the facility of getting ghee even without producing ration cards for the purpose; and

(c) the reason why Government did not consider it necessary to order an enquiry and punish the guilty person in view of both these situations?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): **(a)** No such complaints were received by the Delhi Administration. In the context of the prevailing shortages arising from the closure of the factory of one of the major producers in Delhi, the Administration had made special arrangements to distribute about 750 tonnes of vanaspati to the public on food cards at 2 Kg or 4 Kg each (depending on the number of suggar units) through 627 retail points between the 21st and 27th October, 1973. These arrangements were found to have worked satisfactorily in the circumstances which prevailed at that time.

(b) With the fall in demand after Diwali and the increased supplies following the re-starting of production in D.C.M. Chemical Works, Delhi, on the 26th October, 1973, the limits of sale prescribed earlier were lifted on the 27th October, 1973; all other restrictions were lifted on the 10th November, 1973.

(c) Does not arise.

Pavement dwellers in the country

4086. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of pavement dwellers in the metropolitan cities of India during the beginning of the first five year plan and their number at present;

(b) their likely number at the end of the fifth five year plan; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Ministry of State in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) The number of pavement dwellers during the beginning of the first five year plan is not known. The number estimated is as under :—

Delhi	7,000	approximately
Bombay	59,000	,,
Calcutta	49,000	,,
Madras	9,000	,,

(b) This cannot be estimated.

(c) The State Governments are competent to formulate projects for providing accommodation to the shelter-less people by constructing night shelters under Slum Clearance and Improvement Scheme. The State Governments are also competent to construct houses for such people under the Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community.

राज्यों में वनस्पति संरक्षण परियोजना

4087. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वनस्पति संरक्षण परियोजना के सफलतापूर्वक कार्य को देखते हुये केन्द्रीय सरकार अन्य राज्यों में भी ऐसी ही वनस्पति संरक्षण परियोजना विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने की नई नीति में वनस्पति-रक्षण कार्यों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। समस्त राज्य सरकारें चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वनस्पति-रक्षण संबंधी उपयुक्त योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। कृषि मंत्रालय का वनस्पति-रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय विभिन्न वनस्पति-रक्षण उपायों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों का तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता कर रहा है। महामारी के क्षेत्रों में पौध कृमियों तथा बीमारियों में विरुद्ध जमीन तथा हवाई छिड़काव की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जमीन तथा हवाई छिड़काव कार्य की आर्थिक सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारें कीटनाशी औषधियों की लागत स्वयं वहन कर रही हैं।

पांचवीं योजना में सहकारी समितियों के कार्य में सुधार

4088. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सहकारी समितियों के कार्य में सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सहकारी समितियों ने योजना में क्या भूमिका निभाई है;

(ग) चौथी योजना के दौरान सहकारी समितियों ने मध्यवर्ती तथा अल्पावधि के लिये किस हद तक ऋण दिये; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये मध्यवर्ती तथा अल्पावधि ऋणों के लिये कितनी धनराशि रखी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) चौथी योजना में प्रमुख बल कृषि तथा उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों के क्षेत्रों पर था, जिसका इरादा यह था कि कृषकों द्वारा अपेक्षित विभिन्न सेवाओं को अधिकाधिक रूप से संस्थागत रूप दिया जाये।

(ग) उम्मीद है कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में सहकारी सोसायटियां 700 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण प्रदान करेंगी। उनसे चौथी योजना के पांच वर्षों में 325 करोड़ रु० के मध्यकालीन ऋण दिये जाने की भी उम्मीद की जाती है ।

(घ) पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष में 1300 करोड़ रु० के अल्पकालीन ऋण देने का अस्थायी लक्ष्य रखा गया है। पांचवीं योजना के पांच वर्षों के लिये मध्यकालीन ऋणों का लक्ष्य 325 करोड़ रु० नियत किया गया है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाओं का विकास

4089. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये रखी गई धन-राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई थी और कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गईं और कितनी योजनाएं अभी पूरी हो रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में 9.00 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है 5.00 करोड़ रु० केन्द्रीय योजनाओं के लिये और 4.00 करोड़ रु० केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये चौथी योजना में केन्द्रीय योजनाओं पर 421.48 लाख रु० व्यय होने की संभावना है। केन्द्रीय योजनाओं में राजावगान डाकयार्ड तथा कुल्पी आटोमोवाईल वर्कशाप का विकास पांडु तथा जोगीगोपा पत्तनों पर अनुषंगी सुविधाओं की व्यवस्था गंगा नदी में प्रयोगात्मक एवं संवर्दनात्मक नदी सेवा का चलन, अन्तर्देशीय जल परिवहन कार्मिकों के लिये उच्चतर प्रशिक्षण योजनाएं आदि शामिल हैं। ये सभी योजनाएं कार्यान्विति के विभिन्न चरणों में है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 668.03 लाख रु० की लागत की 23 योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। चौथी योजना में इन कार्यों पर 323.37 लाख रुपये व्यय की संभावना है। इन योजनाओं का निष्पादन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा और प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

एक दिन के नरचूजों के बारे में नीति

4090. **श्री पीलू मोदी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नीति एक दिन के नरचूजों को खत्म करने की है; और

(ख) क्या गांवों को रियायती मूल्यों पर 'कोकरेल्स' जारी करने की पुरानी प्रथा को इन चूजों अथवा हाइब्रिड से पुनः चालू नहीं किया जा सकता यदि वे अधिक उपयुक्त हों?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) भारत सरकार की नीति एक दिन के नरचूजों को खत्म करने की नहीं है; और

(ख) अनेक राज्यों में यह प्रथा पहले से ही प्रचलित है।

आवास पर सरकार का व्यय और इसके लिए ऋण

4091. **श्री पीलू मोदी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1971 की जनगणना के अनुसार 1.2 प्रतिशत जनसंख्या ही आवास के कार्य में लगी है यदि हां, तो अमरीका, रूस, ब्रिटेन और जापान के इस बारे में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) उन वर्गों के प्रति, जिसकी बचत है और जिसको आवास के लिये उच्च प्राथमिकता है, आवास सम्बन्धी सरकारी व्यय के कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नये निर्माण की जमानत पर बैंक द्वारा ऋण देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि आपत्ति भुगतान की लम्बी अवधि के बारे में है, तो रिजर्व बैंक अथवा सरकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनः वित्त न दिये जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) 1971 की जन-गणना के अनुसार, कार्य कर रही जन-संख्या की लगभग 1.23 प्रतिशतत (और न कि समस्त जन-संख्या) निर्माण कार्यों में व्यस्त है, जिस में मकानों तथा अन्य भवनों, बन्दरगाहों, पुलों, सड़कों, हवाई अड्डों, तार तथा टेलीफोन की लाइनों, जल मार्गों, वाटर-रिजरवायर्ज, नहरों का निर्माण तथा निर्माण संबंधी अन्य गतिविधियां शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, ब्रिटेन तथा जापान में कार्य करने वाली जनसंख्या का क्रमशः 4.6, 8.7, 5.7 तथा 7.88 प्रतिशत निर्माण कार्यों में व्यस्त है।

(ख) सामजिक आवास पर सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य निम्न आय वर्ग के लोगों को सहायता देना है। जिनके पास कुछ बचत है उन्हें कम व्याज की लम्बी अवधि का ऋण देकर सहायता की जाती है और जिन के पास बचत का कोई साधन नहीं है, उन्हें सहायता प्राप्त किराये के मकानों द्वारा मदद दी जाती है। उन श्रेणियों के बारे में आवास पर सरकारी व्यय कम नहीं हुआ है जिन के पास बचत के साधन हैं तथा वित्तीय सहायता के पात्र हैं अर्थात् वे जिन की वार्षिक आय 18,000 रुपये से अधिक नहीं है।

(ग) तथा (घ) फिलहाल, बैंक, आवास कार्यों में अपनी निधियां पर्याप्त सीमा तक नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ऐसी पूंजी सामान्यता लम्बी अवधि के लिए लगानी होती है जबकि बैंकों के पास जमा राशि कम अवधि के लिए होती है। बैंकिंग आयोग ने आवास के क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूंजी लगाने के बारे में कतिपय सिफारिश की है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वसूली मूल्य को उत्पादन लागत के साथ जोड़ना

4092. **श्री पीलू मोदी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दी गई लागत और परिवार श्रम, किराया, तथा ब्याज की आकलित लागत के आधार पर अलग अलग धान की उत्पादन लागत और कृषि मूल्य आयोग द्वारा कथित वसूली मूल्य में कितना अन्तर है;

(ख) क्या बढ़ी हुई लागत का कारण श्रमिक मजदूरी है क्योंकि उर्वरक जल, किराया तथा राजस्व जैसे इनपुट की लागत नहीं बढ़ाई है और यदि हां, तो क्या धान की लागत में वृद्धि की तुलना में मंजूरी में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ग) चूंकि मोटे अनाज की मूल्य लागत गेहूं और चावल की लागत से जुड़ी हुई है, क्या मोटे अनाज के उत्पादन में कमी का कारण न्यूनतम मूल्य को गेहूं और चावल तक सीमित रखने के कारण है; और

(घ) चूंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि अनाज का अत्यधिक मूल्य, जो उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित है, अनेक राज्यों में लगाया जा रहा है तो खुले बाजार में मूल्यों के इतना ऊंचा बना रहने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में धान के उत्पादन की लागत तथा विभिन्न आदानों के आधार पर अभी पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 1973-74 के मौसम के लिए क्रय मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि मूल्य आयोग ने राज्य सरकारों से धान की उत्पादन लागत के प्राक्कलन (जो 50 से 55 रु० प्रति क्विन्टल पड़ते थे) प्राप्त कर लिए थे और उसने अन्य सम्बद्ध बातों को भी ध्यान में रखा था। आयोग ने धान की स्टैंडर्ड किस्म के लिए 63 रु० प्रति क्विंटल के क्रय की सिफारिश की थी।

(ख) यह सच है कि हाल ही के वर्षों में मजदूरी बढ़ गयी है। किन्तु उत्पादन लागत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी न मिलने के कारण यह बताना कठिन है कि धान की लागत पर मजदूरी के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ा है।

(ग) जी नहीं। न्यूनतम सहाय्य/क्रय मूल्य गेहूं तथा चावल और मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी तथा कोदन-कुटकी) के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं। मोटा अनाज अधिकतर वर्षा सिंचित परिस्थितियों में पैदा होता है और गत दो वर्षों में उसके उत्पादन में जो कमी हुई है उसका कारण मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में सूखे की स्थितियों का मौजूद होना था।

(घ) अधिकांश राज्य सरकारों ने गेहूं का थोक व्यापार हाथ में लेने के बाद केवल गेहूं के ही अधिकतम खुदरे मूल्य निर्धारित किए हैं,—कुछ राज्यों में चावल, ज्वार और रागी के संबंध में मूल्य नियंत्रण भी लागू है। विपणन की दोहरी प्रणाली के अंतर्गत बिकने वाले अनाजों के मूल्यों तथा खुले बाजार में बिकने वाले अनाजों के मूल्यों में कुछ अन्तर रहना स्वाभाविक ही है।

तूतीकोरिन पत्तन पर निर्माण कार्य

4094. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या निर्माण कार्य में कुछ विलम्ब हुआ है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) सभी तटीय कार्य पूरे हो चुके है । दक्षिणी पनकट दीवार तथा उत्तरी पनकट दीवार क्रमशः 1830 मी० तथा 1775 मी० तक तथा 3709 मी० तथा 2989 मी० कोर स्तर तक पूरी हो चुकी है ।

(ख) जी हां, वर्षा ऋतु में खराब हालत तथा ठेकेदार की कठिनाइयों के कारण ।

(ग) कार्य की प्रगति की निरंतर देख रेख की जा रही है और सभी कार्यों को मार्च, 1975 तक पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Memorandum Submitted by Employees of I.I.T. Hauz Khas, New Delhi

4095. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Y. Eswara Reddy :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the representatives of the I.I.T. Empleyees Union, Hauz Khas, New Delhi have submitted a memorandum to the Director, I.I.T. in connection with their demands; and

(b) the broad outlines of the demands and the action taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) A statement is annexed. **[Placed in Library. See No. L. T. 5958/73]**

Number of temporary Employees in the Ministry of Health and Family Planning

4096. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the total number of employees in his Ministry at present who are temporary even after rendering more than five years service?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kiska): Fifty two.

Number of Employees working in the Ministry of works and Housing

4097. **Shri Hukum Chand Kachwai ;** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of employees working in his Ministry at present; and

(b) the number of temporary employees among them ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) 476

(b) 163

Amount to M.P. For Construction and Development of National Highways:

4098. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Shipping** and **Transport** be pleased to state :

(a) the amount paid by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh during the financial years 1971-72 and 1972-73 for the construction and development of national highways; and

(b) the amount actually spent by the State Government out of the total amount paid to them upto this time ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) and (b) Funds allotted to the Madhya Pradesh Government during 1971-72 and the expenditure incurred by them on the construction and development of National High ways during these years is as under :—

Year	Funds allotted (Rs. in lakhs)	Expenditure incurred
1971-72	132.02	143.84
1972-73	317.31	349.60

Sale of Milk to Hotels from D.M.S. Booths

4099. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether milk is sold at high price to hotels from the distribution depots of the Delhi Milk Scheme as a result of which even the token holders are deprived of their milk supply ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No, sir. D.M.S. Milk is supplied only to taken holders. There have been a few complaints that the milk found its way from the Depots to non-taken holders. Such complaints are enquired into and preventive action taken.

(b) Does not arise.

वनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण

4100. कुमारी कमला कुमारी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के वनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

छोटा नागपुर बिहार के विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

4101. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक वर्ष 1973–74 और 1974–75 में छोटा नागपुर क्षेत्र के कृषि विकास के लिए करोड़ों रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और बिहार सरकार विश्व बैंक को किस दर पर ब्याज देगी;

(ग) क्या कुछ लोग उक्त क्षेत्र को ऋण देने का विरोध कर रहे हैं और उक्त ऋण उत्तर बिहार को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) 1973-74 और 1974–75 के वर्षों में विश्व बैंक की सहायता से छोटा नागपुर क्षेत्र के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, जोकि विश्व बैंक से संबद्ध है, की सहायता से 50 नियमित थोक कृषि मण्डियों के विकास की एक परियोजना इस समय बिहार में क्रियान्वित की जा रही है और विकसित की जाने वाली प्रस्तावित मण्डियों में से कुछ छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित हैं । इस मण्डी विकास परियोजना के लिए बैंक ऋण नियमित मण्डी समितियों को कृषि पुनर्वित निगम और स्टेट बैंक आफ इंडिया के ज़रिये दिया जायेगा ।

(ग) सरकार को इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छोटा नागपुर और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थापना

4102. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश में सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम, भावनगर द्वारा गोदाम वापस करना

4103. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने भावनगर में किराये पर लिये गोदाम वापस कर दिए हैं और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इससे लोगों को बहुत असुविधा हुई है ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भावनगर में किराये पर लिए गोदामों की कुल क्षमता क्या थी ; और

(घ) गुजरात में भावनगर स्थित गोदामों के किराये पर लिये जाने से लेकर प्रत्येक वस्तु का कितना स्टाक था और उस पर किस प्रकार वितरण किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को किराए की जितनी भण्डारण क्षमता की आवश्यकता होती है उसकी, ऐसी क्षमता और उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, समय समय पर समीक्षा की जाती है । भावनगर बन्दरगाह प्राधिकारियों से किराए पर ली गई 7,500 मी० टन क्षमता को निगम ने छोड़ दिया था क्योंकि वह फालतू हो गई थी और इस दृष्टि से भी कि भावनगर के साथ वाले स्थानों पर उस क्षेत्र की जनता के हितों की सुरक्षा करने हेतु नये भण्डारण केन्द्र खोले गए थे । किराए के स्थान को छोड़ने से कोई असुविधा नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1971 से अक्तूबर, 1973 के दौरान भावनगर में किराए पर ली गई गोदाम क्षमता लगभग 53,000 मी० टन से लगभग 24,000 मी० टन तक भिन्न-भिन्न थी और स्टाक स्थिति लगभग 40,000 मी० टन से लगभग 3,200 मी० टन थी । एक विवरण संलग्न है जिसमें मद वार स्टाक के वितरण का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

भावनगर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिये गये गोदामों से स्टाक के मद वार वितरण को दर्शाने वाला विवरण :

वस्तु	मीट्रिक टनों में आंकड़े		अक्तूबर 1973 तक
	1971-72	1972-73	1973-74
(1)	(2)	(3)	(4)
गेहूं	20,801	75,658	18,478
चावल	1,866	16,526	8,112
चना	709		..
माइलो	..	..	3,781
उर्वरक	17,761	14,179	20,700

गुजरात में बन्दरगाहों का विकास

4104. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में बन्दरगाहों के जोकि बदेरा की अर्थ-व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण है, विकास के लिए कोई उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने भी बन्दरगाहों के विकास के लिये, जोकि देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार की सहायता करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार की बन्दरगाहों के विकास संबंधी त्रिवेदी समिति के प्रतिवेदनों को कार्यान्वित करने के लिये बहुत अधिक धन राशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार राज्य की कितनी सहायता करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी हां ।

(ख) गुजरात राज्य में पोरबन्दर पत्तन चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे पत्तनों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में पहले ही शामिल है ।

(ग) जी हां ।

(घ) पांचवी पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों के विकास की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

उर्वरकों की कमी और इनका आयात

4105. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की कमी इनका आयात कर के पूरी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 और 31 अक्तूबर, 1973 तक कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया ; और

(ग) उर्वरकों का आयात किस कीमत पर किया गया किन किन देशों से ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) 1972 और 31 अक्तूबर, 1973 तक पोषक तत्वों के रूप में आयातित उर्वरकों की मात्रायें और उनका कुल मूल्य वास्तव में प्राप्त उर्वरकों के आधार पर नीचे दिया गया है :

अवधि	लाख मीटरी टनों में			मूल्य करोड़ रुपयों में
	एन०	पी०	के०	
1. 1972 . .	6.18	2.15	2.90	107.39
2. 1 जनवरी से 31अक्तूबर, 1973 तक . .	5.30	2.24	2.70	123.35

उपर्युक्त अवधियों में उर्वरकों का आयात इन देशों से किया गया था--रुमानियां, वुल्गारिया, पोलैंड, सोवियत रूस, पूर्वी जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिमी जर्मनी यू० के०, हालैंड, फ्रांस, इटली, बेलजियम नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जापान, कुवैत, सऊदी अरब, दक्षिणी कोरिया ।

विदेशों में भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडल

4106. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** तथा **संस्कृति** मंत्री विदेशों में भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के बारे में 6 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या, 2107 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अगस्त से अक्तूबर के अन्त तक कितने सांस्कृतिक शिष्ट मंडल विदेशों में भेजे गये ;

(ख) सांस्कृतिक शिष्टमंडल किन-किन देशों में भेजे गये ; और

(ग) सांस्कृतिक शिष्ट मडलों के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय/कार्यकलाप कार्यक्रमों के अधीन अक्तूबर के अन्त तक विदेशों को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडल

क्रम सख्या	शिष्ट मंडल संबंधी ब्योरे	देश जिनका दौरा किया गया
1	2	3
(गैर प्रदर्शनकारी शिष्टमंडल)		
1. श्रीमती विजया एफ० मेहता	(थियेटर विशेषज्ञ)	रूस, जर्मन जनवादी गणराज्य
2. श्री बी० डी० एन० साही	(हिन्दी लेखक और कवि)	यूगोस्लाविया, मंगोलिया, पोलैंड, चैकोस्लावाकिया, जर्मन संघीय गणराज्य और रूस
3. श्री हबीब तंवीर, संसद सदस्य	(वियेटर बिशेषज्ञ)	तेहरान (ईरान)
4. श्री सोम वेनेंगल	(थियेटर बिशेषज्ञ)	ईरान
5. श्री कुमार बिमल	(हिन्दी लेखक)	जर्मन, संघीय गणराज्य, चेकोस्लावाकिया और रूस
6. श्रीमती दीना पाठक	(थियेटर विशेषज्ञ और गुजराती अभिनेत्री)	जर्मन जनवादी गणराज्य और चैकोस्लोवाकिया
7. श्रीमती तृप्ति मित्रा	(थियेटर विशेषज्ञ तथा बंगाली अभिनेत्री)	जर्मन जनवादी गणराज्य तथा रूस

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भवन खाली करना

4107. **श्री एस० एम० बनर्जी:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जि.. भवन पर कब्जा किया हुआ था उसे इस बीच खाली कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) भवन खाली कराने के लिए बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय ने एक सिविल मुकदमा दायर किया है । न्यायालय में मुकदमा अभी तक अनिर्णीत पड़ा है ।

गहन भेड़ पालन कार्य के लिये भूमि का आरक्षण

4108. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहन भेड़-पालन कार्य के लिये कुछ भूमि राज्यवार आरक्षित रखने की योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) भेड़-पालन का कार्य मुख्यता : राज्य क्षेत्र की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आता है । अतः क्षेत्रों को निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में भेड़ विकास की सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे पैकेज कार्यक्रम के आधार पर चुने हुए सुसंहत क्षेत्रों में भेड़ विकास की व्यवस्था करें, जिसमें चरागाहों के विकास, चराई की सुविधाओं, उन्नत प्रजनन, रोग नियंत्रण, उचित आहार तथा विपणन की सुविधाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

धामारा, उड़ीसा में मत्स्य पत्तन के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण

4109. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धामारा में मत्सय पत्तन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संबंधी प्रतिवेदन को चालू निर्धारित दरों के अनुसार प्राक्कलन में पुनरीक्षण के लिए उड़ीसा सरकार को भेज दिया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन को अधिकांशतया एक मुश्त प्रावधान के आधार पर तैयार किया गया है ;

(ग) क्या प्राक्कलन के पुनरीक्षण के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित करना संभव नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): धामारा में मत्स्य पत्तन के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट, जो मत्स्य पत्तनों के निवेश-पूर्व सर्वेक्षण की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता संबंधी परियोजना से प्राप्त हुई थी, मई, 1972 में उड़ीसा सरकार को भेजी गई थी, ताकि वे चालू निर्धारित दरों के अनुसार लागत के प्राक्कलनों की जांच करके चौथी तथा पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्य के यंत्रीकरण कार्यक्रम के साथ नावों की संख्या तथा उनके अवतारण का भी पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकें ।

(ख) से (घ) इस परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 57.00 लाख रुपये की रकम व्यय होने की संभावना है, जिसमें से मात्राओं तथा दरों के आधार पर मिट्टी निकालने, जमीन संबंधी सुधार कार्य करने, अवतारण घाटों की व्यवस्था, पत्थर लगाने, सतहीकरण, आदि के लिए 21.23 लाख रुपये और स्लिपवे जल सप्लाई, कूड़े कचरे की निकासी विद्युत उप-केन्द्र, पत्तन कार्यालय, नीलामी हाल, ईंधन केन्द्र, शोच एवं स्नान-गृह, बिजली, आकस्मिक व्यय तथा पर्यवेक्षण आदि मदों के लिए 35.77 लाख रुपये के एक मुश्त प्रावधान व्यवस्था शामिल है । यह कार्य राज्य सरकार के माध्यम से ऐसी रिपोर्टों की तैयारी के विषय में अपनाई जाने वाली पद्धति के अनुसार किया जाना है । अतः राज्य सरकार को कहा गया है कि वह चालू निर्धारित दरों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ लागत के प्राक्कलनों की भी जांच करें । इस क्रियाविधि के अपनाने से परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के समय से ही राज्य एजेंसी का सहयोग प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है जिसके फलस्वरूप आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुधार तथा परिवर्तन करने में सुविधा रहती है ।

उड़ीसा सरकार ने दिनांक 23 नवम्बर, 1973 के अपने पत्र में 84.34 लाख रुपये की लागत के संशोधित प्राक्कलन भेजे हैं । इनकी जांच की जा रही है ।

कोचीन पत्तन पर कार्य

4110. **श्री बयालार रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोचीन पत्तन पर कार्य धीमा पड़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी): (क) और (ख) काम रुकने के कारण अस्थायी गडबड़ी के अलावा कोचीन पत्तन के कार्य में कोई ढील नहीं हुई है । वास्तव में अप्रैल, अक्तूबर, 1973 के दौरान पत्तन द्वारा धाराउठाई किया गया यातायात अक्तूबर, 1973 में सबसे अधिक था । मजदूरों की मांगों को पूरा करने और काम में होने वाली गड़बड़ी से बचने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

दिल्ली में मिशनरी स्कूलों में निर्धारित पाठ्य पुस्तकें

4111. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में कुछ पब्लिक मिशनरी स्कूलों में "चैलेंज सिरीज", विशेषकर "चैलेंज आफ परसेनलिटी" शीर्षक से निर्धारित सिरीज पुस्तकों तथा उनकी पाठ-सामग्री की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी पाठ्य पुस्तकों से, जो युवकों के मस्तिष्क को कुलषित करती है, युवकों को बचाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली के स्कूलों से उपरोक्त पुस्तकें हटाने के लिये कोई कार्यवाही की थी ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) मामले की जांच की जा रही है ।

केरल में प्रकाश स्तम्भ (लाइटहाउस)

4112. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में निर्माणाधीन अथवा मरम्मत किये जा रहे प्रकाश स्तम्भ का काम पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं तो इनका निर्माण कार्य इस समय किस अवस्था में है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) विलिजम (त्रिवेन्द्रम के निकट) में एक नया दीपघर का कार्य पूरा हो गया है और निम्नलिखित नई दीपघर योजनाए केरल राज्य में प्रगति में हैं :—

1. मनाकुर में दीपघर ।
2. दन्ननोर में दीपघर ।
3. पेरियार नदी में दीपघर ।
4. माउंट डेली में दीपघर ।
5. बेपुर में दीपघर ।
6. कोचीन में दीपघर ।
7. कोचीन में रेडियो बीकन ।

मनाकुरदीपघर में सिविल इंजीनियरी कार्य, विभागीय रूप से किये जा रहे हैं जबकि कन्नानौर, परियार नदी और माऊंट डैली दीपघरों के सिविल इंजीनियरी कार्य ठेकेदारों को दिये गये हैं। इन कार्यों के 1974–75 के दौरान पूरे होने की संभावना है।

वेपुर में दीपघर आदि के निर्माण हेतु सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्यों का कार्य-आर्डर एक ठेकेदार को हाल ही में दिया गया है। काम के शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है।

कोचीन दीपघर और रेडियो वीकन के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति में है और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध किये जाने पर तुरन्त ही सिविल इंजीनियरी कार्य शुरू किये जाएंगे।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त दीपघर और दीपोत विभाग के हाल ही में केरल राज्य सरकार की ओर से अजीकल के स्थान पर एक नये दीपघर स्तम्भ का निर्माण कार्य हाल ही में पूरा कर लिया है। इस दीपघर के लिये प्रकाशीय उपकरण प्राप्त कर लिया गया है और शीघ्र ही इसे लगा दिया जायेगा।

दिल्ली में वनस्पति का बिक्री पर से नियंत्रण हटाना

4113. **श्री राम भगत पासवान**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में वनस्पति की बिक्री पर स नियन्त्रण हटाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी वनस्पति की बिक्री पर से नियंत्रण हटा लिया जायेगा जिससे दिल्ली बाजार के भार को कम किया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) गत अक्तूबर में किसी समय दिल्ली प्रशासन द्वारा वनस्पति की बिक्री पर लगाये गये सभी प्रतिबन्धों को 10 नवम्बर, 1973 से हटा दिया गया है।

(ख) और (ग) संबंधित राज्यों की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इसका निर्णय संबंधित राज्य सरकारों को करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने वनस्पति के वितरण/बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया है।

Universities in Garhwal and Nainital District of U.P.

4114. **Shrimati Savitry Shyam** : Will the Minister of **Education, Social welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 2 on the 23rd July, 1973 regarding U.G.C. plans for starting new Universities and states:

(a) whether it has been finally decided to open a University each in Garhwal and Nainital Districts of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the main features of the scheme formulated in this connection and the extent to which progress has been made in this regard?

The Minister of Education , Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a and (b): Under the provisions of the Uttar pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973), the Government of Uttar Pradesh has notified the establishment of the University of Garhwal at Srinagar (District Garhwal) and of the University of Kumaun at Nainital with effect from December, 1, 1973. The University of Garhwal will exercise its jurisdiction over the districts of Garhwal Tehri-Garhwal Chamoli, Uttarkashi and Dehradun, while the University of Kumaun will exercise its jurisdiction over the districts of Nainital, Almora and Pithoragarh.

Each University will have a Vidya Yonja Board, to whom the powers, duties and functions of the Executive Council, Court and Academic Council will be delegated till such time that these bodies are constituted in accordance with the provision of the Act. The Board will also advise the State Government and the Chancellor on the planning and development of the University.

विक्टोरियो मैमोरियल, कलकत्ता की मरम्मत के लिये केन्द्रीय आवंटन

4115. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्टोरिया मैमोरियल बिल्डिग, कलकत्ता के न्यासियों के बिल्डिग की मरम्मत के लिये केन्द्रीय सरकार से एक लाख रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारें में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विक्टोरिया स्मारक कलकत्ता के न्यासियों ने, विक्टोरिया स्मारक भवन के रास्तों छज्जे और छत की आवश्यक मरम्मत करने के लिए 2,34,224 रूपये का अनुरोध किया था । सरकार ने उपरोक्त कुल लागत पर इन मरम्मतों की अनुमति दे दी थी ।

1.17 लाख रुपये दिए जा चुके हैं और बकाया राशि अगले वित्त वर्ष के आरम्भ में दे दी जाएगी ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधीन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश

4116. **श्री वी० के० दास चौधरी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधीन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के बारे में 30 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1058 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया/**दखिए** संख्या एल० टी० 5959/73]।

वर्ष 1972-73 के दौरान छोटी सिंचाई योजनाओं से सिंचित अतिरिक्त भूमि

4117. **श्री ई० बी० बिखेपाटिल :** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान नयी छोटी सिंचाई योजनाओं से राज्यवार कितनी अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हुई ; और

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान छोटी सिंचाई योजनाओं पर राज्यवार कितना व्यय हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1972-73 के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रम से लगभग 15.78 लाख हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र को लाभ पहुंचा है । इसके अतिरिक्त उस विशेष ऋण की सहायता से 7.54 लाख हैक्टर क्षेत्र को लाभ पहुचने का अनुमान लगाया गया है, जो सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये वर्ष 1972-73 के दौरान आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दिया गया था । राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रम पर जो रकम व्यय हुई थी उसमें 110.14 करोड़ रूपये की वह रकम शामिल थी जो प्लान क्षेत्र की निधि से उपलब्ध हुई थी । इसमें लगभग 130 करोड़ रू० की वह रकम भी शामिल थी जो संस्थागत ऋण के रूप में भूमि विकास सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों से उपलब्ध हुई थी । योजना क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है । संस्थागत ऋण के अखिल भारतीय तथा राज्यवार आंकड़ों के ठीक-ठीक अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । इसके अतिरिक्त आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण के रूप में 148.136 करोड़ रूपये की विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी गई थी । राज्यवार आंकड़े विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

राज्य का नाम	वर्ष 1972-73 के दौरान लाभान्वित हुए अतिरिक्त क्षेत्र का अनुमान		वर्ष 1972-73 के दौरान प्रत्याशित व्यय	
	सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत	आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत	सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत	आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत
1	2	3	4	5
	(000 हैक्टार में)		(करोड़ रुपयों में)	
1. आंध्र प्रदेश .	40.00	32.00	3.46	8.397
2. असम . .	56.53	16.00	2.50	2.020@
3. बिहार . .	142.00	90.00	10.80	17.728
4. गुजरात . .	131.00	20.00	7.67	5.000
5. हरियाणा . .	30.00	60.00	1.52	12.000
6. हिमाचल प्रदेश .	2.13	2.00	0.50	0.325
7. जम्मू तथा काश्मीर .	9.50	..	1.84	..
8. केरल . .	31.40	20.00	2.45	2.500
9. मध्य प्रदेश .	109.00	30.00	10.06	5.810
10. महाराष्ट्र . .	89.00	100.00	16.90	24.963

1	2	3	4	5
11. मणिपुर . .	6.00	5.00	0.29	0.383
12. मेघालय . .	2.96	..	0.25	5.299
13. मैसूर . .	47.00	25.00	6.60	0.200
14. नागालैंड . .	2.00	1.50	0.12	0.200
15. उड़ीसा . .	27.00	30.00	3.23	6.600
16. पंजाब . .	125.00	70.00	3.07	13.720*
17. राजस्थान .	39.00	15.00	2.80	3.899
18. तमिलनाडु .	95.00	15.00	7.75	2.990**
19. त्रिपुरा . .	5.20	2.50	0.49	0.229
20. उत्तर प्रदेश .	500.00	100.00	20.60	20.750
21. पश्चिम बंगाल .	73.50	120.00	6.64	14.330
राज्यों का योग . .	1563.22	754.00	109.54	148.136
संघ राज्य क्षेत्रों का योग .	4.55		0.60	..
अखिल भारतीय योग .	1567.77	754.00	110.14	148.136

@ ट्रैक्टरों तथा शेयरों की खरीद के 32 लाख रुपये शामिल है ।

*सीमावर्ती क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण के लिये 197 लाख रुपये का अनुदान शामिल है।

**ट्रैक्टरों तथा शेशरों की खरीद के लिये 20 लाख रुपये शामिल है ।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के निकट बहुमंजिले टाईप IV के क्वार्टर

4118. **श्री ई० वी० विखेपाटिल**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल मार्कीट, नई दिल्ली में मन्दिर मार्ग के निकट बहुमंजिले टाईप IV के क्वार्टर कब तक तैयार हो जायेंगे; और

(ख) निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) 124 क्वार्टरों में से 32 क्वार्टर 31-3-1974 से पूर्व तथा शेष 92 क्वार्टर जुलाई 1974 के अन्त तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है।

(ख) पहले ठेकेदार को यह कार्य 8-2-1970 को सौंपा गया था, जिसे उसने ठेके सम्बन्धी झगड़े के कारण छोड़ दिया, ठेका समाप्त कर दिया गया, नये टेन्डर आमन्त्रित किये गये तथा यह कार्य एक नये ठेकेदार को 24-1-1973 को सौंपा गया । नये ठेके के अनुसार कार्य के पूरे होने का निश्चित समय 15 मास है तथा 32 क्वार्टरों के लिये 6 मास। सीमेंट तथा इस्पात की कमी के कारण भी इस कार्य की प्रगति में काफी रुकावट आई है तथा अब यह आशा है कि 32 क्वार्टर मार्च, 1974 तक और शेष जुलाई, 1974 तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

भुवनेश्वर तथा मैसूर में सरकारी प्रिंटिंग प्रैसों का कार्य

4119. **श्री ई० वी० विखेपाटिल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर और मैसूर को सरकारी प्रिंटिंग प्रैसों ने कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : अभी नहीं।

(ग) **भुवनेश्वर मुद्रणालय** : मुद्रणालय का मुख्य भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बिजली और पावर लगाने तथा पानी के नल लगाने का कार्य प्रगति पर है। इस मुद्रणालय में लगाई जाने वाली मशीनों के सम्बन्ध में मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात ने 9-11-1973 को सीमा शुल्क निकासी अनुज्ञप्ति जारी कर दी थी। पश्चिम जर्मनी दूतावास अब इन मशीनों को उस (जर्मनी) देश से समुद्री जहाज द्वारा लाने की व्यवस्था करेगा।

मैसूर मुद्रणालय : मुद्रणालय का मुख्य भवन तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

'टास्क-फोर्स' द्वारा प्रैसों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

4120. **श्री ई० वी० विखेपाटिल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद को लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसरण में प्रैसों की खामियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिये स्थापित 'टास्क फोर्स' ने किन किन सरकारी प्रिंटिंग प्रैसों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) उक्त पुनर्विलोकन के क्या परिणाम निकले;

(ग) उन प्रिंटिंग प्रैसों के नाम क्या हैं जिनका कार्य 'टास्क फोर्स' के पुनर्विलोकनाधीन है;

(घ) इन प्रैसों का पुनर्विलोकन कब तक हो जायेगा; और

(ङ) उक्त 'टास्क फोर्स' पर प्रतिमास कितनी धनराशि व्यय हुई?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 'टास्क फोर्स' ने (i) रिंगरोड, नई दिल्ली, (ii) मिन्टो रोड, नई दिल्ली (iii) फरीदाबाद (iv) शिमला, (v) नीलोखेड़ी (vi) अलीगढ़ (vii) टेम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता (viii) के० एस० राय, रोड, कलकत्ता (ix) संत्रागाची (हावड़ा), (x) कोराट्टी (केरल) (xi) नासिक, (xii) कोयम्बटूर (तमिलनाडु) के भारत सरकार मुद्रणालयों के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है।

(ख) भारत सरकार के मुद्रणालयों को कार्य पद्धति में निम्नलिखित कार्य के क्षेत्रों को त्रुटियों पर टास्क फोर्स की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और इन त्रुटियों को दूर करने के लिये उपचारात्मक उपाय सुझाये गये :—

(i) 6 माह से अधिक रुके पड़े बकाया जाब ।

(ii) यांत्रिक तथा बिजली की खराबी के कारण मशीनों का बेकार पड़े रहना।

(iii) फालतू पुर्जे खरीदना/पुरानी मशीनों को बदलना ?

(iv) कागज तथा अन्य मुद्रण और जिल्दसाजी के सामान की कमी।

(v) मुद्रण मशीनों के सम्बन्ध में तैयारी के समय में कमी।

(vi) मशीनों का उत्पादन

(vii) प्रशासनिक समस्यायें जिनका उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

(ग) तथा (घ) टास्क फोर्स द्वारा भारत सरकार के मुद्रणालयों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करना एक सतत कार्य है। पुनरीक्षण का दूसरा दौर भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद से आरम्भ किया गया है।

(ङ) इस टास्क फोर्स के बनाये रखने पर कोई खर्चा अलग से नहीं किया गया क्योंकि इसका गठन मुद्रण निदेशालय के अधिकारियों में से किया गया है तथा वे अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त इस कार्य को करते हैं।

कुल फसल वाले क्षेत्र की तुलना में भू-जल द्वारा सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता

4121. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल फसल वाले क्षेत्र की तुलना में भू-जल योजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना में भू-जल योजनाओं द्वारा सिंचाई के कार्य में तेजी लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो सिंचाई सम्बन्धी अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1970-71 के वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भूमिगत जल योजनाओं से सिंचित क्षेत्र देश में कुल फसल क्षेत्र का 8 प्रतिशत है ।

(ख) तथा (ग) जी हां। इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये जा रहे हैं उनमें ये शामिल हैं :—

(1) राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं में भूमिगत जल योजनाओं के लिये अधिक परिव्यय की व्यवस्था करना;

(2) भूमि विकास, सहकारी तथा व्यवसायिक बैंकों और कृषि पुनर्वित निगम आदि के जरिये संस्थागत ऋण देने के कार्य में तेजी लाकर भूमिगत जल योजनाओं के लिये उपाय करना;

(3) भूमिगत जल के अन्वेषण और विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिये राज्य में भूमिगत जल संगठनों को सुदृढ़ बनाना;

(4) कुओं और नलकूपों के निर्माण और परिचलन सम्बन्धी तकनीकी मानकों में सुधार और

(5) सिंचाई पम्पों के लिये बिजली के कनेक्शन देने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को तेज करना।

अधिक उपज कार्यक्रम वाले क्षेत्र में कीटनाशी औषधियों के लिये राजसहायता

4122. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन क्षेत्रों में जहां अधिक उपज कार्यक्रम चलाये गये हैं कीटनाशी औषधियों के लिये राजसहायता दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का विचार इन क्षेत्रों में विमानों से औषधियां छिड़कने का कार्य आरम्भ करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) जी नहीं। अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशी औषधियों की लागत के लिये आर्थिक सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, कृमियों तथा रोगों की स्थानिक महामारी के लिये अधिक उत्पादनशील किस्मों सहित सब फसलों के लिये कीटनाशी औषधियों की 50 प्रतिशत लागत के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य कीटनाशी औषधियों के लिये अलग अलग आर्थिक सहायता भी देते हैं।

(ग) जी हां। किसी फसल पर कृमियों तथा रोगों का आक्रमण होने पर राज्यसरकारें औषधियों का हवाई छिड़काव करती हैं और केन्द्रीय सरकार छिड़काव पर आने वाली लागत के लिये 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता देती है।

भारत सरकार के सभी प्रैसों में पर्यवेक्षक पद

4123. **श्री भालजीभाई परमार**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को सभी प्रैसों में श्रेणी - II के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच सभी सैक्शनों में अलग अलग पर्यवेक्षक पद (उदाहरणार्थ फोरमैन तथा सैक्शन होल्डर्स आदि) हैं;

(ख) क्या कुशल और अच्छे उत्पादन की दृष्टि से भी फोटोलिथो प्रैसों के प्रत्येक सैक्शन में पर्यवेक्षकों के पद अनिवार्य हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक सैक्शन के कार्य को कुशल बनाने हेतु कुछ व्यक्तियों को उत्तरदाई बनाने के लिये ऐसे पद उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन मुद्रणालयों में लेटर प्रैस खंड में फोरमैन तथा सैक्शन होल्डरों के पर्यवेक्षी पद हैं।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने मिन्टो रोड प्रैस के फोटो लिथो खण्ड का कार्य अध्ययन किया और कतिपय सिफारिशें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ, फोरमैन और कोटि-नियंत्रण इन्सपैक्टरों के पदों का सृजन करना तथा उत्पादकता बोनस देना शामिल है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। पदों के सृजन का प्रश्न तब उठेगा, यदि और जब उन सिफारिशों को स्वीकार तथा कार्यान्वियन किया जायेगा।

सीमांत कृषक खेतिहर मजदूर का कार्यकरण

4124. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में बीजापुर में सीमांत कृषक खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी द्वारा आरम्भ की गई 46 परियोजनाओं से 11,000 खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या अन्य राज्यों के बहुत से छिन्न भिन्न में भी ऐसी परियोजनायें की गई; और

(ग) यदि हां, तो उनका कार्य कैसा रहा;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेन्सी बीजापुर द्वारा इसकी स्थापना के समय से सितम्बर, 1973 के अन्त तक प्रारम्भ किये गये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के अन्तर्गत बेमौसम के पारिश्रमिक रोजगार से 13,553 अभिज्ञात कृषि श्रमिक तथा सीमान्त कृषक लाभान्वित हुये हैं।

(ख) तथा (ग) जी हां इस समय सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की 41 परियोजनायें चालू हैं। इनके अन्तर्गत एजेन्सियों द्वारा शुरू से सितम्बर, 1973 के अन्त तक प्रारम्भ किये गये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के अन्तर्गत, विभिन्न राज्यों में कुल 1,36,838 कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त कृषिकों को पारिश्रमिक रोजगार प्रदान किये गये हैं।

उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिये पृथक ब्यूरो

4125. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिये हाल ही में कोई पृथक ब्यूरो बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के कृत्य क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : सरकार ने उर्दू के विकास के लिये एक ब्यूरो का गठन किया है जिसके कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(1) तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करना और आधुनिक ज्ञान के प्रसार के लिये उर्दू में शैक्षिक साहित्य तथा अन्य प्रकार का साहित्य, जिसमें विज्ञान की पुस्तकें भी शामिल हैं, बाल साहित्य, संदर्भ पुस्तकों, विश्व कोशों और बुनियादी पाठ्यपुस्तकों इत्यादि का निर्माण करना।

(2) इस प्रकार के अन्य कार्य जो ब्यूरो को समय समय पर सरकार द्वारा सौंपे जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग की जोतों का राज्यवार ब्यौरा

4126. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश भारतीय किसान ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग में पाये जाते हैं जिनके पास 2 हैक्टेयर अथवा इस से कम जोत की भूमि होती है;

(ख) क्या 2 हैक्टेयर से कम जोतों की संख्या कुल जोतों की संख्या का 62 प्रतिशत है परन्तु कृषि की जाने वाली कुल भूमि के 20 प्रतिशत से भी कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुल जोतों की 2 हैक्टयर से अधिक वाली 38 प्रतिशत जोतों के अन्तर्गत 80 प्रतिशत ऐसी भूमि आ जाती है जिसमें कृषि की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो किस राज्य में ऐसी जोत सर्वाधिक हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16वें तथा 17वें राउण्ड के अनुसार जोत भूमि के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

5 एकड़ से कम और 5 एकड़ (अखिल भारतीय) से अधिक जोत भूमि के स्वामित्व का संचित प्रतिशतता वितरण

साइज श्रेणी	जोतों की संख्या (हजारों में)	संचित प्रतिशतता	क्षेत्र (हजार एकड़ों में)	संचित प्रतिशतता
5 एकड़ से कम	63655	75.37	61907	19.68
5 एकड़ से अधिक . . .	17534	24.63	252662	80.32

विवरण

भारतीय नमूना सर्वेक्षण के 16 वें राउण्ड के अनुसार 5 एकड़ से कम और 5 एकड़ से ऊपर वाली जोत भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवरण

(आंकड़े हजारों में)

राज्य	5 एकड़ से कम*	5 एकड़ से अधिक
1. आन्ध्र प्रदेश	5073	260
2. आसाम	1119	339
3. बिहार	6494	336
4. गुजरात	978	1009

राज्य	5 एकड से कम*	5 एकड से अधिक
5. जम्मू तथा काश्मीर	334	100
6. केरल	1608	137
7. मध्य प्रदेश	2444	2467
7. तामिल नाडु .	3881	754
9. महाराष्ट्र .	2142	1845
10. मैसूर	1601	1152
11. उड़ीसा	2034	638
12. पंजाब	2001	979
13. राजस्थान .	1410	1469
14. उत्तर प्रदेश	10709	2912
15. पश्चिम बंगाल .	3381	632
16. संघ क्षेत्र	234	85

*उन परिवारों को इस में शामिल नहीं किया गया है जिनके पास भूमि नहीं है या जिनकी जोत भूमि 0.005 एकड़ से कम है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर अश्रु गैस छोड़ा जाना

4127. **श्री सरजू पांडे**: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर हाल ही में अश्रु गैस छोड़ी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) 15-11-73 को एक भीड़ को तित्तर-बित्तर करने के लिये अश्रु गैस का प्रयोग किया गया था, जो पत्थर और शीशे की बोतलें फैंक रही थी तथा एक दूसरे पर लाठियों का प्रहार कर रही थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण/सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचा रही थी।

New Technique for Slaughter of Animals

4128. Shri M. S. Purty: Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) Whether the Mechanical Engineering Research Development Organisation has developed in new technique for the slaughter of animals; and

(b) if so, the specification thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) & (b) The information is being collected from the C. S I. R. and will be laid on the table of the Sabha in due course.

बिहार को उर्वरक सप्लाई में वृद्धि करने के लिए अनुरोध

4129. श्री एम० एस० पुरती :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बिहार राज्य के लिये उर्वरकों की सप्लाई में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1973-74 के रबी मौसम (अगस्त, 73--जनवरी, 74) के दौरान केन्द्रीय उर्वरक पूल से सप्लाई की स्थिति, निम्नलिखित कारणों से कठिन रही है---

(1) विश्व बाजार में उर्वरक की कमी तथा विदेशों से करार की गई मात्रा की तुलना में अपर्याप्त मात्रा की उपलब्धि;

(2) विश्व में जहाजों की कमी; और

(3) मुख्यत: अधिक खाद्यान्नों के आयात के फलस्वरूप बन्दरगाहों पर संचालन तथा परिवहन की कठिनाइयां।

1973-74 के रबी मौसम की प्रथम तिमाही, (अगस्त-अक्तूबर, 1973) के दौरान पूल से बिहार को लगभग 9282 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 1119 मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ की सप्लाई होनी थी। इसमें से वस्तुत: 4249 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 494 मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ की सप्लाई की गई। कठिन स्थिति होने के बावजूद भी, बिहार को अधिक से अधिक उर्वरक सप्लाई करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

कलकत्ता आस्ट्रेलिया नौवहन सम्मेलन द्वारा भाड़े में वृद्धि करने का प्रस्ताव

4130. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-आस्ट्रेलिया नौवहन सम्मेलन में जनवरी, 1974 से भाड़े में 20 प्रतिशत वृद्धि का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता-आस्ट्रेलिया सम्मेलन ने 1-1-1974 से भाड़े में 20 प्रतिशत सामान्य वृद्धि का प्रस्ताव किया था ताकि पिछली सामान्य वृद्धि से परिचालन लागत में बड़ी वृद्धि का सामना किया जा सके।

(ग) सरकार ने वृद्धि का विरोध किया है और सम्मेलन से कहा है कि परिचालन और राजस्व के बारे में विस्तृत आंकड़े देने के बाद अपने प्रस्तावों परणीत वणिकों से विचार विमर्श करें तदनुसार सम्मेलन ने ईस्टर्न इंडियन शिपर्स एशोसियेशन कलकत्ता से विचार विमर्श किया और 1-1-1974 से निम्नलिखित दर वृद्धि चालू करने के लिये राजी हो गया।

(1) कारपेट बैंकिंग कपड़ा.....16.5 प्रतिशत।

(2) कारपेट बैंकिंग कपड़े के अलावा जूट.....14 प्रतिशत।

(3) अन्य समस्त माल.....17 प्रतिशत

इस पर भी सहमति हुई कि जूते, इस्पात और सिलाई मशीन जैसे संवेदन शील वस्तुओं का विशेष विचार किया जाये।

दिल्ली के स्कूलों में आपत्तिजनक पाठों वाली पाठ्य पुस्तकें

4131. श्री जगन्नाथ मिश्र: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के स्कूलों की विभिन्न कक्षाओं के पाठ्य क्रम के लिये निर्धारित बहुत सी पाठ्य पुस्तकों में आपत्तिजनक पाठ हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) पुनरीक्षण समिति ने दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय स्कूल संगठन के स्कूलों के लिये निर्धारित 145 पुस्तकों की जांच की थी। समिति ने एक पुस्तक वापस लेने की सिफारिश की थी जिसे अब वापस ले लिया गया है। 23 पुस्तकों के पुनरीक्षण की सिफारिश की गई थी और 7 पुस्तकों में से कुछ सामग्री हटा देने के लिये कहा गया था। सम्बन्धित प्राधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अन्य प्रकार के स्कूलों में, जैसे कि कन्वेन्ट स्कूल जो कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्ध नहीं है, निर्धारित कुछ पुस्तकों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

'स्टेटस आफ आवर यूनियन' माला के अन्तर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित शीर्षक

4132. श्री जगन्नाथ मिश्र: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेटस आफ आवर यूनियन' माला के अन्तर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किये गये शीर्षकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन शीषकों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित कराने का विचार हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) भारतीय पुस्तक न्यास की 'स्टेटस आफ आवर यूनियन' नाम की कोई पृथक माला नहीं है किन्तु इसकी 'इंडिया दि लैंड एण्ड दि पीपल्स' माला के अन्तर्गत इसने अब तक असम, मैसूर, केरल, निकोबार द्वीपसमूह, अण्डमान द्वीपसमूह, राजस्थान तथा नागालैंड नाम की सात पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये शीर्षक कुछ प्रान्तीय भाषाओं में पहले से उपलब्ध हैं और अन्ततोगत्वा सभी भारतीय भाषाओं में अनुवादित हो जायेंगे। इन पुस्तकों का उद्देश्य साधारण पाठक के सामने इन राज्यों में रहने वाले लोगों की संस्कृति तथा परम्पराओं, प्रथाओं, भाषा, साहित्य, कला आदि के व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेना

4133. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लेने के मामले की क्या स्थिति है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : इंग्लैंड की सरकार से प्राप्त निर्वाचन के लिये मसौदा करार अभी तक विचाराधीन है।

दिल्ली स्कूल शिक्षक सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड के अधिकारियों को मूल कागजात उपलब्ध कराना

4134. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रैस में विज्ञापन देकर समिति के सदस्यों से शपथपत्र मांगने तथा दिल्ली स्कूल शिक्षक सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड दिल्ली की सदस्यता के सम्बन्ध में पूरा तथा संगत रिकार्ड और मूल कागजात उपलब्ध न होने के कारण, जांच पूरी कराने के लिये, सदस्यों के पास उपलब्ध कागजात से सहायता लेने और निर्वाचन कराने तथा समिति के कार्यों को विनियमित करने के लिये एक प्राधिकृत सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। दिल्ली प्रशासन द्वारा, सोसायटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के बारे में आरम्भ की गई जांच के लिये अत्यावश्यक पूरे अभिलेख प्राप्त करने हेतु सख्त कदम, जिनमें कानून के अन्तर्गत अनुज्ञेय कड़े उपाय भी शामिल हैं, उठाये जा रहे हैं। यदि, इस दिशा में दिल्ली प्रशासन के प्रयत्नों के बावजूद भी पूरे अभिलेख प्राप्त न हुये तो जांच अधिकारी उन अभिलेखों, जो वास्तव में उपलब्ध हैं, के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, ताकि निष्कर्षों पर कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

पंजाब को गेहूं का आवंटन

4135. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब ने केन्द्रीय पूल में अधिकतम गेहूं दिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब को कितना गेहूं आवंटित किया है;

(ग) क्या पंजाब सरकार यह अनुरोध कर रही है कि यह आवंटन उनकी आवश्यकता से कम है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की उपलब्धता, विभिन्न कमी वाले राज्यों की आवश्यकता, खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, बाजारों में चल रहे मूल्य, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध स्टाक तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय भण्डार से पंजाब सरकार तथा अन्य राज्यों को खाद्यान्नों के मासिक आवंटन किये जा रहे हैं।

विवरण

1973 के दौरान पंजाब सरकार को आवंटित गेहूं का किस्म

महीना	आवंटित मात्रा (हजार मी० टन में)
जनवरी	23.0
फरवरी	25.0
मार्च	25.0
अप्रैल	12.5
मई	10.0
जून	15.0
जुलाई	10.0
अगस्त	10.0
सितम्बर	10.0
अक्तूबर	10.0
नवम्बर	10.0
दिसम्बर	12.0

पंजाब का चीनी का कोटा

4136. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा पंजाब सरकार को आवंटित किये गये वर्तमान कोटे में चीनी की कितनी मात्रा हैं;

(ख) क्या पंजाब सरकार कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्र ने क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय पंजाब राज्य के लिये लेवी चीनी का मासिक आवंटन 6433 मी० टन है।

(ख) हाल ही में पंजाब सरकार ने उनके मासिक कोटे को बढ़ाकर 7,200 मीटरी टन करने के लिये अनुरोध किया था।

(ग) उनके अनुरोध को मानना सम्भव नहीं हुआ था क्योंकि सभी राज्यों के लेवी चीनी के कोटे 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों और 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान जबकि लेवी चीनी और खुले बाजार की चीनी के मूल्यों के बीच उल्लेखनीय अन्तर था, खपत की आदतों को ध्यान में रखकर युक्ति-युक्त आधार पर निर्धारित किये गये थे और फिलहाल लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

केवल घटिया धान के मूल्य पूर्ति के कारण

4137. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष घटिया धान का मूल्य 53 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसी अनुपात में धान की अन्य किस्मों के मूल्य नहीं बढ़ायें हैं और गत वर्ष के समान किस्मों के मूल्यों में अन्तर नहीं रखा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1973-74 के लिये मानक किस्म की धान का अधिप्राप्ति मूल्य पिछले वर्ष के 54 रु० प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य से बढ़ाकर 70 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अन्य किस्मों के लिये धान के मूल्य निर्धारित करते समय 1972-73 में चल रहे अन्तर ग्रेड के मूल्यांन्तर को सामान्यतया बनाये रखा गया है लेकिन उस दशा में ऐसा नहीं किया गया है जहां राज्य सरकार ने विभिन्न मूल्य का सुझाव दिया था।

गेहूं के निर्गम मूल्य (इश्यू प्राइस) को कम करने का प्रस्ताव

4138. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार किसानों से गेहूं 76 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदती है और उसे 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आगे दे रही है;

(ख) क्या सरकार को इसके प्रति पंजाब के साधारण किसान की प्रतिक्रिया का पता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निर्गम मूल्य को कम करने के विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) चावल और मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति और निर्माण मूल्यों में वृद्धि करने के फलस्वरूप खाद्यान्नों के आपसी मूल्यों में समता बनाये रखने, राज सहायता के भार और घाटे की अर्थव्यवस्था को कम करने के उद्देश्य से 76 रुपये के मौजूदा अधिप्राप्ति मूल्य के प्रति गेहूं की साधारण किस्मों का निर्गम मूल्य समान रूप से 90 रुपये निर्धारित किया गया है। पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मूल्य वृद्धि से उत्पादकों पर पड़ने वाले सम्भावी प्रभाव के बारे में सूचित किया है। कुल मिलाकर, देश की अर्थव्यवस्था के हित में निर्गम मूल्य में कोई भी कमी करने का विचार नहीं है।

विपणन तथा निरीक्षण विभाग द्वारा नई प्रयोगशालाओं की स्थापना

4139. **श्री समर गुह**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विपणन तथा निरीक्षण विभाग ने 1971 में (एक) कालीकट, बंगलौर, एल्लेपी और विशाखनगर में नई प्रयोगशालायें स्थापित करने, (दो) राजकोट, बम्बई, बंगलौर और गुन्टूर में प्रयोगशालाओं के लिये नई इमारतों का निर्माण करने, और (तीन) बम्बई, साहिबाबाद (दिल्ली); कानपुर और कोचीन स्थित वर्तमान प्रयोगशालाओं का विकास करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी प्रदेश को उक्त विकास एवं विस्तार परियोजनाओं की परिधि से बाहर रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वी प्रदेश के लिये स्वीकृत 12 पद वापस कर दिये गये हैं जबकि अन्य प्रदेशों में नये पद बनाये गये हैं, और स्थाई बनाये जाने के लिये अनुमोदित 400 से अधिक पद इसके बावजूद अस्थाई रह गये; और

(घ) यदि हां, तो क्या विपणन और निरीक्षण विभाग के कार्यकरण की जांच और उपचारी उपाय करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मार्च, 1972 में एगमार्क प्रयोगशालाओं के विस्तार के लिये मंजूर की गई योजना इस प्रकार है:--

(1) टूटीकोरिन, विरुथनगर, एलेपी, मंगलौर और कालीकट में पांच अतिरिक्त एगमार्क प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(2) बम्बई, मद्रास, कोचीन, गुंटूर, जामनगर, नागपुर और बंगलौर में स्थित सात वर्तमान प्रयोगशालाओं को दृढ़ करना।

(3) बंगलौर और दिल्ली में प्रयोगशालाओं के लिये स्थान अधिग्रहण करना?

(ख) पूर्वीक्षेत्र को इन विकास परियोजनाओं की परिधि से बाहर नहीं रखा गया है। पूर्वी क्षेत्र में पटना में चौथी पंचवर्षीय योजना में एगमार्क प्रयोगशालाओं की एक स्कीम के अन्तर्गत एक एगमार्क प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी और यह अगस्त 1969 से कार्य कर रही है।

नई प्रयोगशालाओं और बाद में मार्च 1972 में मंजूर की गई योजना के अन्तर्गत विस्तार के लिये स्थानों का चयन उस समय मौजूद और अनुमानित श्रेणीकरण के कार्य के भार पर आधारित था । पांच नई एगमार्क प्रयोगशालाओं के लिये टूटीकोरिन, विरुचनगर, एलेपी, मंगलौर और कालीकट के स्थान चुने गये थे। यह मसालों के श्रेणीकरण की सुविधायें के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। इन स्थानों पर मसालों के श्रेणीकरण की सुविधायें बढ़ाने का विचार है।

(ग) पूर्वी क्षेत्र के लिये मंजूर किये गये पद वापस नहीं किये गये हैं। स्थाई करने के लिये अनुमोदित किये गये कोई पद अस्थाई नहीं रहे। कई अस्थाई पद समय समय पर स्थाई बनाये गये हैं। इस विषय पर वर्तमान आदेशों के अनुसार लगभग 320 अस्थाई पदों को स्थाई घोषित करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

मणिपुर में वर्षा के कारण फसल की क्षति

4140. **श्री एन० टोम्बी सिंह**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है मणिपुर में नवम्बर 1973 के पहले सप्ताह में भारी वर्षा के कारण फसलों को भारी क्षति हुई है और यदि हां, तो कितनी क्षति होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार क्षति को पूरा करने के लिये पुनः बीजारोपण के उपायों पर विचार कर रही है;

(ग) किसानों की क्षति को पूरा करने के लिये किस प्रकार की सहायता दी गई है या देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार शीत ऋतु की फसलों की बुवाई सुविधाजनक बनाने के लिये मणिपुर की घाटी के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मणिपुर मेडिकल कालेज, इम्फाल के लिये भवन का निर्माण

4141. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर मेडिकल कालेज, इम्फाल के लिये प्रयोगशाला उपकरणों और भवन के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या प्रयोगशाला उपकरणों और अध्यापकों की नियुक्ति की धीमी प्रगति के कारण कालेज को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के काम में बाधा पड़ रही है;

(ग) यदि हां तो गौहाटी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) क्या मणिपुर सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि सैकण्ड ईयर के वर्तमान छात्र विश्वविद्यालय की अगामी परीक्षा में बैठ सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

झरिया कोयला क्षेत्र से कोयले की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन के वस्तुतः रूक जाने का समाचार

श्री बसन्त साठे (अकोला) : मैं **इस्पात और खान** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"झरिया कोयला क्षेत्र से कोयले की सप्लाई बंद हो जाने के कारण भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों में उत्पादन के वस्तुतः रुक जाने का समाचार।"

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : अध्यक्ष महोदय, सभी इस्पात संयंत्रों के लिये कोककर कोयले की दैनिक आवश्यकता.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों के पास मंत्री के वक्तव्य की प्रतिलिपि होगी।

श्री वसन्त साठे : यह वक्तव्य बहुत लम्बा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय इसे सभा-पटल पर रख दें।

श्री सुबोध हंसदा : श्री बसंत साठे के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

चालू वर्ष के लिए इस्पात के उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर सभी इस्पात कारखानों की कोककर कोयले की दैनिक आवश्यकता 36,600 टन है। इसमें से लगभग 22,000 टन उत्तम श्रेणी का कोयला, लगभग 11,300 टन मध्यम श्रेणी का कोयला और लगभग 3,300 टन मिश्रण-योग्य कोयला है। उत्तम श्रेणी का कोककर कोयला झरिया कोयला क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है और अधिकांशतः इस का उत्पादन उन कोयला खानों में होता है जिन का प्रबंध भारत कोकिंग कोल लि० के हाथ में है। उत्तम श्रेणी के कोककर कोयले की कुछ मात्रा का उत्पादन क्रमशः 'टिस्को' और 'इस्को' की कोयला खानों में भी होता है। मध्यम श्रेणी का कोककर कोयला अधिकतर बोकारो और कारगली कोयला क्षेत्रों से आता है। अधिकांश मात्रा में मध्यम श्रेणी का कोककर कोयला राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों से आता है जिसको कुछ महीने पहले कोयला खान प्राधिकरण (कोल माइंस अथारिटी) के साथ मिला दिया गया है। मिश्रण-योग्य कोयला रानीगंज क्षेत्र के दिशरगढ़ इलाके से, जो अब कोयला खान प्राधिकरण के अधीन है, प्राप्त होता है। इस समय इस्पात कारखानों में जो उत्तम श्रेणी और मध्यम श्रेणी का कोयला इस्तेमाल होता है उसे अधिकतर इस्पात कारखानों को भेजने से पहले साफ किया जाता है। उत्तम श्रेणी का कोककर कोयला दुगदा, भोजुडीह, पाथरडीह और लोडना की कोयला शोधनशालाओं, जिनका प्रबंध भारत कोकिंग कोल लि० के हाथ में है, जामादोबा शोधनशाला, जिसका प्रबंध 'टिस्को' के हाथ में है। चसनाला शोधन-शाला, जिसका प्रबंध 'इस्को' के हाथ में है तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखाने से संबद्ध शोधनशाला में साफ किया जाता है। मध्यम श्रेणी का कोककर कोयला अधिकांशतः करगली, काठारा और स्वांग शोधनशालाओं में साफ किया जाता है। इन शोधनशालाओं का प्रबंध राष्ट्रीय कोयला विकास निगम/कोयला खान प्राधिकरण के हाथ में है। कुछ कोयला पश्चिम बोकारो शोधनशाला, जिसका प्रबंध 'टिस्को' के हाथ में है, में भी साफ किया जाता है ।

2. इस्पात कारखानों की विभिन्न प्रकार के कोयले की सामान्य दैनिक आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं :—

(टन)

कारखाना	उत्तम श्रेणी	मध्यम श्रेणी	मिश्रण-योग्य	कुल
भिलाई . . .	5,800	3,500	700	10,000
राउरकेला	3,600	1,800	600	6,000
टिस्को . . .	4,200	2,100	700	7,000
बोकारो . .	2,760	1,840	—	4,600
दुर्गापुर	3,150	1,100	750	5,000
इस्को	2,400	1,000	600	4,000
जोड़	21,910	11,340	3,350	36,600

3. इस्पात उत्पादन के वर्तमान लक्ष्यों के लिए इस्पात कारखानों की 36,600 टन की कुल दैनिक आवश्यकता में से भिलाई, राउरकेला, टिस्को और बोकारो इस्पात कारखानों के लिए 27,600 टन तथा दुर्गापुर और इस्को के इस्पात कारखानों के लिए 9,000 टन का उत्पादन और शोधन भारत कोकिंग कोल लि० और कोल माइंस अथारिटी लि० के अधीन विभिन्न खानों और शोधनशालाओं को करना होता है और पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी रेलवे द्वारा ले जाया जाता है।

4. वर्ष 1972-73 में, जो इस्पात के उत्पादन की दृष्टि से सामान्यतः अच्छा वर्ष रहा है, सभी इस्पात कारखानों के पास कोयले की औसतन आवश्यकता का लगभग 7 दिन का स्टाक रहा है। कुछ मामलों में तो 7 दिन की आवश्यकता से भी अधिक स्टाक था। उदाहरण के लिए अप्रैल, 1972 में भिलाई के पास 1,58,000 टन का स्टाक था, भले ही भिलाई इस्पात कारखाना कोयले की सप्लाई के स्रोत सब से दूर हैं। दूसरे इस्पात कारखानों में भी स्टाक काफी अच्छा था।

5. इस्पात कारखानों में कोयले का पर्याप्त स्टाक रखना कई बातों पर निर्भर है जिनमें मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा उत्तम श्रेणी के कोककर कोयले और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम/कोयला खान प्राधिकरण द्वारा मध्यम और मिश्रण-योग्य कोयले का उत्पादन स्तर बनाए रखना ;

(ख) खाली रेल डिब्बों की पर्याप्त सप्लाई तथा रेल डिब्बों का कोयला खानों से कोयला शोधन-शालाओं तक क्रमिक संचलन ;

(ग) कोयला शोधनशालाओं का, जिनमें 5 का प्रबंध भारत कोकिंग कोल लि० के हाथ में है और 3 का प्रबंध राष्ट्रीय कोयला विकास निगम/कोयला खान प्राधिकरण के हाथ में है, कुशलतापूर्वक कार्य करना ;

(घ) रेलवे द्वारा कोयला शोधनशालाओं से साफ कोयला पर्याप्तमात्रा में तथा नियमितरूप से इस्पात कारखानों को पहुंचाना ; और

(ङ) इस्पात कारखानों में आये कोयले से भरे हुए डिब्बों से तेजी से कोयला उतारना और उन्हें दोबारा माल लाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कोयला शोधनशालाओं को वापिस भेजना।

6. कोयला शोधनशालाओं को अपरिष्कृत कोयला अंशतः रेलवे, अंशतः रज्जू पथ और अंशतः सड़क के रास्ते पहुंचाया जाता है। प्रतिदिन अपरिष्कृत कोयले के लगभग 900 डिब्बों का माल रेलवे द्वारा कोयला शोधनशालाओं को पहुचाया जाता है। 1600 डिब्बों का माल शोधनशालाओं और खान के मुहानों से इस्पात कारखानों को ले जाया जाता है। कोयला खानों, शोधनशालाओं और इस्पात कारखानों की सह-लग्नता के आधार पर गमनागमन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यह व्यवस्था कोयला खानों, शोधनशालाओं रेलवे और इस्पात कारखानों के दिन-प्रतिदिन के संपर्क के आधार पर की जाती है। इस सुव्यवस्थित सह-लग्नता के तरीके से भिन्न तरीका केवल आपातकालीन अवस्था में ही अपनाया जाता है।

7. अपरिष्कृत कोयला शोधनशालाओं को पहुंचाने और साफ किया हुआ कोयला इस्पात कारखानों को पहुंचाने के बारे में योजना बनाने के लिए दिसम्बर, 1972 से लेकर लगभग हर महीने कलकत्ते में बैठकें की गई हैं। इन बैठकों में इस्पात कारखानों, रेलवे , कोयला खानों और कोयला संशोधन शालाओं के उच्च अधिकारी तथा कोयला नियंत्रण भाग लेते रहे हैं। दिन-प्रतिदिन समन्वय करने तथा इन बैठकों में बनाए गए कार्यक्रमों को कार्यन्वित करने का काम कोयला नियंत्रक करता रहा है । सितम्बर, 1973 से लेकर एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के संयोजन में कलकत्ता में एक संयुक्त मानीटरिंग कक्ष भी खोला गया है। जिसका काम कोयला खानों, कोयला शोधनशालाओं, रेलवे और इस्पात कारखानों के बीच दिन-प्रति-दिन का संपर्क रखना है।

8. जैसा कि ऊपर बताई गई स्थिति से पता चलेगा कि कोयले की मात्रा तथा स्थानों की दूरी की दृष्टि से बड़ी समस्याओं तथा विभिन्न प्रकार की अन्य जटिलताओं के बावजूद इस्पात कारखानों को नियमित रूप से कोककर कोयले की सप्लाई करने के लिए कुशल तथा समन्वित व्यवस्था की गई थी। 30 नवम्बर, 1973 को लीवर चालकों और स्विच-चालकों के बीच कुछ झगड़े के पश्चात् पूर्वी रेलवे के धनबाद डिविजन में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। परिणामस्वरूप पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा कोयला खानों से कोयला शोधनशालाओं तथा कोयला शोधनशालाओं से इस्पात कारखानों को कोयला पहुंचाने का काम एकदम अस्त-व्यस्त हो गया। कार्य विस्थापन का समाचार मिलते ही इस्पात कारखानों को सचेत कर दिया गया और एहतियाती तौर पर उन से कोककर कोयले की खपत इस तरह करने के लिए कहा गया जिससे उनके पास पड़ा हुआ स्टाक यथासंभव अधिक समय तक चल सके। धनबाद डिविजन में काम बंद होने के बावजूद कोयला शोधनशालाओं तथा इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में इस्पात विभाग और रेलवे बोर्ड तथा कलकत्ता में रेलवे कर्मचारियों, भारत कोकिंग कोल लि०, कोयला खान प्राधिकरण और कोयला नियंत्रक आपस में लगातार परामर्श करते रहे। दिसम्बर से लेकर इस्पात कारखानों में कोक ओवन पुशिंग में कमी के परिणामस्वरूप यद्यपि कोयले की खपत में कमी की गई है, गर्म धातु, पिंड और तैयार इस्पात के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि परिणामस्वरूप दिसम्बर के पहले 9 दिनों में विक्रेय इस्पात के दैनिक औसतन उत्पादन में लगभग 7,000 टन की कमी ई है ।

9. सदस्यों को याद होगा कि अगस्त, 1973 के महीने में पूर्वी रेलवे के इसी धनबाद डिविजन में कुछ लोको कर्मचारियों द्वारा अचानक काम बंद कर देने के कारण लगभग ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिसके कारण उस समय भी कोक ओवन पुशिंग को कम करना पड़ा था। उस समय भी इस्पात कारखानों को न्यूनतम मात्रा में कोककर कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के साथ यथा संभव निकटतम संपर्क रखा गया था। मैं इस अवसर पर उन सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद न्यूनतम सप्लाई बनाए रखने में हमारा साथ दिया था।

10. सदस्यों को यह भी याद होगा कि अप्रैल, 1973 से लेकर पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर उन क्षेत्रों को जिनको दामोदर घाटी निगम से बिजली मिलती है, बिजली की सप्लाई में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली के उत्पादन में कमी से कोयला खानों के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इस से कोयला शोधनशालाओं के परिचलन तथा रेलवे ट्रेक्शन पर भी प्रभाव पड़ा। उस समय अधिकांश इस्पात कारखानों, विशेषतः दुर्गापुर और टिस्को, जो बड़ी मात्रा में दामोदर घाटी निगम की बिजली पर निर्भर है, के उत्पादन में कमी हुई थी। अक्तूबर और नवम्बर के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा कोककर कोयले के उत्पादन में भी कमी हो गई, जिस का कारण अन्य कारणों के साथ-साथ अचानक भारी वर्षा के पश्चात् बहुत सी महत्वपूर्ण खानों में पानी भर जाना, कुछ कोयला खानों में मालिक-मजदूर संबंध खराब होना तथा एक महीने में एक साथ बहुत से त्योहार तथा छुट्टिया आ जाना था।

11. सदन के सामने ये अप्रिय बातें रखते हुए मैं सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उत्पादन बनाए रखने के लिए रेलवे तथा इस्पात कारखानों और कोयला खानों के प्रबंधकों के प्रयत्नों में कोई कमी नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं जैसे ही कुछ रेलवे कर्मचारियों की गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाई के कारण संकट उत्पन्न हुआ था, वैसे ही इस्पात कारखानों ने तत्काल सभी संभव एहतियाती उपाय कर लिये थे। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि केवल यह एहतियाती उपाय उत्पादन की हानि को रोकने अथवा उपस्करों तथा लगी हुई मशीनों को गंभीर क्षति से बचाने की गारंटी नहीं है। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में और विशेषतः रेलवे यातायात में, जो कि इस्पात जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बनाये रखने के लिए अत्यावश्यक है, न आने पायें जिससे कुछ लोगों की गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाई के कारण सारी व्यवस्था ठप्प न हो जाए। मुझे विश्वास है कि इस बात में सारा सदन मेरे साथ है कि भविष्य में इस प्रकार की अचानक हड़तालें और गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाई की पुनरावृत्ति न होने पाए और अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदाराना और सहानुभूति-सूचक व्यवहार का वातावरण बना रहे ताकि इस्पात क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण तथा क्रांतिक क्षेत्रों में कार्य ठप्प न होने पाये।

श्री वसंत साठे : हमारे देश के सरकारी क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग में भी हड़ताल हो गई है। कुछ रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कोयला खानों, रेलवे और इस्पात संयंत्रों में उत्पादन ठप्प हो गया है। इसीलिए मैंने यह मामला उठाया है। मूल समस्या यह है कि इस देश में श्रमिक वर्ग के साथ उचित और स्वस्थ संबंध स्थापित करने के बारे में सरकार क्या दृष्टिकोण अपना रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रधान मंत्री ने कल कहा था कि यदि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सभी संसाधनों को पूरी तरह जुटाना होगा। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत संसाधन जन-शक्ति है। अतः जब तक सरकार जन-शक्ति का उपयोग करने के लिये उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाती तब तक इस्पात संयंत्रों के उत्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं हो सकती और किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से सरकार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो निहित स्वार्थों के दबाव में आ जाते हैं और सरकार

को श्रमजीवी वर्ग का दमन करने की नीति अपनाने की सलाह देते हैं। प्रादेशिक सेना अथवा किसी अन्य सेना का उपयोग करके किसी एक स्थान पर श्रमिकों का दमन किया जा सकता है परन्तु इस दृष्टिकोण से मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिये जब तक औद्योगिक श्रमिक संबंध सुधारने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार एक उद्योग में एक संघ की नीति बना रही है जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को गुप्त मतदान द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। क्या ये प्रतिनिधि प्रबंधक बोर्ड में होंगे? यदि सरकार का ऐसा विचार है तो हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि इस से श्रमिकों के मन में प्रबंध में भागीदार होने की भावना पैदा होगी, जोकि बहुत आवश्यक है। आज गरीब लोग महसूस करते हैं कि धनवान लोग दिन प्रतिदिन अधिक धनवान होते जा रहे हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि सरकार को श्रमजीवी वर्ग के प्रति अधिक यथार्थवादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जब रेलवे में हड़ताल होती है तो उसका अन्य अनेक उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कम होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस्पात और खान, रेलवे और परिवहन मंत्रालयों के बीच समन्वय का अभाव है। एक बार हमें यह बताया गया कि रेलवे में स्थिति बिल्कुल ठीक है। फिर बताया गया कि कोयले का उत्पादन बिल्कुल ठीक चल रहा है, रेलों में कोयले का लदान नहीं हो रहा है। अतः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि समन्वय न होने के कारण क्या हैं?

क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के संबंध में समूचय श्रमिक संबंधों पर पुनः विचार करेगी ताकि लोकतंत्रीय आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुने गये श्रमिक प्रतिनिधि प्रबंध में भाग ले सकें?

क्या वे सभा को आश्वासन देंगे कि वे सब काम परस्पर मिलकर करेंगे और एक समय-बद्ध संयुक्त कार्यक्रम बनायेंगे और उसकी क्रियान्विति के परिणाम सभा को बतायेंगे और यदि वे उस कार्यक्रम को लागू करने में असमर्थ रहते हैं तो त्याग-पत्र दे देंगे?

क्या वे वचन देते हैं कि वे उपक्रमों के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे जो उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति होंगे और उन्हें हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी सौंपेंगे?

क्या सरकारी क्षेत्र संबंधी कार्यवाही समिति ने भारत कोकिंग कोल कारपोरेशन और कोल माइंस एथारिटी के कार्यकरण पर विचार किया है और यदि हां तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और उनपर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सुबोध हंसदा : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि कोयला खानों में श्रमिक वर्ग द्वारा कोई गड़बड़ या तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं की गई। वास्तव में रेलवे के कुछ कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य करने के आंदोलन के कारण माल डिब्बों के आने जाने में कुछ बाधा पड़ी है। माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है। अगस्त मास में भी लोको कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया था। यह बात विशेष रूप से धनबाद में हुई। अब फिर केबिनमैन और प्वाइंटमैन के बारे में कुछ विवाद है और उन्होंने काम करना बन्द कर दिया है। धनबाद डिवीज़न में हड़ताल का कोयले की ढुलाई पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है क्योंकि यह कोयला खानों के क्षेत्र में है। यहीं से हम सभी इस्पात कारखानों को कोयला सप्लाई कर सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निहित स्वार्थ लोको कर्मचारियों का साथ दे रहे हैं और वे यह सिद्ध करना चाहते हैं राष्ट्रीयकरण इस देश के लिए खतरनाक है। यह संभव है कि कुछ राजनीतिक दल इन कर्मचारियों को

काम बंद करने के लिये उकसाते हों। यदि कोयले की ढुलाई नहीं होती तो इस्पात संयंत्रों में उत्पादन रुक सकता है। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और कोयले की खपत का समायोजन किया है। हम कोयला खानों के मुहानों से कोयला साफ करने वाले कारखानों तक और फिर वहां से इस्पात कारखानों तक कोयला पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। इन दिनों में भी इस्पात संयंत्र का उत्पादन निःसंदेह कम हुआ है परन्तु बिल्कुल बन्द होने नहीं दिया गया।

जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है यदि कोककर कोयले या साफ कोयले की सप्लाई बन्द हो जाती है तो इस्पात संयंत्रों को भारी क्षति पहुंच सकती है क्योंकि कोक भट्टी संयंत्रों को कुछ खास तापमान तक रखना ही पड़ता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
[Mr. Speaker in the Chair]

श्री बसन्त साठे : इस्पात संयंत्रों में अब कितने दिवसों के लिये स्टाक है?

श्री सुबोध हंसदा : कुछ संयंत्रों में सात दिन के लिये और कुछ में सात दिन से अधिक के लिए स्टाक हैं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र में, जोकि कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है, लगभग पंद्रह दिन के लिये स्टाक है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बताना चाहूंगा कि इस्पात मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच समन्वय है। वर्ष 1972 से लेकर लगभग हर महीने इस्पात संयंत्रों और रेलवे अधिकारियों तथा अन्य कोयला उत्पादक संस्थाओं के बीच कलकत्ता में बैठक होती है और वे हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि इस्पात संयंत्रों को कोककर कोयला और साफ किया हुआ कोयला सप्लाई होता रहे गत सितम्बर में हम ने रेलवे के कनिष्ठ अधिकारियों में से एक की अध्यक्षता में एक संयुक्त सैल स्थापित किया है और वह विभिन्न संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का प्रयत्न कर रहा है। वे विभिन्न इस्पात संयंत्रों को कोयला सप्लाई करने के लिये मालडिब्बे भेजने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक श्रमिक - प्रबंधक संबंधों की बात है, कोयला खान क्षेत्रों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमने एक मजूरी समझौता वार्ता समिति बनाई है जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। जहां तक कोयला खानों के कार्यकरण में दफ्तरशाही के हस्तक्षेप का संबंध हैं, मेरे विचार में इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता क्योंकि वे सी०एम०ए० नामक एक अलग संस्था के अधीन हैं।

***श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता विरोधी नीतियां अपनाये जाने के कारण ही इस प्रमुख उद्योग को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सरकार समाजवाद की बातें अवश्य करती है परन्तु व्यावहारिक रूप में एकाधिकारवादियों और पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करती है और पूंजीवादी व्यवस्था को ज़ारी रखना चाहती है। हमारे देश में वर्तमान आर्थिक संकट का कारण यही नीति है। विभिन्न मंत्रालयों में राष्ट्रीय नीतियों की क्रियान्विति में समन्वय का अभाव है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात के उत्पादन के संबंध में बड़े-बड़े अनुमान लगाये जा रहे हैं परन्तु वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि इस्पात के उत्पादन के संबंध में यह योजना पूर्णतया असफल रहेगी। नवीनतम अनुमानों के अनुसार इस्पात के उत्पादन में लगभग 3,50,000 टन की कमी होगी जिससे 52 करोड़ रुपये की हानि होगी।

***बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

दिनांक 9 दिसम्बर, 1973 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि बिजली के बल्ब आदि बनाने वाले उद्योगों ने मजदूरों को जबरन छुट्टी देने की इच्छा व्यक्त की है। गैस की कमी के कारण एक कारखाना बन्द हो चुका है जिससे हजारों श्रमिकों को जबरन छुट्टी पर जाना पड़ा।

इस्पात प्राधिकरण के चेयरमैन श्री एम० ए० वडूद खान ने बताया है कि दुर्गापुर तथा 'टिस्को' में गैस की अत्यन्त कमी है। इन कारखानों में न केवल कोयले की कमी है वरन बिजली की भी भारी कमी है।]

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें पता है कि इस्पात उद्योगों में बिजली की कमी तथा विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय की कमी के कारण इन उद्योगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है?

क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योगों को हुई भारी हानि को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन के लक्ष्य उतने रखे जायेंगे जितनों को प्राप्त किया जा सके?

क्या रेलवे कर्मचारियों को ही इस संकट के लिये दोषी बताना मूल कारण को छिपाना नहीं है? क्या इस्पात उद्योग में संकट उत्पन्न कराने के पीछे विदेशी पूंजीपतियों और निहित स्वार्थों का हाथ नहीं है? अतः क्या सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी?

अन्त में मैं जानना चाहता हूं कि पांचवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा इस्पात उद्योग के वर्तमान संकट को दूर करने के लिये मंत्री महोदय ने क्या कदम उठाये हैं तथा क्या-क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री सुबोध हंसदा : माननीय सदस्य ने दुर्गापुर परियोजना को कोयले की तथा कलकत्ता गैस की सप्लाई के बारे में बातें उठाई हैं। सरकार को इस बारे में जानकारी थी, तथा समय-समय पर आवश्यक कोयला सप्लाई करने के बारे में प्रयत्न किये जाते रहे हैं। मैं इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि कम माल गाड़ियां चलाए जाने के कारण कोयला खानों से कोयला नहीं उठाया गया तथा कारखानों तक नहीं पहुंच सका। रेलवे के कुछ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने से पूरे कोयले की ढुलाई नहीं हुई। कलकत्ता को गैस की सप्लाई न होने का भी यही कारण हैं।

इस वर्ष बिजली की कमी रही। फिर भी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा टाटा स्टील को दामोदर घाटी परियोजना से बिजली की सप्लाई की गई, जिससे उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई, अपितु 10-14 प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि हुई। जैसा कि सदन को ज्ञात है विशेषकर अप्रैल महीने में बिजली की भारी कमी होने के कारण कोयला खानों में पूरी क्षमता से कार्य नहीं किया जा सका। कोयले के उत्पादन में कमी के कारण कोयला धुलाई कारखानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। इसका इस्पात कारखानों पर भी प्रभाव पड़ा। इतने पर भी इस्पात कारखानों में तथा खानों में उत्पादन को कम नहीं होने दिया गया।

यह कहना सच नहीं है कि रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय आदि में समन्वय नहीं है। इनमें पूरा-पूरा समन्वय है तथा इसी कारण कोयला खानों से इस्पात कारखानों और कोयला धुलाई कारखानों को कोयले की सप्लाई जारी रखी गई।

श्री साठे ने प्रबंध में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठाया। उन्हें ज्ञात होगा कि सी०एम०ए० के निदेशक मंडल में श्रमिकों का प्रतिनिधि है। जहां तक विदेशी निहित स्वार्थों का संबंध है, ऐसा कोई तत्व नहीं है। वास्तव में देश में ही अनेक निहित स्वार्थ हैं जो सरकार को विफल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak): Sir, it is a matter of great concern that due to the shortage of coal there has been shortfall in the production of Durgapur Steel Plant. Government shirk their duties holding vested interests responsible for all their failures. If hon. Minister thinks that certain political parties are involved in such anti-social activities he should have courage to mention those political parties. Many I know what steps have been taken to deal with such anti-social elements and vested interests ? May I also know whether Government had received a notice regarding the stoppage of work in Dhanbad and if so, what preventive measures were adopted by the Government to forestall any effect on Durgapur Steel Plant?

If the information regarding the sufficient stock of coal given by the hon. Minister is correct, may I know the reason for shortfall in production from the very date on which strike was started? The present situation is quite strange. At certain places, wagons are not available for the transportation of coal and at certain other places, their is no coal for running trains. For the creation of such abnormal situation, political parties can no t be held responsible.

I would like to know from the hon. Minister the extent to which Durgapur Steel Plant has suffered a loss and whether he himself went to the spot and studied the situation? May I also know whether Government have taken any special steps to ensure proper supply of coal to the steel plants and power plants after the nationalisation of coal mines? Haryana Government has issued instructions to the Kiln owners entitling them to bring coal by themselves. They will sell half of their coal in open market and half at control rate. It would certainly led to corruption. It has been done by the Government to get financial assistance for U.P. elections.

श्री सुबोध हंसदा : माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कर्मचारियों ने धनबाद को ही मालगाड़ियां न भेजने का क्यों फैसला किया। वह जानते हैं कि सरकार को इस सेवा को ठप करके हानि पहुंचाई जा सकती है।

सरकार को रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की कोई जानकारी नहीं थी। सरकार को हड़ताल के बारे में जानकारी मिली तो सरकार ने इस्पात कारखानों में कोयले की खपत को 36,000 टन से घटाकर 24,000 टन करने का निर्णय किया। यह सच है कि उत्पादन में कुछ कमी हुई है। उत्पादन में दैनिक औसत कमी लगभग 7,000 टन की हुई है। अब चूंकि हड़ताल समाप्त हो गई है अतः इस्पात संयंत्रों के लिये अपेक्षित कोयले में कमी नहीं होगी।

सड़क परिवहन से भी कुछ कोयला इन इस्पात कारखानों को सप्लाई किया जाता है। हड़ताल की अवधि में भी निकटतम इस्पात कारखानों को सड़क परिवहन से कोयला भेजने का प्रयत्न किया गया है।

Shri Prabodh Chandra (Gurdaspur): The argument put forward by the hon. Minister are quite weak. Now, people of the country cannot be befooled by saying that certain political parties and C.I.A. are involved in paralysing the functions of the Government. If there are certain elements engaged in such anti-social activities, Government can easily deal with them with the help of police and the C.B.I.

If Government are unable to face and do away with these elements, if any, they should give a chance to others to rule the country. Actually, the officers entrusted with the management of the Industries taken over by the Government have no faith in the socialistic programmes but they have faith in capitalistic deology. Government should, therefore, prepare a special cadre for such posts in the public sector undertakings.

I would like to point out that during the last three years, steel production has considerably increased in every country of the world except India. Russia produced 129 million tonnes of steel and America produced 120 million tonnes of steel, while in India we produced only 6.6. million tonnes of steel against our rated capacity of 9 million tonnes. How it is that TISCO has not been affected ? I would like to suggest, in this context, that all the plants in India should be run efficiently and effectively. I feel that mere slogans and emotional apporach would not attract the people. They would take into account the achievements made by the Government. I would also like to suggest that, the stock should be cnhanced and the workers should be given sympathetic treatment.

श्री सुबोध हंसदा : माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि 'टिस्को' पर माल डिब्बों की कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसने 86 प्रतिशत अधिस्थापित क्षमता प्राप्त करली है जो इन दिनों घट कर लगभग 80 प्रतिशत रह गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र में शतप्रतिशत क्षमता से भी अधिक उत्पादन हुआ है। बोकारो इस्पात संयंत्र के चालू होने के कारण कोकिंग कोल की अतिरिक्त मांग हुई है। जो सुझाव दिये गये हैं उन पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : सरकार देश में कोयले की समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकी। अनेक उद्योगों को इस कारण गंभीर स्थिति का मुकाबला करना पड़ रहा है। मेरे नगर में न्यू जहांगीर वकील मिल्स बन्द होने वाली है तथा अगामी दो-तीन दिनों में 2,500 मजदूर बेकार हो जाएंगे। भावनगर पाबर हाउस में भी यही स्थिति है। मंत्री महोदय ने इस संबंध में जो कारण बताये हैं वे नितांत भ्रामक और सारहीन हैं। सरकार ने कोयले के वितरण की योजना पर बहुत कुछ कहा था किन्तु वह इसकी क्रियान्विति के बारे में नितांत असफल रही है। रेलवे मंत्रालय ने बार-बार कहा है कि मालडिब्बों की कोई कमी नहीं है। कोयला प्राधिकरण कहता है कि कोयले की कोई कमी नहीं है किन्तु हमें माल डिब्बे नहीं मिलते। जब न कोयले की कमी है और न माल डिब्बों की, तब देश में कोयले की समस्या क्यों उत्पन्न हुई ? क्या मंत्री महोदय अपनी समन्वय व्यवस्था के कार्यकरण से संतुष्ट हैं ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारतीय तेल निगम की भांति कोयले के वितरण के लिये कोई व्यवस्था करना चाहती है ?

कोयले से चलने वाले उद्योगों को कोयला सप्लाई करने के लिये लगभग 10,000 माल डिब्बों की आवश्यकता है। सरकार इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

सरकार कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों को खाद्यान्न सप्लाई करने में विफल रही है, जिससे श्रमिकों ने प्रदर्शन और हड़तालें कीं और सरकार ने उन पर गोली चलवाई। धनबाद में पांच व्यक्ति मारे गये। अतः सरकार श्रमिकों के विद्यमान असंतोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

कोयला खान प्राधिकरण, इस्पात और खान तथा रेलवे मंत्रालयों में समन्वय रखने के लिये विद्यमान व्यवस्था की असफलता को ध्यान में रखते हुए, सरकार कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्री सुबोध हंसदा : समन्वय के बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं तथा मैं उक्त व्यवस्था से संतुष्ट हूं।

कपड़ा मिल और बिजलीघर के बन्द होने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि मुझे इन बातों की सूचना मिलेगी तो मैं अवश्य उस बात की जांच करूंगा तथा पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिये कदम उठाये जाएंगे। जहां तक माल डिब्बों और कोयले की कमी का संबंध है, मुझे इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब अगले विषय पर विचार किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय ! राशन में मिलने वाली वस्तुओं के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। क्या आप इस पर मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय ! मैंने जालंधर में आलू उत्पादकों के बारे में भी एक सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मुझे उचित सूचना मिलनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने लिखित में सूचना दी है। आप कृपया भारतीय मंत्रियों से वक्तव्य देने के लिये कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अवश्य।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

लोक सभा के उपाध्यक्ष, श्री जी० जी० स्वैल के विरुद्ध मेघालय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया विशेषाधिकार प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : मुझे लोक-सभा के उपाध्यक्ष श्री जी० जी० स्वैल के विरुद्ध मेघालय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपे गये विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में कुछ सदस्यों की ओर से विशेषाधिकार के प्रस्तावों की सूचना मिली है। इस आधार पर श्री वी० पी० साठे, श्री बी० के० दासचौधरी, श्री स्टीफन और श्री श्यामनन्दन मिश्र ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : किसके विरुद्ध ?

अध्यक्ष महोदय : मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध। मुझे मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष की ओर से भी एक तार मिला है जिस में उक्त प्रस्ताव के उनकी विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने की सूचना दी गई है।

ये चार प्रस्ताव हैं। क्या सभी सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैंने इसी मामले पर नियम 377 के अन्तर्गत सूचना दी थी। मुझे भी इस पर बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत भी दो सूचनाएं दी गई हैं।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : मैं नियम 222 के अंतर्गत मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष श्री राधन सिंह लिंगडोह के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन और सभा के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना देता हूं।

दिनांक 9 दिसम्बर 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि लोक-सभा के उपाध्यक्ष द्वारा मेघालय विधान सभा की कार्यवाही को तोड़े मरोड़े जाने के लिये विधान सभा के विशेषाधिकारों के हनन के प्रस्ताव को वहां के अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति को सौंपा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रो० स्वैल का यह कहना गलत है कि मेघालय सरकार ने जुलाई के सत्र में विपक्षी दल की इस सर्व सम्मत मांग को अस्वीकार कर दिया है कि छोटे किसानों और धान के व्यापारियों को करों से छूट दी जाए।

'हिंदुस्तान टाइम्स' में यह प्रकाशित हुआ है कि श्री जी० जी० स्वैल द्वारा सभा के विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन किये जाने के बारे में मेघालय विधान सभा में प्रस्ताव पेश करते हुए यह आरोप लगाया गया है कि श्री स्वैल ने मेघालय वित्त अधिनियम के अधिनियमित किये जाने के संबंध में विधान सभा की कार्यवाही को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है।

विशेषाधिकार भंग के मामले की विषय-वस्तु श्री जी०जी० स्वैल द्वारा आल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस के महा-सचिव को लिखे गये अपने 2 अक्तूबर के पत्र में दी गयी है जिसमें यह भी बताया गया है कि इसके अतिरिक्त इस वर्ष अपने मार्च-अप्रैल अधिवेशन में मेघालय वित्त अधिनियम को विधान सभा में पारित कर और इस वर्ष जुलाई के अधिवेशन में मेघालय विधान सभा में विपक्षी दलों की इस सर्व-सम्मत मांग को, कि मेघालय के छोटे-छोटे फार्मों और व्यापारियों को कृषि तथा क्रय कर से मुक्त रखा जाये अस्वीकार करके राज्य सरकार ने सारा बोझ जनता पर डाल दिया है।

इस संबंध में आपत्ति यह की गयी कि विपक्षी दलों द्वारा इस संबंध में सर्वसम्मत मांग नहीं की गयी थी तथा यह एक गलत वक्तव्य है चाहे यह सर्वसम्मत मांग थी या कुछ लोगों ने इस का विरोध किया था। तथ्य तो यह है कि विधेयक पारित हो गया (**व्यवधान**) फिर भी मेघालय के अध्यक्ष ने यह कहा है कि चूंकि सदन में दोनों 'पक्षों' ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, इस लिये वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप रहे हैं।

इससे हमारे संघीय ढांचे में सदनों के परस्पर संबंधों के बारे में बहुत ही आधारभूत प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि हम यह निर्धारित नहीं कर देते कि हमारे देश में वास्तविक विधि और संसदीय कार्यकरण की प्रक्रिया क्या है, तो इससे असाधारण स्थिति पैदा होने की संभावना है। आज मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष ने लोक सभा के उपाध्यक्ष को बुलाया है भविष्य में लोक सभा के अध्यक्ष को भी बुलाया जा सकता है। या यह भी हो सकता है कि हमारा ही सदन किसी राज्य विधान सभा के अध्यक्ष को विशेषाधिकार संबंधी कार्यवाही के संबंध में बुला भेजे तथा इस प्रकार गंभीर परिणाम हो सकता है। 1955 में ही इस प्रकार का विशेषाधिकार राज्य सभा के संबंध में उत्पन्न हुआ था। इस मामले को श्री एन० सी० चटर्जी ने उठाया था तथा इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया था और संयुक्त समिति ने एक प्रक्रिया-विशेष की सिफारिश की थी।

समिति ने कहा था कि वह चाहती है कि जिस प्रक्रिया का भी निर्णय किया जाये वह ऐसी होनी चाहिये जिससे दोनों सदनों में एक दूसरे को समझने की भावना सामंजस्य तथा सद्भावना हो तथा यह प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिये कि दोनों सदनों में संभावित संघर्ष अथवा वमनस्य उत्पन्न न होने दिया जाये तथा साथ ही दोनों सदनों का सम्मान तथा स्वतन्त्रता पूर्णतया सुरक्षित रखी जा सके। समिति ने संवधान के अनुच्छेद 103 को उद्धृत किया जिसके अन्तर्गत संसद् के प्रत्येक सदन तथा उनके सदस्यों तथा प्रत्येक सभा की समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां वही होंगी जिन्हें समय समय पर कानून बना कर संसद परिभाषित् करेगी और जब तक उन्हें परिभाषित नहीं किया जाता तब तक ये वही होंगी। जो संविधान के लागू होने के समय ग्रेट ब्रिटेन के हाऊस आफ कामन्स तथा उसके सदस्यों तथा समितियों की हों।

समिति का यह कहना है कि जब किसी सदन के सदस्य अथवा अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अन्य सदन का विशेषाधिकार भंग अथवा अपमान करने का आरोप करने संबंधी मामला हो तो निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाय : जब किसी सदन में विशेषाधिकार भंग का कोई ऐसा मामला उठाया जाये जिसमें दूसरे सदन का कोई सदस्य या अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हो तो उस सदन के पीठासीन अधिकारी को वह मामला दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी को प्रेषित करना चाहिए बशर्ते कि उस सदस्य को सुनने के पश्चात् जिस ने यह मामला उठाया हो तथा दस्तावेजों को देखने के पश्चात् वह संतुष्ट नहीं हो जाते कि विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है और यह विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिस पर ध्यान दिया जाये। यदि वह सन्तुष्ट हो जाते हैं कि विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं है तो वह ऐसा कर सकते हैं कि विशेषाधिकार के उल्लंघन के प्रस्ताव को अनुमति न दें। इस सिद्धांत को 1957 में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। असम विधान मंडल ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। यह तो हो नहीं सकता कि मेघालय विधान सभा को इसका पता न हो।

एक अन्य सुस्थापित प्रक्रिया यह है कि मेघालय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति से उपाध्यक्ष को नोटिस मिलने के पश्चात् उन्हें उस समिति के सामने पेश होना पड़ेगा। लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने 1958 में इस प्रश्न पर विचार किया था और उसने 25 नवम्बर 1958 को सदन में प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि सदन को अपने किसी भी सदस्य को बिना अनुरोध किये जाने के तथा बिना उस सदस्य की सहमति के जिसकी उपस्थिति अपेक्षित हो संसद के दूसरे सदन तथा उसकी समिति के सामने साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही संसद के किसी अन्य सदन अथवा किसी समिति से प्राप्त अनुरोधों में सदस्य की वांछित उपस्थिति के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कोई भी सदस्य सदन की पूर्वानुमति के बिना किसी भी सदन, उसकी किसी समिति राज्य विधान मंडल के किसी सदन और उसकी किसी समिति के समक्ष साक्ष्य नहीं दे सकता।

दुर्भाग्यवश, मेघालय राज्य का विधान मण्डल इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करके इस मामले से अन्तर्ग्रस्त हो गया है। इस प्रकार मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति को यह मामला सौंप कर इस सदन के विशेषाधिकार को भंग किया है। चूंकि हम नहीं चाहते कि कोई संकट पैदा हो, अतः अध्यक्ष महोदय को चाहिये कि वह मेघालय की विधान सभा के अध्यक्ष को यह

सभी बातें बता दें । यदि वह इन बातों के बताने के पश्चात् स्वयं को सुधार लेते हैं, तो इस बात को यहीं समाप्त किया जाना चाहिये और यदि वह ऐसा नहीं करते और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो इस विषय में यथा विधि कार्यवाही की जायेगी । हमें पूरी गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये, ताकि हम इस सभा में कोई बुरी परम्परा न स्थापित कर लें ।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मैं श्री साठे द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि इस मामले पर इस गौरवपूर्ण सदन में विचार किया जाना चाहिए मेरे विचार में यह इस गौरवपूर्ण सदन के अवमान का मामला है । मेघालय विधान सभा में यह विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य ने इस सभा का अवमान किया है ।

श्री ए० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या सदन के लिये यह कहना ठीक है कि राज्य विधान मण्डल के कसी सदस्य ने अपने सदन में बोलते हुये कोई अपराध किया है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये ? मेरे विचार में संसद के सदस्यों तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को अपने विचार व्यक्ते करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये । मुझे मेघालय विधान सभा द्वारा इस प्रकार की कुछ बातों के करने तथा इस सभा में कही गयी कुछ बातों से दुःख हुआ है । जो कुछ श्री दास चौधरी ने कहा है वह समस्त संसदीय कार्यवाहियों की भावना के विपरीत जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस सम्बन्ध में न तो कुछ कहा है और न ही एक दम मेरा कोई विचार बन पाया है । यह प्रक्रिया सही है अथवा नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आपको कहना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, लेकिन अन्त में जब सदस्य महोदय अपनी बात कह लेंगे, तो बाद में मैं कहूंगा ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं विशेषकर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 352 का उल्लेख करना चाहता हूं । इसमें हमारे सदन तथा इस सदन के सदस्य के बारे में बताया गया है । मैं इस विधान सभा के किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता । मैं इस सभा के किसी माननीय सदस्य तथा राज्य विधान सभा के किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं कहना चाहता । अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की स्थिति को संविधान के द्वारा गारन्टी दी हुई है । विधान सभा ने श्री स्वैल का, जो लोक सभा के उपाध्यक्ष भी हैं, नाम लिया है । यह बेहतर होगा कि हम इस मामले को सदैव के लिए ही निपटा दें । इस सदन में तथा राज्य विधान मण्डल के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिये ।

यह एक सर्वविदित परम्परा है कि जब भी संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद का अथवा किसी अन्य राज्य के विधान मण्डल के किसी सदस्य द्वारा संसद का अथवा किसी अन्य राज्य के विधान मण्डल का अवमान अथवा विशेषाधिकार भंग किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी उस विधान मण्डल के पीठासीन अधिकारी को मामला भेज देता है जिसका वह सदस्य होता है और यह पीठासीन अधिकारी उस सदस्य के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे उसके द्वारा उसी सदन का अवमान करने पर किया जाता है । अब मैं देख रहा हूं कि मेघालय विधान सभा ने इस परम्परा का पालन नहीं किया है । अतः अध्यक्ष महोदय को यह मामला मेघालय विधान सभा को भेजना चाहिये तथा से सदैव के लिये निपटा दिया जाना चाहिये ?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवट्टुपुजा) : एक दो बातें ऐसी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिये । एक तो यह है कि लोक-सभा के उपाध्यक्ष को मेघालय की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने के लिये बुलाया गया है । किन्तु यहां पर यह परम्परा है कि सदन का कोई भी सदस्य किसी अन्य सदन अथवा उसकी किसी समिति के समक्ष साक्षी के रूप में पेश नहीं होगा ।

दूसरी बात यह है कि कानून, प्रक्रिया आदि जिसका यहां अथवा ग्रेट ब्रिटेन में पालन किया जा रहा है, वह यह है कि किसी सदन विशेष के सदस्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार वहीं होगा जहां पर अपराध किया गया है । इसी सिद्धान्त के आधार पर विशेषाधिकार समिति ने नियम बनाये हैं तथा यह परम्परा रही है कि यदि विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव की एक सदन में अनुमति दी गयी है तो मामला उसी सदन को भेजा जाना चाहिये जिसका वह सदस्य हो । इस सदन का अपने सदस्य के सम्बन्ध में एकछत्र अधिकार का मेघालय की विधान सभा की कार्यवाही में उल्लंघन किया गया है । अतः यह केवल सदस्य के अवमान का प्रश्न नहीं है, प्रत्युत इस सारे सदन के क्षेत्राधिकार का भी उल्लंघन है ।

यह एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि इससे एक विधान सभा सम्बद्ध है । यह बेहतर होगा कि प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा विशेषाधिकार समिति को मामला भेजने की बजाये अध्यक्ष महोदय को चाहिये कि वह इस मामले को मेघालय विधान सभा के पास भेजें तथा इस प्रकार की प्रक्रिया का निर्माण करें, जिसके अन्तर्गत इस सदन के उपाध्यक्ष को किसी अन्य समिति के सामने पेश न होना पड़ें । यदि मेघालय की विशेषाधिकार समिति इस सदन के उपाध्यक्ष के नाम समन जारी कर दे तो यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी । अतः यह निश्चय ही इस सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन है । कुछ ऐसा तरीका बनाया जाना चाहिये कि जिससे मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष को प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की जानकारी दी जा सके, ताकि कोई संघर्ष न हो और इस सभा के क्षेत्राधिकार को सुरक्षित रखा जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्यामनन्दन मिश्र का भी एक प्रस्ताव है । यह अन्य प्रस्तावों से इस तरह से भिन्न है कि उन्होंने मेघालय विधान सभा द्वारा लोक सभा के अवमान का प्रश्न उठाया है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैंने एक 'शिकायत' सम्बन्धी मामले को उठाने के लिये आपकी अनुमति मांगी थी । यदि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है तो ऐसा करके यह सदन अन्य सदन का अवमान करेगा । इसी लिये मैंने ऐसा करने के लिये नहीं कहा है । मैं मेघालय विधान सभा द्वारा इस सभा का अवमान किये जाने का प्रश्न उठाना चाहता हूं । हमारे सामने दो तथ्य हैं: एक तथ्य तो यह है कि इस मामले को मेघालय विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है । ऐसा न तो हमारे द्वारा पालन की जा रही परम्पराओं के अनुसार है और न ही संविधान के अनुच्छेद 105(3) और अनुच्छेद 194(3) के अन्तर्गत किया जा सकता है । दूसरा तथ्य यह है कि आपको तार उस समय भेजा गया जबकि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा चुका है । यदि तार इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने से पूर्व भेजा गया होता, तो दूसरी सभा के विरुद्ध अवमान का कोई मामला ही न बनता ।

संविधान के अनुच्छेद 105(3) के अनुसार, जब तक हमारी शक्तियां, अधिकार और विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां समय समय पर पारित कानूनों द्वारा संहिताबद्ध नहीं कर दी जातीं, तब तक वे ब्रिटेन के 'हाउस आफ कामन्स' की परम्पराओं के अनुसार बनी रहेंगी । जहां तक किसी राज्य के

47 LSS/73—11

विधान मण्डल की शक्तियों, अधिकारों तथा उन्मुक्तियों का सम्बन्ध है, उनका इसी से सम्पर्क जोड़ा जाता रहेगा । वही नियम हमारी संसद और राज्य विधान मण्डल के बीच सम्बन्धों के हेतु लागू किये जाने चाहियें जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों के सम्बन्धों हेतु लागू किये जाते हैं । अतः सम्बद्ध सांविधानिक उपबन्धों की व्याख्या के मामले में वे सांविधानिक एवं दोनों सदनों की परम्परायें राज्य विधान मण्डल और हमारी संसद पर भी लागू होंगी जैसाकि ग्रेट ब्रिटेन में संसद के दोनों सदनों के बार में लागू होती हैं ।

किसी विधान मण्डल का, जहां शिकायत की गयी है, पहला कर्त्तव्य यह होता है कि मामले की जांच की जाये और तत्पश्चात् उस साक्ष्य का विवरण उस सभा के समक्ष पेश करे जिस सभा के सदस्य के बारे में शिकायत की गयी हो । उस सभा में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती जिसमें दूसरी सभा के सदस्य के बारे में शिकायत की गयी हो । कार्यवाही उसी सभा द्वारा की जानी होगी जिस सभा का वह सदस्य है । यह बड़ा सी स्वस्थ सिद्धान्त है । ऐसा अवश्य ही होना चाहिये ।

यदि दूसरी सभा के विशेषाधिकार को भंग किया गया है, तो हमें उसे अपनी सभा के विशेषाधिकार का भंग होना मानना पड़ेगा । उस सभा ने इस मामले की जांच करके उस साक्ष्य को सभा में रखने के अपने प्राथमिक कर्त्तव्य का पालन नहीं किया हैं । अतः, यह संविधान के अनुच्छेद 105(3) का उल्लंघन है । संविधान के अनुच्छेद 105(3) के अन्तर्गत हमें वही विशेषाधिकार, शक्तियां तथा उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो हाउस आफ कामन्स को प्राप्त हैं । उन सांविधानिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । मेरा यही कहना है कि अवमान किया गया है ।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्य विधान मण्डल तथा संसद के बीच निटक सम्बन्ध बना रहे । अनुच्छेद 105(3) के अनुसार और इस देश में बनायी गयी परम्पराओं और प्रथाओं के अनुसार तथा संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुये यदि हमारी लोक सभा का अवमान किया गया है, तो अपको उन परम्पराओं की, जिनका उल्लंघन किया गया है, जांच करनी चाहिये और जांक करने के पश्चात् साक्ष्य को सभा के समक्ष रखना चाहिये । मैं इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिये नहीं कह रहा हूं ।

इस बात में किसी प्रकार का भी सन्देह नहीं रहना चाहिये कि हम अन्य सदन के वैध अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहते । किन्तु चूंकि संविधान इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए मेरे विचार में अन्य सदन की समझ में यह बात आ जायेगी कि उसने वास्तव में हमारी सभा का अवमान किया है ।

श्री सेझियान : नियम 377 के अन्तर्गत मैंने भी सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमें उन सभी पर विचार करना होगा ?

श्री सेझियान : मैं सभा के समक्ष एक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं 377 के अन्तर्गत अपनी सूचना देने के बारे में बहुत ही सतर्क रहा हूं । मैं चाहता हूं कि यह सभा इस गम्भीर मामले पर तुरन्त ध्यान दे ।

अन्य प्रस्तावों की सूचनायें नियम 222 के अन्तर्गत दी गयी हैं । इस सम्बन्ध में, मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेघालय विधान सभा में एक प्रस्ताव लाया गया और पारित किया गया । मैं उस सदन की अथवा अन्य विधान मण्डल या इस प्रश्न के गुण-दोषों की आलोचना नहीं करना चाहता । मैं प्रस्तावक अथवा अध्यक्ष के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह उस विधान मण्डल की चिन्ता का विषय है ।

इस समय हम मेघालय की विधान सभा में एक संसद सदस्य के विरुद्ध रखे गए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। लगभग दो वर्ष पूर्व भी ऐसी ही घटना हुई थी परन्तु तब तामिलनाडु विधान सभा से अध्यक्ष ने आपकी सलाह मांगी थी जो उन्होने स्वीकार कर ली थी ।

अतः इस मामले में मेघालय विधान सभा में जो हुआ है उस पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिये । हमें तो यह देखना है कि क्या ऐसे प्रस्ताव से इस सभा के सदस्य के अधिकारों का हनन तो नहीं होता ।

अतः मेरा सुझाव है कि अध्यक्ष महोदय मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष को लिखें और उनका उत्तर मिल जाने पर हम आगे कोई कार्यवाही करें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मुझे इन घटनाओं और यहां कही गई बातों पर खेद है क्योंकि इससे संसद और मेघालय विधान सभा के सम्बन्ध बिगड़ेंगे ।

जहां तक यहां के ढांचे का सम्बन्ध है, यह अर्ध संघीय तो है ही यदि पूरी तरह संघीय न भी हो--अतः राज्य विधान सभाओं को भी संविधान द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त हैं । मेरे विचार में श्री स्वैल के विरुद्ध बदले की क्षुद्र भावना से प्रेरित होकर ही वहां यह हुआ है (**व्यवधान**) परन्तु मेरे विचार में विशेषाधिकार के मामले में उन्होंने अपने अधिकार का ठीक प्रयोग किया है ।

मेघालय विधान सभा को 1954 और 1958 में स्वीकृत अभिसमय का ध्यान रखना चाहिये था । आशा है वह सभा सद्बुद्धि से काम लेगी । साथ ही यह भी अच्छा हुआ कि आगामी अन्तर सत्रावधि में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की बैठक में इस मामले पर अनौपचारिक चर्चा होगी तथापि जो कीचड़ उछाला गया है उससे यह कार्य और कठिन हो जाएगा ।

मैं समझता हूं कि 1958 का अभिसमय सभी राज्य विधान सभाओं पर अनिवार्यतः लागू होता है और उन्हें इसी संदर्भ में फैसले करने होंगे ।

उपाध्यक्ष को मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं और अध्यक्ष के विपरीत वह अपनी राजनीतिक गतिविधियां त्यागते नहीं हैं और श्री स्वैल भी इसी प्रकार अपने क्षेत्र में इस संदर्भ में काफी सक्रिय हैं । उन्हें किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं है । किसी भी विधान मण्डल में उन्हें बुलाया जा सकता है जैसे कि किसी अन्य नागरिक को--जब तक कि हम किसी न्यायालय या विधायकों की समिति के समक्ष ब्यान देने की इच्छा न रखते हों--तब हमें सभा या आपके निदेशानुसार चलने की छूट है--हमें केवल यही छूट प्राप्त है ।

अतः मैं समझता हूं कि मेघालय में विशेष राजनीतिक ढांचे के कारण दुर्भग्यपूर्ण बातें हुई हैं और इसे यहां के गैर-जिम्मेदारीपूर्ण सुझावों से ठीक नहीं किया जा सकता, जिसमें विशेषाधिकार समिति को यह मामला सौंपने का सुझाव दिया गया है .... (**व्यवधान**)

यदि इन सदस्यों ने शिकायत ही करनी थी तो उसे आपकों आपके कक्ष में दिया जा सकता था .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों ने ये प्रस्ताव मुझे वहां भेजे थे ।

श्री ज्योतिमर्य बसु : मैं एक बात कहने की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: यदि सूची के नामों के अतिरिक्त सदस्यों को मैं अनुमति दे दूं तो यह वाद-विवाद बन जाएगा, जो इस समय मैं नहीं चाहता ।

सदस्यों के प्रस्तावों की भाषा भिन्न है अतः मैं विचार करके बताऊंगा कि कौन सा प्रस्ताव रखा जाये तब श्री बसु को भी अवसर दिया जाएगा ।

श्री दास चौधरी ने प्रक्रिया का उल्लेख किया और श्री श्याम मनन्दन मिश्र ने अनुच्छेद 105(3) और 194 का उल्लेख किया । यदि यह मार्ग अपनाया जाये तो हमें सदस्य को गवाही के लिए पेश होने की अनुमित देनी होगी ।

श्री साठे ने 1957 के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के निर्णय का हवाला दिया है जिसमें मेरा भी हाथ है । यह प्रक्रिया बहुत विचार के बाद स्वीकार की गई थी और सभा की एक समिति और 1954 में राज्य सभा ने भी ऐसी ही प्रक्रिया स्वीकार की थी । इस मामले में ये भी मेघालय के अध्यक्ष को यही प्राक्रया अपनानी चाहिये थी । श्री मुकर्जी के सुझाव के उत्तर में मुझे यही कहना है कि पीठासीन अधिकारियों के गत सम्मेलनों में इस सम्बन्ध में प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बना दी गई है— इसमें असम सहित 13 राज्यों ने सहमति दी है । अतः मेरे विचार में मेघालय स्वतः ही सहमत है, जब पंजाब के दो राज्य पंजाब और हरियाणा बने तब भी यह निर्णय हुआ था कि पुराने राज्य के सभी नियम दोनों नए राज्यों पर भी लागू होंगे । मैं समझता हूं यही बात नए राज्य मेघालय पर पर भी लागू होती है ।

विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार करने का सुझाव दिया गया है परन्तु जब हमें राज्य द्वारा ऐसा करने पर अपत्ति है तब हम वही बात कैसे कर सकते हैं ? मेघालय के अध्यक्ष से मुझे शनिवार को एक तार मिला है और अब यह स्पष्ट हो गया है कि यदि उन्होंने हमारे उत्तर की प्रतीक्षा की होती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती ।

हमारे विधान मण्डलों में प्रक्रिया यह है कि इस पर चर्चा या जांच नहीं की जाती, इसे उस सदन में भेज दिया जाता है जिसका कि वह 'दोषी' सदस्य हो ।

श्री श्याम मिश्र : यदि किसी सदस्य द्वारा विशेआधिकार भंग किए जाते हैं तो पीठासीन आधकारी का कर्त्तव्य है कि जांच करके तथ्य उस सदन को भेज दे ।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष के लिए अपने को सन्तुष्ट करना ही पर्याप्त है । यह मैं महासचिव द्वारा लिखित पुस्तक में से सुना रहा हूं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: इसमें 'मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस' के विपरीत कुछ नहीं लखा है ।

अध्यक्ष महोदय: इस समय मैं तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहता ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : भविष्य के लिय इस स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

अध्यल महोदयः यही बात अन्य माननीय सदस्यों ने कही है, मैं यह मामला मेघालय के अध्यक्ष महोदय के साथ उठाऊंगा । यदि यह मामला वहां हल नहीं होता है तब मैं सभा से सलाह लूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसुः यहां ऐसी कुछ टिप्पणियां की गई हैं जो दोनों सदनों में गलत भावना पैदा कर सकती हैं । आपको पहिले कार्यवाही वृतान्त को देख लेना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदयः मैं ऐसा ही करूंगा । हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों सदनों में बोलने की स्वतन्त्रता है ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, आंध्र प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और एक विवरण ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5945/73]

(2) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1963 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) जी० ओ० आर० टी० संख्या 2880 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) जी० ओ० आर० टी० संख्या 3194 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी ।

(ग) जी० ओ० एम० संख्या 475 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 5946/73]**

मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 के अन्तर्गत अधिसूचना, आन्ध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक लेखा तथा प्रशासन प्रतिवेदन और एक विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 516 की एक प्रति जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5947/73]**

(2) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5948/73]**

(3) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति।

(4) (एक) उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5949/73]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और एक विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादक (शोधित तेल उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 395(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादक (शोधित तेल उत्पादन का विनियमन) संशोधन आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 449(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5950/73]**

भारतीय प्रबंध संस्थान का वर्ष 1969-72 का प्रतिवेदन और एक विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) (एक) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (दो) प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5951/73]**

दोनों कोरियाई देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS WITH TWO KOREAS

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): जैसाकि सदन को मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर कोरिया के दो हिस्सों में दो स्वतन्त्र सरकारें स्थापित हो गई। यद्यपि हमने हमेशा ही कोरियाई जनता की इस आकांक्षा को अपनी आकांक्षा माना है तथा इसका समर्थन किया है कि उभयपक्षीय शांतिमय बातचीत द्वारा तथा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कोरिया का एकीकरण हो लेकिन फिर भी पिछले पच्चीस वर्षों में दोनों सरकारों ने अलग-अलग सत्ता के रूप में अपने को स्थापित कर लिया है। तदनुसार भारत सरकार ने 1969 में दोनों कोरिया के साथ कोंसली संबंध स्थापित किए और तबसे दोनों कोरियाई सरकारों के साथ हमारे संबंध संतोषजनक ढंग से विकसित होते रहे हैं। विशेष ध्यान देने योग्य हैं। हमारे आर्थिक सहयोग में वृद्धि तथा दोनों देशों के साथ प्रतिनिधि-मण्डलों का आदान-प्रदान और जिम्मेदार नेताओं की यात्राएं।

सदियों के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों के अलावा भारत ने छठे दशक के आरंभ से ही कोरियाई मामलों में रचनात्मक भूमिका अदा की है। भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के रोकने तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

पिछले कुछ समय से दोनों कोरियाई देश चाहते थे कि हम उन्हें राजनयिक मान्यता प्रदान करें और भारत सरकार ने निश्चय किया है कि दोनों सरकारों को राजनयिक मान्यता देने का उपयुक्त समय आ गया है--विशेष रूप से इसलिए कि लगभग पांच करोड़ की जनसंख्या पर दोनों का नियंत्रण है और बहुत से देशों ने उन्हें राजनयिक मान्यता दे दी है।

इसलिए मैत्री संबंधों तथा बहुमुखी सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार ने दोनों कोरियाई देशों में अपने प्रतिनिधित्व के दर्जे को ऊंचा करने का निश्चय किया है। मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोरिया की दोनों सरकारें इस निर्णय से सहमत हैं। भारत सरकार आज से दोनों कोरियाई सरकारों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने को सहमत हो गई है। बाद में हर देश की सुविधा के अनुसार राजदूतों की नियुक्तियां की जाएंगी।

अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BIILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना

श्री एच० एम० पटेल (ढ़ुंढुका) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने आपको एक पत्र लिखा था जो समुद्री तूफान के कारण यात्रियों समेत एक जहाज के गुम हो जाने के बारे में था। उस पत्र का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल एक प्रस्ताव के लिए अनुमति दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम नौवहन मंत्री से इस बारे में वक्तव्य चाहते हैं (**व्यवधान**)

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवाद

श्री धामनकर (भिवंडी) : सरकार को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद शीघ्र ही हल करना चाहिए क्योंकि दोनों राज्यों के सीमावर्ती शहरों में हिंसात्मक वारदातें हो रही हैं। दोनों राज्यों की जनता, जो एक से दूसरे राज्य में रोजगार आदि के लिए जाती है, अपने व्यवसाय को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहती है। समाचारपत्रों से पता चलता है कि दोनों ओर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में जवाबी कार्यवाही करने की भावना बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि दोनों राज्यों के विवाद को अविलंब हल किया जाये।

श्री निबालकर (कोल्हापुर) : इस समस्या को यथाशीघ्र हल किये जाने की आवश्यकता है। ऐसा करना राष्ट्रीय हित में होगा। प्रधान मंत्री का विचार इस समस्या के हल के लिए क्या कार्यवाही करने का है, यह हमें बताया जाना चाहिए। वहां एक ही देश के लोगों में आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है। हम चाहे किसी भी राज्य के रहने वाले हों, हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। देश के लिए यह बात अच्छी नहीं है कि हम अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं कर पाते।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश, 1973 का निरनुमोदन करने के बारें में सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (दूसरा संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) ORDINANCE, 1973 AND CENTRAL EXCISES AND SALT (SECOND AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री एस० एम० बनर्जी के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को लेते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इसे पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्यान्ह भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखिये।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये तीन बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen minutes Past Fifteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा तीन बजकर बीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at twenty minutes Past Fifteen of the Clock.

[[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
Mr. Deputy Speaker in the Chair]]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1971-72

Demand for Excess Grants (General), 1971-72,

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1971-72 के बजट (सामान्य) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करती हूं।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश, 1973 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (दूसरा संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) ORDINANCE, 1973 AND CENTRAL EXCISES AND SALT (SECOND AMENDMENT) BILL.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने निम्न प्रस्ताव को पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 नवम्बर, 1973 को प्रख्यापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

जबकि दोनों सदनों की बैठक छः दिन में होने वाली थी तो यह अध्यादेश आवश्यक नहीं था। अध्यादेश द्वारा करों अथवा उत्पाद-शुल्कों को वसूल करने की सरकारी नीति का मैं कड़ा विरोध और निरनुमोदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में पेट्रोल के मूल्य में यह 15वीं वृद्धि है। नवम्बर से पूर्व पेट्रोल की कीमत एक रुपया 66 पैसे प्रति लीटर थी और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एक रुपया 20 पैसे अर्थात् 72 प्रतिशत था। अब दो रुपये 73 पैसे में से दो रुपये 20 पैसे अर्थात् 86 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क हो गया है। मोटर स्प्रिट पर 1960-61 में कुल राजस्व 40.46 करोड़ रुपया था जो वर्ष 1972-73 में 240 करोड़ रुपये हो गया है। इस वर्ष 80 पैसे का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है जिससे 19.20 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं।

मिट्टी के तेल से प्राप्त होने वाला राजस्व जो 1960-61 में 8.29 करोड़ रुपये था, 1972-73 में बढ़कर 142 करोड़ रुपये हो गया है। वर्तमान वृद्धि की दरों से पैट्रोल और मिट्टी के तेल स 330 करोड़ रुपया वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।

वित्त मंत्री तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने भी कहा है कि वे खपत कम करना चाहते हैं। परन्तु उन्होंने पेट्रोल का राशन क्यों नहीं किया। वास्तव में वह खपत कम करना नहीं चाहते अपितु आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि का लाभ उठाकर भावों को इतना बढ़ा दिया गया है।

सरकार ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था की है। अब यह 800 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। सरकार ने अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का लाभ उठा कर आम आदमी को लूटा है।

हमारे देश में 50 से 55 प्रतिशत तेल का शोधन विदेशी कम्पनियां करती हैं। पिछले 14 वर्षों में इन कम्पनियों ने 1048 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अपने देशों को भेजी है और उनकी आस्तियों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार हमारे देश में यह लूट चल रही है।

जब हम सरकार को विदेशी तेल कम्पनियों को अधिकार में लेने को कहते हैं तो वह इन्कार कर देते हैं। सरकार इस बारे में इतनी झिझक क्यों रही है ?

मैं समझता हूं कि इन तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का समय आ गया है। अरब देशों ने तेल को नीलामी करके बेचने का निर्णय किया है। इसका क्या परिणाम निकलेगा, कहा नहीं जा सकता।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को यह बताना चाहता था कि भविष्य में तेल की क्या स्थिति होगी। मूल्यों में इतनी वृद्धि हो गई है कि टैक्सी किराये पर लेनी भी कठिन हो गयी है। इसका प्रभाव उन स्कूटर चालकों पर भी पड़ेगा जिन्होंने ऋण लेकर स्कूटर लिये हैं और अभी तक किस्तें दे रहे हैं। अतएव इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

तेल और गैस मध्यम श्रेणी के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। इससे भी अधिक कठिनाई यह है कि मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं होता। इस मूल्य वृद्धि का प्रभाव अंततोगत्वा उपभोक्ता एवं सामान्य लोगों पर पड़ता है। मिट्टी के तेल पर उत्पाद-शुल्क बढ़ाने का क्या कारण है ?

कहा जाता है कि हमारे अरब देशों से अच्छे संबंध हैं। क्या वे हमारे साथ कुछ विशिष्ट व्यवहार करेंगे ? मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इनमें से अधिकांश का उत्तर दे दिया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : परन्तु हम संतुष्ट नहीं हैं। कोई मूल्य वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : वही पुराना तर्क।

श्री एस० एस० बनर्जी : मैं समझता हूं कि मंत्रालय ने राष्ट्रपति को गलत परामर्श दिया। मैं उधर के सदस्यों से दलगत भावना से ऊंचा उठने का आग्रह करता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हुं :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कच्चे तेल की विश्व-व्यापी कमी एवं इसके मूल्यों में भारी वृद्धि का सदस्यों को पता है। इसके परिणामस्वरूप इस पर 200 करोड़ रुपये के स्थान पर 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होने लगेगी।

तेल संकट पर काबू पाने के लिए सरकार ने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपायों पर विचार किया है। मोटर स्पिरिट के मामले में कई राज्यों ने राशन द्वारा खपत को कम करने में प्रशासनिक तथा अन्य कठिनाइयों का उल्लेख किया है। मिट्टी का तेल हाई स्पीड डीजल तेल के साथ मिला दिया जाता है। इस मिलावट को तभी रोका जा सकता है जब मिट्टी के तेल के मूल्य को बढ़ा दिया जाये। इसे गांवों में उपलब्ध करने के लिये भी यह आवश्यक है।

इसीलिये यह निश्चय किया गया कि मोटर स्पिरिट पर प्रति किलो लिटर 1000 रुपये तथा मिट्टी के तेल पर 200 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़ा दिये जायें।

इसी निर्णय के अनुसार 2 नवम्बर, 1973 को अध्यादेश जारी किया गया। बाद में जनता की प्रतिक्रिया पर मिट्टी के तेल पर शुल्क 100 रुपये प्रति किलो लिटर कम कर दिया गया।

पेट्रोल और मिट्टी के तेल पर उत्पाद-शुल्क में अध्यादेश द्वारा वृद्धि का कारण यही था कि पश्चिम एशिया की स्थिति में परिवर्तन के कारण तेल के उत्पादन और पूर्ति में कमी उस समय की गई जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था।

पेट्रोलियम पदार्थों को अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिये बचाने हेतु ही उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं की जा सकती थी बल्कि इस उपाय द्वारा घाटे की अर्थव्यवस्था में भी कमी होगी। मोटर स्पिरिट पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि से सरकार को पूरे वर्ष में 121 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। मिट्टी के तेल पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि से जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा वह उस घाटे को पूरा करेगा जो हाई स्पीड डीजल तेल पर शुल्क घटाये जाने से होगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

Dr. Laxaminarain Pandeya (Mandsaur): The hon. Minister in his speech said that this increase in excise duty would help curbing the consumption of petrol. This petrol could be diverted for producing naptha which in turn would be utilised for producing fertilisers which are in short supply.

It is strange that although the price of crude oil was increased by 7 paise per litre only, the excise duty on petrol has been increased by Re. 1 per litre. The object is nothing to meet the deficit in the economy.

An assurance has been given by the hon. Minister that diesel oil will be freely available to consumers at reasonable price and the price of Kerosene has also been reduced from 20 paise per litre to 10 paise per litre. But the fact is that the price of diesel oil has also gone up, it is not freely available to farmers. In fact, scarcity has been created in regard to diesel and kerosene both. It has become very difficult to get kerosene in rural areas.

The rise in price of petrol has caused an adverse effect on taxi and scooter drivers. The prices have risen so much that it is now beyond the reach of the common man to use them.

The ordinance has been promulgated just a week before the commencement of the present session of Parliament. Heavens would not have fallen, had it been brought only after a week or so. How in order to support the economy of the country, which is in very bad shape because of the mis-rule of the congress party for the last 25 years, they have brought this ordinance which is very improper. I, therefore, oppose the Bill.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह विधेयक दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि यह विधेयक, कर लगाने के उद्देश्य से इस सदन की बैठक प्रारम्भ होने से लगभग एक सप्ताह पूर्व जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है; दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अशोधित तेल के मूल्य में सीमान्त वृद्धि का लाभ उठाकर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस देश में अनेक वस्तुओं के मूल्यों और परिवहन के भाड़े में वृद्धि हुई है।

कर लगाने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी करना कार्यकारिणी के निकृष्ट अनाधिकार पूर्ण कार्य और उनकी निरंकुशता का द्योतक है और इस देश के सर्वोच्च विधायी निकाय का नितान्त अपमान है। यह संसद की अवहेलना करना है। अध्यादेश जारी करने से संविधान के महत्व को कम किया गया है और इसका उपहास किया गया है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दो कारण दिये गये हैं कि यह विधेयक क्यों प्रस्तुत किया गया है या यह अध्यादेश जारी करना क्यों आवश्यक था। प्रथम है खपत कम करने का उद्देश्य। बताया गया है कि खपत कम करना इसलिये आवश्यक है कि यूरिया के निर्माण के लिए अधिक नेप्था उपलब्ध हो सके।

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुये
Shri S. A. Kader in the Chair.]

एक अन्य तर्क यह दिया गया है कि सरकार को यूरिया बनाने के लिए नेफ्था अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। पेट्रोल बनाने के लिये केवल 10 प्रतिशत कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। यदि ऐसा है तो 10 प्रतिशत कच्चे तेल की खपत को कम करके कितने नेफ्था का उपयोग पेट्रोल के बजाय यूरिया का उत्पादन करने में किया जायेगा। अतः हमें ऐसा लगता है कि देश में कृषि उत्पादन के नाम पर नेफ्था की बात को लायी गया है। यह कहीं भी नहीं बताया गया कि यह सरकार पेट्रोल की खपत को किस प्रकार कम करेगी। बड़ी गैर-सरकारी कम्पनियां इसकी खपत किसी प्रकार भी कम नहीं करेंगी, भले ही वह कितना ही महंगा क्यों न हो जाए। सरकार ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

हमने आम जनता, बेरोजगार स्नातकों आदि को टैक्सी चलाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने की एक योजना बनाई है। उन्होंने बैंकों से ऋण लिया। उसका भुगतान वे किस्तों में कर रहे हैं। उनका क्या होगा? स्कूटर तथा टैम्पों ड्राइवरों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अतः मेरा कहना है कि यह कराधान इस सरकार की जनविरोधी नीति का एक और उदाहरण है।

यदि खपत कम करने के संबंध में सरकार की नीयत खराब होती तो इसके लिए सबसे आसान तरीका राशन लागू करना था। टैक्सी ड्राइवरों, स्कूटर ड्राइवरों आदि को कम से कम भाव पर कुछ पेट्रोल दिया जाए। अतिरिक्त उपलब्ध मात्रा के लिए सरकार बढ़े हुए मूल्य ले सकती है। परन्तु इस पहलू पर विचार ही नहीं किया गया है, अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : वर्तमान उपाय द्वारा पेट्रोल की खपत अवश्य कम होगी। इसका असली उद्देश्य पेट्रोल की खपत को 25 प्रतिशत कम करना है और उस 25 प्रतिशत को नेफ्था से उर्वरक उत्पादन के लिए प्रयोग में लाना है। यदि कीमत नहीं बढ़ायी जाती तो फिर राशन करना पड़ता। किन्तु यह संदेहास्पद है कि राशन करने से यह प्रयोजन इतने प्रभावी ढंग से सिद्ध हो सकेगा।

कराधान के इस प्रस्ताव से हमें यूरिया अथवा अन्य उर्वरकों के उत्पादन के लिए 25 प्रतिशत नेफ्था आरक्षित मिलेगा। इससे 5 लाख टन नेफ्था उपलब्ध होगा।

मेरा अपना विचार यह है कि इस समूचे मामले में शीघ्रता करना आवश्यक था। यदि सत्र आरंभ होने से पांच या छः दिन पहले अध्यादेश जारी नहीं किया जाता तो शायद संकट का सामना न किया जा सकता; क्योंकि यह संकट समूचे विश्व में तीव्रता से बढ़ रहा था।

अतः मैं यह महसूस करता हूं कि उस समय अध्यादेश जारी करना औचित्यपूर्ण था। इस विधान से पेट्रोल की खपत कम होगी और उर्वरकों के उत्पादन के लिए 5 लाख टन नेफ्था उपलब्ध होगा।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं श्री एस० एम० बनर्जी के संकल्प का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं। अध्यादेश जारी करने का उद्देश्य अप्रत्यक्ष ढंग से करारोपण है। यह प्रणाली न केवल संसदीय लोकतंत्र विरोधी है बल्कि संविधान की भावना के भी प्रतिकूल है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में इस् असाधारण वृद्धि के कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताये गये हैं और वे प्रभावित करने वाले

भी नहीं हैं । यह तर्क पहले ही दिया जा चुका है कि विदेशों से आने वाले खनिज तेल के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप यहां पर वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। यह बात तो सब स्वीकार करते हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि कितनी वृद्धि की जानी चाहिये। यहां पर की गई वृद्धि खनिज तेल के मूल्य में होने वाली वृद्धि से कहीं अधिक है। इस प्रकार इस वृद्धि का यही एक कारण नहीं कहा जा सकता।

दूसरे सदन में वृद्धि को उचित बताते हुए मंत्री महोदय ने उन सदस्यों की शंका दूर करने का प्रयास किया जो अरब देशों से खनिज तेल की सप्लाई में कटौती होने की आशंका रखते थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अरब देशों के साथ हमारी मैत्री होने के कारण इस देश को अशोधित तेल की सप्लाई में कटौती नहीं की जायेगी परन्तु 27 नवम्बर को प्रस्तुत किये गये विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में पहले ही वाक्य में कहा गया है कि अशोधित तेल के मूल्य में निरन्तर वृद्धि के कारण और हाल में उसकी सप्लाई में कटौती के कारण ऐसा किया जा रहा है। उपरोक्त परस्पर-विरोधी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि वास्तविक कारण क्या हैं। हमें यह भी बताया जाये कि हाल ही में कितनी मात्रा में कटौती हुई है।

जहां तक मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि की बात है और इसे डीजल के मूल्य के समान करने की बात है, श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि इससे मिलावट बंद हो जायेगी, यह तर्क ठीक नहीं है ।

इन कारणों की एक-एक करके खोज की जा रही है। वास्तविकता यह है कि वह अवसर की प्रतीक्षा में हैं। मूल्य में वृद्धि के लिए इन कारणों का बहाना बनाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि राजस्व बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

ऐसा समाचार है कि 5 नवम्बर को वित्त मंत्री ने त्रिवेन्द्रम में कहा था कि निकट भविष्य में पैट्रोल के मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु पैट्रोलियम मंत्री ने कुछ और ही बात कही है। पैट्रोलियम मंत्री ने नवम्बर के तीसरे सप्ताह में मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि राज्यों को पैट्रोल के राशन की व्यवस्था की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और उन्होंने आगे लिखा है कि मूल्यों में शीघ्र ही वृद्धि होने वाली है। मैं जानना चाहता हूं कि कौनसा बक्तव्य ठीक है ।

उन्होंने कहा है कि वे खपत कम करना चाहते हैं, परन्तु खपत कितनी कम की जानी है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

हम न केवल अशोधित तेल ही, अपितु 40 लाख टन पैट्रोल के उत्पादों का आयात कर रहे हैं। सरकार ने आयात को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सके ? उनका कहना है कि पैट्रोल की खपत को निरुत्साहित किया जायेगा। उन्होंने ऐसा कह तो दिया परन्तु आंकड़े नहीं दिये कि पैट्रोल से चलने वाली वाणिज्यिक मोटर-गाड़ियां कितनी हैं; उनमें से कितनी सरकारी हैं और कितनी निजी हैं, कितनी टैक्सियां और स्कूटर सार्वजनिक परिवहन में पैट्रोल का उपयोग कर रही हैं और कितनी निजी व्यक्तियों की हैं। मूल्य वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है। इसका प्रभाव स्कूटरों के लिए मालिकों पर पड़ेगा। अन्ततोगत्वा इसका प्रभाव आम-आदमी पर पड़ता है। जहां तक पैट्रोल के मूल्य का सम्बन्ध है, हमारे देश में वह सबसे अधिक है।

पैट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्य में 200 करोड़ रुपये की वृद्धि का प्रभाव सामान्य उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि अवश्यम्भावी है । सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि राशन का जो अधिक स्वीकार्य विकल्प है उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? इस विधेयक के कारण मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी अतः मैं इसका विरोध करता हूं और श्री एस० एम० बनर्जी के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : जहां तक पैट्रोल की खपत कम करने का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि इस वृद्धि का देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या देश की जनसंख्या का 10 प्रतिशत है। वे 45 से 55 प्रतिशत तक पैट्रोल के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। शेष 90 प्रतिशत लोगों के साथ असमान व्यवहार होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता नहीं कि मोटर गाड़ियां मुख्यतः कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े नगरों में हैं।

जहां तक राष्ट्रीयकरण की विचारधारा का सम्बन्ध है, मैंने इस बारे में जितना अधिक सोचा है उतना ही अधिक मैं महसूस करता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जो आम आदमी के निकटतम हैं उनका पहले राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। निजी बसों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

राशन के प्रश्न पर काफी सोच-विचार किया गया है। एक समयबद्ध कूपन के बारे में भी विचार किया गया है। इससे खुले बाजार और पूर्ण राशन के बीच की व्यवस्था होगी। पूर्ण राशन करने पर बहुत सी अप्रिय बातें आरंभ हो जायेंगी जैसी कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान अनुभव की गईं और पैट्रोल का कालाबाजार पनपेगा । कूपन व्यवस्था से एक निश्चित अवधि के अन्दर-अन्दर पैट्रोल लेना होगा। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या पर विचार करें।

कराधान के लिए शराब के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सरकार की आये दिन अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति का मैं घोर विरोध करता हूं। समूची कठिनाई यह है कि 1950 में हमारा संविधान लागू होने के समय से सरकार साधारण कार्यों के लिए भी अध्यादेश जारी करती रही है। यदि कोई व्यक्ति 1950 से भारत सरकार द्वारा लागू किये गये अध्यादेशों का विश्लेषण करे तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी संवैधानिक परम्पराओं और प्रथाओं को तोड़ा है। इस विशेष मामले में यह बात जरा अधिक गंभीर इसलिए हो जाती है, कि सरकार ने कानून बनाने के लिए नहीं, बल्कि करारोपण के लिए अध्यादेश का मार्ग अपनाया है।

मेरी दूसरी बात यह है कि इस अध्यादेश के पश्चात् पैट्रोल का मूल्य इतना अधिक बढ़ा है कि यह अभूतपूर्व है। वित्त मंत्री यह बतायें कि क्या विश्व के किसी अन्य देश में पैट्रोल के मूल्य इस सीमा तक बढ़े हैं? भारत जैसे गरीब देश में पैट्रोल के मूल्य में अधिकतम वृद्धि करने का क्या विशेष औचित्य है ?

वित्त मंत्री और सरकार कह रही है कि पैट्रोल की मूल्य वृद्धि का प्रभाव केवल धनी लोगों पर पड़ा है। मैं श्री एस० एम० बनर्जी की इस बात से सहमत हूं कि मध्यम वर्ग तथा गरीब लोगों पर जो आटे रिक्शा या टैक्सी का उपयोग करते हैं, भी इस मूल्य-वृद्धि का बहुत प्रभाव पड़ा है क्योंकि उनका किराया दुगुना या उससे भी अधिक हो गया है।

मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि वह पैट्रोल का राशन क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि वह कहते कि मैं राशन करूंगा और उससे अधिक खपत के लिए लोगों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा तो कुछ उचित बात होती। एक ओर तो सरकार कहती है कि वह राशन नहीं करना चाहती, दूसरी ओर हमें बताया गया है कि सरकार राशन करने पर विचार कर रही है।

सरकार ने पैट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि का कारण यह बताया है कि इससे खपत कम होगी और उसने घाटे की अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए ऐसा किया है। दो या तीन मंत्रियों ने सभा में तथा सरकारी प्रवक्ताओं ने बाहर बताया है कि सार्वजनिक परिवहन में सुधार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है.....

सभापति महोदय : श्री मावलंकर, एक मिनट ठहरिये। गृह मंत्री को सभा-पटल पर एक पत्र रखना है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आंध्र प्रदेश राज्य के संबं में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अधीन भारत के राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 518(ङ) में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में 18 जनवरी, 1973 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा रद्द की गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5961/73]**

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश, का 1973 निरनुमोदन करने के बारें में सांविधिक संकल्प तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (दूसरा संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) ORDINANCE, 1973 AND CENTRAL EXCISES AND SALT (SECOND AMENDMENT) BILL

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सरकार हमें बताये कि उसने जिस मूल्य वृद्धि की घोषणा की है उससे उसे पैट्रोल की कितनी खपत कम होने की आशा है। इससे घाटे की अर्थव्यवस्था के निराकरण में कितनी सहायता मिलेगी ?

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि सार्वजनिक परिवहन के बारे में उनकी ठीक-ठीक नीति क्या है ? दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहुत ही निराशाजनक है। कम से कम वर्तमान स्थिति में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए इसमें धन लगाया जाना चाहिए।

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की इस बात से सहमत हूं कि पैट्रोल के मूल्य उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों से पूर्व बढ़ाये गये हैं ताकि विरोधी दलों को पैट्रोल न मिलने से सत्तारूढ़ दल के लिए चुनाव जीतना सरल हो जाये। इससे सरकार के अप्रत्यक्ष उद्देश्य और काले षड़यंत्र का पता चलता है।

अध्यादेश जारी करने के लिए सरकार के पास क्या कारण था और इसकी आवश्यकता क्या थी? मंत्री महोदय 2 नवम्बर और 12 नवम्बर के बीच प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सके? मेरा अनुरोध है कि वह इन बातों का उत्तर दें?

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa): I rise to support the proposed Bill. It has been admitted by all that our present and long-term policy should be aimed at reducing the consumption of oil, because a very strange situation has arisen in the world in the matter of oil.

Urea is not available in the villages and naptha is essential for urea. Unless the consumption of petrol is reduced, naptha cannot be obtained. Under these circumstances, the increase in the price of petrol seems to be reasonable. Undoubtedly, a little inconvenience has been caused due to price-rise.

The difficulties of many people belonging to middle income group, who own cars and scooters, have increased. But the question is as to what was its solution? Some hon'ble members have stated that the rationing of petrol should have been introduced. I am strongly opposed to the introduction of rationing. By the introduction of rationing, we all will be entitled to get petrol from the Government whether we use our cars scooters or other vehicles or not. Some people among as may sell it in black-market.

I request the Hon'ble Finance Minister to introduce rationing only when there is no other alternative to decrease its consumption.

It is true that some restriction for its consumption has been imposed on the Ministers and other Government departments, but still a stricter gilance is necessary on Government vehicles as they are usually misused.

I suggest that we should manufacture such kind of vehicles which may consume less petrol.

There is an acute shortage of scooters in our country. We should implement our scheme effectively for the setting up of scooter manufacturing plants, so that ordinary people may use scooters in place of cars. The major portion of income from this duty must be invested for the improvement of Public Transport system, so that people may feel that good results have been achieved by increasing the price of petrol. The people should have this feeling also that the Government in fact do not want to increase the difficulties of the people rather they want to minimise their hardships.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

With these words, I support this Bill and hope that the expected results would be achieved by this Bill.

I want to know as to whether the consumption of petrol has decreased by this new system as more than one months have passed since its introduction and if so, to what extent ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने कई बातों के बारे में कहना है। अध्यादेश जारी करने के बारे में सरकार द्वारा दिये गये तर्क से मैं सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं। सरकार यह सिद्ध नहीं कर पायी है कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए कौनसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं। मूल्य इतने अधिक नहीं बढ़े हैं जितना कराधान हुआ है। दूसरे सदन में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई में कमी नहीं की गयी है। कर लगाने के लिए अध्यादेश जारी करने का कड़ा विरोध हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि किसी भी परिस्थिति में कर लगाने के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में कराधान के लिए अध्यादेश जारी करने की वांछनीयता के बारे में मैं सहमत हो सकता हूं।

पैट्रोल की खपत को कम करने का लक्ष्य 5 लाख टन का है। सरकार का विचार उर्वरकों के उत्पादन के लिए इसका उपयोग करने का है। यदि यह बात थी तो उर्वरकों के उत्पादन के लिए, प्रयुक्त किये जाने वाले तेल की मात्रा को कम करके तेल बचाया जा सकता था। 5 लाख टन पैट्रोल की बचत के लिए देश की जनता को कहा जा सकता था। ऐसा क्यों नहीं किया गया? स्कूटर चालकों, टैक्सी चालकों तथा टैम्पो चालकों जैसे छोटे लोगों के लिए इतनी कठिनाई क्यों पैदा की गयी?

सरकार स्वयं अधिकांश पैट्रोल की खपत करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का अपनी खपत में कमी करने का लक्ष्य क्या है?

मैंने संसद में एक वक्तव्य दिया था। जो कुछ भी इस ओर से कहा गया था, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इससे यही पता चलता है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनावों की दृष्टि से बहुत ही अनुचित ढंग अपनाया है। चुनाव आयोग ने इस मामले के सम्बन्ध में क्या किया है देश में अधिकांश अत्यावश्यक वस्तुओं की विशेषकर पैट्रोल की कमी है। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए देश में सरकार को कम उपभोग करने की नीति अपनानी चाहिए जो लक्षित नहीं हो रही है।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि भविष्य में भी पैट्रोल की अत्यन्त कठिन स्थिति हो जायेगी। ऐसा विचार पैट्रोलियम के सभी विशेषज्ञों का है। सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या पैट्रोल की सप्लाई कम होने की स्थिति में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने की कोई नीति तैयार की गयी है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा करना सरकार के अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्ण कुप्रबन्ध के कारण लोगों पर कर लगाने से कम नहीं है। अतः मैं अपने माननीय मित्र श्री एस०एम० बनर्जी द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं और सरकार द्वारा लाये गये विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने श्री बनर्जी के संकल्प तथा अपने द्वारा पेश किये विधेयक के सम्बन्ध में दिये गये भाषणों को ध्यान से सुना है। अधिकांश तर्कों को बार-बार दोहराया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न किया है कि यह अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा संकट पैदा हो गया था कि हम इस विशेष मामले के सम्बन्ध में 3 नवम्बर से 12 नवम्बर तक प्रतीक्षा नहीं कर सके। मैं केवल यही कह सकता हूं कि सरकार इस स्थिति की जांच कर रही थी और जब हम इस परिणाम पर पहुंचे कि ऐसा करना आवश्यक है, तो उसके पारित हो जाने तक प्रतीक्षा करना संभव नहीं था, क्योंकि इसमें और अधिक समय लग जाने की संभावना थी।

इसके अतिरिक्त जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बदल रही थी, तो सरकार के लिए उसके अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था । जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना न्यायोचित है तो हमने यह कार्यवाही की ।

अभी-अभी श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा एक अन्य बात कही गयी है कि यदि उर्वरक का उत्पादन करने के उद्देश्य से नेफ्था के निर्माण के लिए उसकी कुछ मात्रा लेना आवश्यक था, तो यह कार्य इस प्रकार का पग उठाये बिना भी किया जा सकता था । मुझे इस बारे में यही कहना है कि यह तो स्थिति के मूल्यांकन का प्रश्न है । यदि हम इसकी खपत पर नियंत्रण करने के लिये मूल्य सम्बन्धी क्रियाविधि का उपयोग नहीं करते, तो वास्तव में पैट्रोल प्राप्त करने में उसी कठिनाई का फिर सामना करना पड़ता और लोगों को आज के मूल्य से अधिक मूल्य देना पड़ता।

श्री चटर्जी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि हम पैट्रोल की खपत कम करना चाहते हैं, तो हम इसका राशन क्यों नहीं कर देते ? राशन कर देने से भारी प्रशासनिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं ? राशन कर देने का अर्थ यह हो जाता है कि कुछ मात्रा की सप्लाई की गारंटी देना। आज विश्व में तेल की सप्लाई संबंधी बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए, तेल की सप्लाई की गारंटी देना किसी भी सरकार के लिए बहुत कठिन है।

जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, हम ग्राम्य क्षेत्रों में यथा संभव तेल की सप्लाई करते रहने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कहा है कि ऐसा उत्तर प्रदेश के चुनावों की दृष्टि से किया गया है। इस तरह तो यह कहा जा सकता है कि तेल सप्लाई करने वाले देशों द्वारा यह समूचा तेल संकट उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए ही पैदा किया गया है।

मैं जानता हूं कि पैट्रोल की मूल्य-वृद्धि से छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं इस स्थिति से इंकार नहीं करता । सरकारी कर्मचारी स्कूटर और कई बार कारों का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें निश्चय ही कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और हम सब को उनसे हमदर्दी है ।

श्री मिश्र ने पूछा है कि हम सरकारी खपत पर नियंत्रण करने के लिए क्या कर रहे हैं। हमने सरकारी विभागों से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पैट्रोल की खपत में कमी हो। जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है, हमने पैट्रोल के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं।

मेरे विचार में श्री बी० वी० नायक ने हमारे दल की ओर से बड़े प्रभावी ढंग से उत्तर दे दिया है, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता । केवल 'राष्ट्रीयकरण' की बात कर देने का क्या लाभ है। प्रत्येक संकट का समाधान 'राष्ट्रीयकरण' नहीं है। हमारी वर्तमान नीति यह है कि यदि आवश्यक होता है इस के बारे में तभी हम सोचते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान जी, मैंने वाद-विवाद को सुन लिया है। . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे ।

*खाद्यानों की वसूली एवं वितरण के लिये अपनी एजेंसियां रखने वाले राज्य

STATES HAVING OWN AGENCIES FOR PROCUREMENT AND DISTRIBUTION OF FOODGRAINS.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैंने खाद्यान्नों की वसूली तथा वितरण के संबंध में भारत सरकार की नीति के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए चर्चा की मांग की है। राज्यों की खाद्यान्न वसूली तथा वितरण करने वाली मुख्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम है। यह पूर्णतयः सिद्ध हो चुका है कि भारतीय खाद्य निगम का प्रबन्ध अकुशल, ढीला तथा भ्रष्ट है।

यह खाद्यान्न व्यापार में असफल रहा है और इस की असफलता के कारण ही देश की गरीब जनता को खाद्यान्नों की कमी तथा ऊंचे मूल्यों का शिकार होना पड़ा है।

भारतीय खाद्य निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे, किन्तु सरकार ने उस समय उन्हें स्वीकार नहीं किया। किन्तु आखिरकार सरकार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सोंपने के लिए विवश हो गयी और भारतीय तत्कालीन खाद्य निगम के अध्यक्ष के भ्रष्ट कार्यों के बारे में पता चला। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने निगम के उन अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों के विरुद्ध शुरू से ही आवाज़ उठायी, किन्तु सरकार भ्रष्ट अध्यक्ष को बचाती रही और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे): मुझे ज्ञात हुआ है कि इस सभा में भारतीय खाद्य निगम के बारे में पृथक चर्चा होगी। अतः यह बेहतर होगा कि माननीय सदस्य अपने विषय तक सीमित रहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० एम० मोहता ने इस बात के लिए इस आधे घंटे की चर्चा की अनुमति मांगी थी कि क्या भारतीय खाद्य निगम का वसूली की पद्धति में मुख्य हाथ होगा । यदि यह बात है, तो मेरे विचार में श्री पी० एम० मेहता उचित रूप से भारतीय खाद्य निगम का उल्लेख कर सकते हैं। उन्हें विशेष रूप से विवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि उस विषय पर चर्चा होने वाली है ।

श्री पी० एम० मेहता : मैं विस्तृत रूप से विवरण नहीं दूंगा, जैसा कि आप ने परामर्श दिया है। मैं यह बाताना चाहता हूं कि प्रतिष्ठा की झूठी धारणाओं के कारण राष्ट्र और लोगों को बड़ी हानि पहुंची है। भारतीय खाद्य निगम के इस प्रकार के कार्य से राज्य सरकारों में यह भावना पैदा हुई । इसी कारण से मैं भारतीय खाद्य निगम के कार्य का उल्लेख कर रहा हूं।

कुछ राज्य सरकारों ने यह महसूस किया कि अनाज की खरीद करने और उसका वितरण करने हेतु जब तक उनकी अपनी संस्थाएं न होंगी तब तक वे लोगों के भरपेट भोजन उपलब्ध न कर सकेंगे । इसलिए कुछ राज्य सरकारों ने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमों की स्थापना अनाजों और कुछ

*आधे घंटे की चर्चा
Half an hour discussion

अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने के लिए की है। बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने-अपने निगम स्थापित कर रखे हैं। पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा ही निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय सरकार को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार को अपने खाद्य निगम पर विश्वास नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार की खाद्य नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार ने गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लिया और गेहूं बाजार से गायब हो गया। गुजरात में हालत यह है कि प्रतिमास प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम गेहूं भी राशन की दुकानों से नहीं मिल रहा है जबकि गेहूं काले बाजार में ऊंचे दामों पर बिक रहा है। चावल की हालत भी गेहूं जैसी ही है। प्रश्न यह है कि क्या राज्यों द्वारा निगम बनाये जाने से काम दोहरा नहीं हो जायेगा और क्या इससे कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार और अकार्यकुशलता नहीं बढ़ेगी। राज्य सरकारों की एजेन्सियों के लक्ष्य क्या होंगे? उनमें और भारतीय खाद्य निगम में क्या अन्तर होगा? उनमें और भारतीय खाद्य निगम में समन्वय किस प्रकार लाया जायेगा। क्या अनाज का व्यापार करने वाली एजेन्सियों की दोहरी व्यवस्था एक केन्द्रीय स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर से किसानों के मन में संदेह पैदा नहीं हुआ है जिससे अनाज वसूली के लक्ष्य पूरे होने में बाधा आई है। क्या गुजरात राज्य में बाजरा लेवी योजना भी असफल हो गई है? चूंकि किसानों को बाजरे का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और वह बाजरे को बाजार में नहीं ला रहा है। अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और केन्द्रीय एजेन्सी और राजकीय एजेन्सियों के बीच क्या सम्बन्ध होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : सभापति महोदय माननीय सदस्य ने यह चर्चा अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के 12 नवम्बर 1973 को दिये गये उत्तर के संदर्भ में उठायी है। माननीय सदस्य को केन्द्रीय सरकार की उस नीति और दृष्टिकोण के बारे में संदेह है जिसके अनुसार राज्य सरकारों को राजकीय निगम स्थापित करने की अनुमति दी गई है। यह विचार नया नहीं है। वर्ष 1964 में जब भारतीय खाद्य निगम अधिनियम पारित किया गया था उसी समय भविष्य में राज्यकीय खाद्य निगम स्थापित करने की बात कही गई थी। हमारा देश विशाल है और खाद्य विषय समवर्ती सूची में है। इसलिए देश में खाद्य-व्यवस्था ठीक रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार दोनों पर संयुक्त रूप से है। क्या देश में खाद्य स्थिति को बिना राज्य सरकारों के सहयोग के ठीक रखा जा सकता है? मेरा उत्तर होगा—नहीं। अनाज की वसूली कुछ राज्यों में आज भी राज्य की एजेन्सियों द्वारा की जाती हैं—चाहे वे सहकारी संस्थाएं हों अथवा विभागीय संस्थाएं। उदाहरणार्थ पंजाब में इस वर्ष 75 प्रतिशत खरीद राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा की गई है हालांकि वहां राज्य का अपना खाद्य निगम नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार चाहती है कि राज्य सरकारों के अपने खाद्य निगम हों जो आनज के व्यापार को प्रभावी ढंग से तथा कुशलता पूर्वक कर सकें।

जहां तक भारतीय खाद्य निगम और राज्यकीय खाद्य निगमों के कार्यों में अन्तर और उनमें परस्पर समन्वय का सम्बन्ध है केन्द्रीय खाद्य निगम पूरे देश में खाद्य की स्थिति को नियंत्रण में रखेगा वह पूरे देश के लिए वसूली मूल्य और समर्थन मूल्य निर्धारित करेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज की ढुलाई का प्रबन्ध करेगा। बहुतायत वाले प्रदेशों से अनाज उठाकर कमी वाले प्रदेशों में भेजेगा। अनाज का सुरक्षित भन्डार या केन्द्रीय पूल बनाने का काम भारतीय खाद्य निगम का होगा। अपने राज्य में वितरण के लिए अनाज की वसूली राज्य खाद्य निगम करेगा। उदाहरण

के लिए केरल या पश्चिम बंगाल में अनाज वितरण का कार्य राज्य खाद्य निगम केन्द्रीय खाद्य निगम की अपेक्षा अधिक प्रभावी ढंग से करेगा।

वस्तुतः गत मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मेरे वरिष्ठ साथी कृषि मंत्री ने यह कहा था कि यदि राज्य सरकारें अपने-अपने खाद्य निगम स्थापित करना चाहें और राज्य में अनाज की वसूली और उसके वितरण की जिम्मेदारी लेना चाहें तो उसमें केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति न होगी। जहां तक समन्वय का सम्बन्ध है दोनों पारस्परिक सदभाव के साथ और पारस्परिक सहयोग से काम करेंगे। राज्य खाद्य निगम राज्य अनाज पूल और केन्द्रीय अनाज पूल दोनों के लिए वसूली करेगा। हां दोनों के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित कर दिये जायेंगे तथा केन्द्रीय पूल के लिए खरीदा गया अनाज भारतीय खाद्य निगम को सोंप दिया जायेगा। इस प्रकार दोहरा काम भी नहीं होगा।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : स्वतंत्र राज्य खाद्य निगमों के स्थान पर क्यों न केन्द्रीय खाद्य निगम की शाखाएं राज्यों में खोल दी जायें। इससे समन्वय स्वतः ही बना रहेगा।

श्री अण्णासाहिब पो० शिंदे : इससे भी कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। आरम्भ में केन्द्रीय सरकार का यही विचार था कि प्रत्येक राज्य में भारतीय खाद्य निगम की शाखा खोली जाये। किन्तु कुछ राज्य सरकारें अपने स्वतंत्र निगम स्थापित करना चाहती थीं और तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार और बिहार सरकार ने अपने राज्यों में कम्पनी कानून के अन्तर्गत ऐसे निगम स्थापित भी कर लिये हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के इस कार्य में आगे नहीं आना चाहती।

जहां तक दोनों में परस्पर समन्वय का प्रश्न है केन्द्रीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य निगमों में समय-समय पर बातचीत होती रहेगी स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायेगा और अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में इन दोनों प्रकार के निगमों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्य निगमों को न केवल अनाज का व्यापार अपने हाथ में लेना है बल्कि अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार भी उन्हें अपने हाथ में लेना होगा। जहां तक उनके लिए वित्त की व्यवस्था का प्रश्न है इसकी समस्या उनके सामने नहीं आयेगी। हां राज्य निगमों के साथ इन प्रश्नों पर अवश्य निर्णय करना होगा कि किस वस्तु की खरीद कितनी मात्रा में करनी है और केन्द्रीय पूल में कितनी मात्रा जानी है और राज्य पूल में कितनी।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और उसमें जो कमियां हैं उन्हें हम दूर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य निगम दोनों मिलकर देश में खाद्य व्यवस्था को ठीक रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा 11 दिसम्बर, 1973/20 अग्रहायण 1895 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 11, 1973/Agrahaiyana 20, 1895 (Saka).

MGIPRRND-27—47LSS/73—Sec. Ist (N.S.)—24-3-74—490